(1)

राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक ५] द्वितीय विधान सभा के तृतीय सत्र, १६५६ का ५७वां दिवस [संख्या ३४

सोमवार, १३ अप्रेल, १६५६

विधान सभा की बैठक म० पू० ८ बज कर १७ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

प्रश्न संख्या ६८६.

श्री पी० के० चौधरी।

(अनुपस्थित)

नेक्स्ट।

डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजूकेशन जयपुर के कार्यालय के एस्टे-ब्लिशमेंट क्लर्क के सम्बन्ध में।

६६० श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) जयपुर के डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजूकेशन के कार्यालय के एस्टेब्लिशमेंट क्लर्क श्री श्रवणस्वरूप माथुर की नियुक्ति शिक्षा विभाग में कब और किस पद पर हुई थी ?

(ख) क्या यह सही है कि इस नियुक्ति के समय श्री माथुर कस्टम्स एन्ड-एक्साइज डिपार्टमेंट की सर्विस में थे और उनको एक गबन के मामले में निलम्बित किया हुआ था ?

(ग) क्या यह सही है कि कस्टम्स एण्ड एक्साइज़ विभाग द्वारा इनको गबन के आरोप में बरखवास्त कर दिया गया था ?

(घ) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग में नियुक्ति के समय श्री माथुर ने अपने प्रार्थनापत्र में इसका कोई उल्लेख नहीं किया ?

(ङ) सरकार इस सम्बन्ध में अब क्या कार्यवाही कर रही है ?

मुख्य एवं शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) ता० २३-८-४८ को सहायक अध्यापक दरबार हाई स्कूल टौंक के पद पर हुई थी।

Page No.2

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

(ख) जी हां, परन्तु उनको किसी गबन के मामले में निलंबित नही किया गया।

(ग) जी नहीं।

(घ) इस बारे में निश्चयात्मक उत्तर नहीं दिया जा सकता क्योंकि इनकी निजी फाइल में इसकी नियुक्ति के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र नहीं है।

(ङ) कोई कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिस समय उनको टौंक हाई स्कूल में नियुक्त किया गया था उस समय वे सरकार के किसी दूसरे विभाग में नौकर थे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वे शुरू में कस्टम में नौकर थे और दर असल गबन के मामले में सस्पेन्ड नहीं किये गये थे बल्कि किसी को अपमानित करने के मामले में सस्पेन्ड किये गये थे। किसी एक व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करने के कारण सस्पेन्ड किया गया था। बाद में जयपुर के प्राइम् मिनिस्टर ने उनको वापिस री-इन्स्टेड कर दिया था।

श्री भैरोंसिंह : क्या इसको यह माना जावे कि जिस समय उनको सर्विस मिली थी, उस समय वे सस्पेन्ड नहीं थे और री-इन्स्टेड हो चुके थे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इतनी विस्तार की जानकारी तो मुझे जयपुर स्टेट की नहीं है। मैंने बताया कि उस वक्त गवर्नमेंट ने उसको २३-८-४८ को नियुक्ति कर दी थी।

श्री भैरोंसिंह : क्या जिस समय उनको री-एपॉइन्टमेन्ट या फ्रेश एपॉइन्टमेंट मिला, उससे पहले उनको री-इन्स्टेट किया जा चुका था।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कर दिया गया होगा। मैं निश्चित तौर से नहीं कह सकता ?

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिस समय उनका एपॉइन्टमेंट हुआ था उस समय अन्डर सस्पेन्शन थे। इस प्रकार का उत्तर पिछले सेशन में गवर्नमेंट के उप मन्त्री की तरफ से दिया गया था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं यह कहूंगा कि जिस समय उनका एपॉइन्टमेंट हुआ जयपुर के प्राइम् मिनिस्टर ने उनकी री-इन्स्टेट किया था। ऐसी बात नहीं है कि वे सस्पेन्ड होकर दूसरे डिपार्टमेंट में चोरी से नियुक्ति ले ली हो। ऐसी बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जयपुर स्टेट ने उनको सस्पेन्ड किया था और उसके बाद वे टौंक में जाकर नौकर हो गये ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने निवेदन किया कि उस वक्त के प्राइम् मिनिस्टर ने उनको री-इन्स्टेट कर दिया था।

श्री भैरोंसिंह : जयपुर स्टेट ने उनको सस्पेन्ड कर दिया और उसके बाद टौंक में जाकर नौकर हो गये और जिस समय इन्टीग्रेशन हुआ तो फिर यहां आ गये। क्या

Page No.3

(श्री भैरोंसिंह)

सरकार ने इस स्थिति को देखा है कि उसका जो एपॉइन्टमेंट टौंक में हुआ वह जायज था या नाजायज था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह पुरानी स्टेटों की बात है। यह टौंक गवर्नमेंट के देखने की बात।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह, टौंक स्टेट ने उनको एपॉइन्ट किया उसके कारण से हुआ है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं कहता हूँ कि जयपुर के प्राइम् मिनिस्टर ने उनको री-इन्सटेट किया और उन्होंने टौंक में एपॉइन्टमेंट ले लिया।

श्री भैरोंसिंह : क्या जब उनका री-एपॉइन्टमेंट कस्टम में हुआ तो इन्टीग्रेशन में उनको एजूकेशन में रखना आवश्यक था या कस्टम में ?

श्री अध्यक्ष : एपॉइन्टमेंट हो चुका था।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ऐसा तो कई जगह हुआ है कि पहले कोई व्यक्ति किसी विभाग में था और बाद में उसका किसी दूसरी जगह इन्टीग्रेशन हुआ।

श्री भैरोंसिंह : जब व्यक्ति पहले कस्टम में था तो उसका इन्टीग्रेशन कस्टम में ही होना चाहिये था न कि शिक्षा विभाग में। और राजस्थान की सर्विस जिस डिपार्टमेंट की थी उसी में उसका फिक्सेशन होना चाहिये। यह अभी तक रहस्य छुपा रहता है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वे किस प्रकार से गये यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता लेकिन मूलभूत बात यह है कि अगर वे सस्पेन्ड होते और दूसरी जगह एपॉइन्टमेंट ले लेते तो दूसरी बात थी लेकिन जयपुर के प्राइम् मिनिस्टर ने उनको री-इन्स्टेट कर दिया। जैसा मैंने पहले कहा कि वे गबन के मामले में सस्पेन्ड नहीं किये गये थे। उनको किसी महाजन के साथ ठीक व्यवहार न करने के कारण सस्पेन्ड किया गया और बाद में उसको विथ्ड्रा कर लिया गया और उनका रीएपॉइन्टमेंट हो गया। दोनों ही जगह की स्थिति स्पष्ट है। मैं यह नहीं कह सकता कि उन्होंने कस्टम में कन्टीन्यू किया या इस डिपार्टमेंट में कन्टीन्यू किया। मगर ऐसा कई बार होता है कि एक व्यक्ति किसी दूसरी जगह जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचंद।

श्री भैरोंसिंह : एक प्रश्न और है। क्या सरकार उचित समझती है कि टौंक स्टेट में जिसका इन्टीग्रेशन अब करीब ही होने वाला था जयपुर स्टेट का एक एम्प्लॉई अन्डर सस्पेन्शन होता है वह टौंक स्टेट को धोखा देकर वहां एम्प्लॉयमेन्ट सीक कर लेता है तो उसको इन्टीग्रेशन के बाद भी प्रोटेक्शन देते रहे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जयपुर स्टेट सस्पेन्ड कर देती है और टौंक स्टेट एपॉन्टमेन्ट दे देती है तो सोचने की बात हो सकती थी कि माना जाय कि ऐसा किया या नहीं। लेकिन जयपुर स्टेट ने ऑर्डर्स विथ्ड्रा कर लिये थे और फिर टौंक स्टेट ने ऐपॉइन्टमेन्ट दिया था।

श्री भैरोंसिंह : जयपुर स्टेट की ओर से रीइन्स्टेटमेन्ट के ऑर्डर्स टौंक स्टेट द्वारा एम्प्लॉये कर लेने के बाद के हैं। इसलिए

Page No.4

(श्री भैरोंसिंह)

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे इसको पहले वेरीफाई कर लें और यदि यह सही चीज़ है तो एक्शन लिया जाय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : एक्शन का प्रश्न नहीं उठता। इन्टीग्रेशन किया गया। दोनों जगह ऑर्डर्स मौजूद हैं। चूंकि इन्टीग्रेशन के बाद गवर्नमेंट इसकी रेस्पोन्सि-बिलिटी ले उसके लिये गवर्नमेन्ट नहीं ले सकती।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : कोई स्टेट में चोर है तो क्या दूसरी स्टेट में वह चोर नहीं रहेगा।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सीटी) : व्यवहार के लिए कहा गया....

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। ऑर्डर।

(घंटी)

श्री मुरलीधर व्यास : व्यवहार के लिए कहा गया इसलिए कहूंगा कि व्यवहार.,

(घंटी)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, प्लीज़, ऑर्डर प्लीज़। उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : व्यवहार के लिए कहा गया इसलिए व्यवहार के सम्बन्ध में जाने की इच्छा होती है।

(घंटी)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री लक्ष्मीचंद।

तहसील सांचोर के शुतर सवार

६६१. श्री लक्ष्मीचंद (सांचोर) : क्या राजस्वमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : (१) ज़िला जालोर के सांचोर तहसील के शुतर सवार श्री भारथा को कब से नौकर रखा है और उसको तामीलों में कब कब भेजा गया ?

(२) क्या यह सत्य है कि जिस दिन से श्री भारथा को नौकर रखा गया है, उस दिन से तामीलों में न भेजा जाकर तहसील के स्टाफ के लिये पानी भरवाया जाता है ? यदि हां, तो ऐसा करने के क्या कारण हैं ?

(३) क्या उस शुतर सवार को पानी भराई का कोई अलाउन्स दिया जाता है ?

उपमंत्री राजस्व विभाग (श्री सम्पतराम) : (१) ३१ जुलाई सन् ५७ से नौकर रखा गया और गांव के बाहर उसे तामीलों में नहीं भेजा गया। जो अनियमितता की गई हैं, उसके लिए ज़िलाधीश को जांच के लिए लिख दिया गया है।

(२) गांव की तामीलों के अलावा श्री भारथा तहसील कार्यालय में उपयोग के लिए पानी भरते हैं। इसका कारण पानी की बहुत कमी है।

(३) जी नहीं।

श्री लक्ष्मीचंद : इसका अलाउन्स किसको दिया जाता है ?

श्री सम्पतराम : इसका जवाब मैंने दे दिया है।

श्री लक्ष्मीचंद : सुना नहीं।

श्री सम्पतराम : शुतुर सवार का काम पानी भरने का नहीं है, जो अनियमितता

Page No.5

(श्री सम्पतराम)

हुई है उसके लिए कलेक्टर को लिख दिया है कि तहसीलदार के खिलाफ़ कार्यवाही करें।

श्री मूलचद डागा (पाली) : अब तो यह काम नहीं लिया जाता ?

श्री सम्पतराम : यह लिख दिया गया है कि जिस काम के लिए नियुक्त किया गया है उससे वही काम लिया जाय और यदि नौकरी की आवश्यकता नहीं है तो उसको हटा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास !

जवाहर विद्यापीठ, कामोड़

६६२. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या कानोड़, उदयपुर में जवाहर विद्यापीठ नाम की कोई संस्था है।

(२) यदि हां, तो क्या यह संस्था श्री जवाहरलाल नेहरू के नाम से है, या जैन मुनि जवाहरलालजी के नाम से है ?

(३) इस संस्था को सरकार प्रतिवर्ष क्या सहायता देती है ?

(४) क्या यह संस्था सरकार से श्री नेहरू के नाम पर सब जैन लोगों से जैन मुनि जवाहरलालजी के नाम पर चन्दा जमा करती हैं ?

मुख्य एवं शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) जी हां।

(२) जैन मुनि श्री जवाहरलालजी के नाम पर हो सकती है। श्री जवाहरलालजी नेहरू के नाम से नहीं है।

(३) सन् ५७-५८ में १३६१२) रु० सहायता दी गई थी। नैट खर्चे का ७५ प्रतिशत सहायता दी जाती है।

(४) इनको जो सहायता सरकार की तरफ से दी जाती है वह किसी विशेष नाम के कारण नहीं दी जाती।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : यह संस्था क्या काम करती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह तो मैं समझता हूं कि प्रश्न में ही दिया हुआ है। यह हाईस्कूल है।

श्री मुरलीधर व्यास : जैसा आपने फरमाया कि जवाहरलालजी मुनि हो सकते हैं, जवाहरलालजी मुनि के नाम से यह संस्था हो सकती है परन्तु जवाहरलालजी नेहरू के नाम से नहीं है। यह कैसे हो सकता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : 'हो सकता है' इसलिये कहा कि जवाहरलालजी नेहरू का तो नाम लिया नहीं। चन्दा जवाहरलालजी के नाम से लेते हैं। लेकिन जवाहरलालजी नेहरू के नाम से चन्दा इक्टठा नहीं होता। मुनि के नाम से हो सकता है।

श्री मुरलीधर व्यास : यह संस्था साम्प्रदायिक आधार पर चलती है या शिक्षा विभाग के जो साधारण नियम हैं उनके अन्तर्गत चलती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह जहां तक पढ़ाई का सवाल है शिक्षा विभाग के जो नियम हैं उनके अनुसार चलती है और नाम

Page No.6

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

का जहां तक ताल्लुक है जातियों के नाम से भी तो संस्थायें होती हैं। जवाहरलालजी का नाम लिखा है, मुनि नहीं लिखा है।

डॉ० **चन्द्रकला** (किशनपोल बाज़ार, जयपुर) : क्या ये जैनियों के आचार्य थे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी हां।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या जैन शिक्षा यहां पर अनिवार्य रूप से दी जाती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

राजस्थान के कलाकारों पर राजस्थान की झांकियां दिखलाये जाने पर खर्च

६६३. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) सरकार द्वारा गत २६ दिसम्बर, १६५६ और उसके पहिले १५ अगस्त, १६५८ में जो कलाकार आदि राजस्थान की झांकियां दिखलाने के लिये भेजे गये थे, उन पर क्या खर्चा हुआ ?

(२) उक्त कलाकार किन किन जगहों के थे ? सूची दीजियेगा।

(३) क्या उक्त कलाकारों के साथ कोई सरकारी कर्मचारी भी गये थे ? यदि हां, तो कौन कौन ? सूची दीजियेगा।

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) सरकार द्वारा गत २६ जनवरी १६५६ को जो कलाकार राजस्थान की झांकी व लोकनृत्य दिखलाने देहली भेजे गये थे, उन पर निम्न प्रकार खर्चा हुआ :

राजस्थानी झांकी ७५६१) रु० ६५ नये पैसे

सूत्रधार (कटपुतली) पर राजस्थान लोक नृत्य पर २०००)

कुल ६५६१-६५

गत १५ अगस्त १६५८ को कोई झांकी प्रस्तुत नहीं की गई।

(२) लोकनृत्य के कलाकार ग्राम जोधाना (जोधपुर) के किसान थे और झांकी के कलाकार बीकानेर शहर के थे। इनकी सूची संलग्न है।

(३) जी हां। सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री मूलचन्द डागा : क्या जिन जिन स्थानों पर कलाकार भेजे गये वहां कला मन्दिर खोलने की मांग है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी नहीं।

श्री मूलचन्द डागा : क्या कला को प्रोत्साहन देना नहीं चाहते हैं ?

प्रश्न संख्या ६६४

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

(श्री अध्यक्ष)

श्री भीमसेन

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लूण-करणसर में प्रशासनिक इमारतों का निर्माण

६६५. श्री **भीमसेन** (लूणकरणसर): क्या योजना मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के निर्माण के वक्त ज़िला विकास समिति, बीकानेर ने कस्बा लूणकरणसर में तहसील भवन तथा पुलिस स्टेशन भवन आदि प्रशासनिक इमारतों के बनाने की योजना सरकार के समक्ष प्रस्तुत की थी ? अगर हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

योजना मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : द्वितीय पंचवर्षीय योजना के निर्माण के समय ज़िला विकास समिति बीकानेर की ओर से कस्बा लूणकरणसर में तहसील भवन बनाने की योजना सरकार के समक्ष प्रस्तुत की गई थी और उसके बनाने के लिए ४० हजार रुपयों का प्रावधान रखा गया है। पुलिस स्टेशन बनाने की कोई योजना सरकार के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई।

श्री भीमसेन : ४० हजार रुपया कौन से साल में रखा गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : दूसरी पंचवर्षीय योजना काल में।

श्री भीमसेन : अब कब होगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अभी तो योजना के दो साल बाकी हैं इस साल नहीं तो अगले साल।

श्री अध्यक्ष : श्री मंगलसिंह

तहसील जसवन्तपुरा में माध्यमिक व प्राथमिक पाठशालायें

६६६. श्री **मंगलसिंह** (रानीवाड़, श्री लक्ष्मीचन्द द्वारा पूछा गया) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

तहसील जसवन्तपुरा ज़िला जालौर के देहाती क्षेत्र के किन किन गांवों में सन् '५७, '५८ में माध्यमिक व प्राथमिक पाठशालायें खोली गई हैं ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : इस तहसील में निम्नलिखित गांवों में प्राथमिक शालायें खोली गई हैं :

(१) मेंडा, (२) चाटवाड़ा, (३) बसेरी, (४) धामसीन, (५) मांडोली, (६) कूका, (७) नादिया, (८) पासाना, (९) रानीवाड़ा खुर्द, (१०) भागलसेटम, (११) सामता। केवल प्राथमिक शाला तावाव को माध्यमिक शाला में परिवर्तित किया गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

सन्त विनोबा भावे को ग्रामदान

६६७. श्री **मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सन्त विनोबा भावे को डूंगरपुर ज़िले में १२ ग्राम भूदान में समर्पित किये गये हैं ? यदि हां, तो कौन कौन से ?

(श्री मूलचन्द डागा)

(२) इन ग्रामों की लैण्ड रेवेन्यू एक्ट एण्ड राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत क्या स्थिति रहेगी तथा इनकी गिरदावरी व बिघोड़ी कैसे इकट्ठी की जावेगी ?

(३) क्या उक्त ग्रामों व अन्य ग्रामों की खातेदारी में कोई अन्तर रहेगा ?

उप-मंत्री राजस्व विभाग (श्री सम्पतराम) : (१) डूंगरपुर जिले में १३२ ग्राम सन्त विनोबा भावे को ग्राम दान में प्राप्त हुए हैं । ग्रामों की सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई है ।

(२) व (३) इस सम्बन्ध में अभी कोई नियम नहीं बनाये गये हैं । ग्रामदान बिल विधान सभा में इसी सत्र में पेश किया जा रहा है ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री मूलचन्द डागा : लिख कर भेंट नामा दिया गया या कैसे ये ग्राम दिये गये ?

श्री सम्पतराम : जी हां, लिख कर दिया है ।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : ग्राम दान कैसे ? जागीरदारों से जागीरें खत्म हो गई, वे ग्राम दान दिया करते थे । ग्रामदान देने के अधिकार और लेने के अधिकार कॉन्स्टिट्युशन में हैं क्या ?

श्री सम्पतराम : जैसी शंकायें आपने उत्पन्न की, तो इस प्रकार की शंकाओं के आधार पर एक बिल पेश किया जा चुका है ।

श्री मदनसिंह : अब ग्रामदान किस आधार पर होगा ? आज तो सन्तजी आये हुए हैं जिससे कर दें, कल कोई महन्तजी आवेंगे तो और कोई कर दे, तो फिर इन चीजों का कैसे सामना करेंगे ?

श्री सम्पतराम : सद् इच्छा से कर दे तो ले लेना चाहिये । जागीरों को समाप्त करने के पहले यदि जागीरों को जागीरदार स्वेच्छा से ओफ़र कर देते तो स्टेट गवर्नमेंट उसको रिफ्यूज नहीं करती । जो ग्राम गरीब किसानों के हित में नीति है उसको काम में लेना चाहिये और पालन करना चाहिये ।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : देने वाले की कोई जागीर है और विनोबाजी को कोई जागीर देता है, इस प्रकार का एक कन्फ्युज़न है, अध्यक्ष महोदय ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : कोई कन्फ्युज़न की बात नहीं है । काश्तकारों ने स्वेच्छा से जमीनों का दान कर दिया है । उसका री-डिस्ट्रिब्युशन हो जाय जो लोगों के हित में हो । किसी को जागीर नहीं मिलती है ।जो भूमि हीन हैं उनके हाथ में यह पहुँचे यही इसका मकसद है ।

श्री मदनसिंह : भारतवर्ष के काश्तकार सन्त विनोबा को ही या और किसी को देते हैं, दांता के काश्तकार मुझे देना चाहते हैं, तो क्या आप उसको स्वीकार करेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : विनोबाजी को नहीं दिये हैं । वे तो विलेज कम्युनिटी को दिये गये । आपको काश्तकार दे तो वे आपकी नहीं मानी जावेंगे किन्तु विलेज हित में दिये जावेंगे तो कोई बात नहीं हो सकती ।

Page No.9

श्री मदनसिंह : नियम नहीं बने उसके पहले ही ग्रामदान हो चुके हैं उनका क्या होगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : बिल में प्रोविज़न किया हुआ है कि जो ग्राम दान में दिये जा चुके हैं उनको रेग्युलेराइज़ कर दिया जावेगा। जो भूदान एक्ट है उसमें जमीन सरेन्डर करने के अधिकार हैं।

श्री मदनसिंह : यह ग्रामदान नहीं ज़मीन का दान है, ग्रामदान देने का कोई कानून ही नहीं है। उसके पहले इस प्रकार की कार्यवाही कानून के खिलाफ़ नहीं है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ग्रामदान होता क्या है केवल ज़मीन ही का दान होता है काश्तकारों द्वारा ज़मीन दी जाती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार जयपुर) : जब तक कानून पास नहीं होता गश्त गिरदावरी किनके नाम रहेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इन्डिविज्युअल काश्तकारों के नाम होगी।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : जो भूमि ग्रामदान के रूप में विनोबा भावे को प्राप्त हुई है, उसका वितरण क्या सरकार के हाथ में रहेगा ?

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा : यह ग्रामदान क्या लिखित रूप में दिया है और किसने दिया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : किसानों ने।

श्री मूलचन्द डागा : क्या गांव के सारे किसानों ने मिल कर दिया था या कुछ लोगों ने ?

श्री दामोदर लाल व्यास : देने वालों में ८० प्रतिशत ज़मीन वाले खातेदार और ५० प्रतिशत भूमि होनी चाहिये दोनों मिल कर के जब दान देते हैं उसको ग्रामदान मान लेते हैं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : क्या इस प्रकार की स्थिति भी सामने आयी है कि गांव वाले कुछ किसानों ने ही लिखकर दिया और उसको ग्राम दान मान लिया इसी प्रकार झुंझनू ज़िले के हनुमानगढ़ में सरदारजी ने ग्रामदान तो दे दिया लेकिन वहां के किसानों ने मन्जूर नहीं किया, ऐसी स्थिति में क्या होगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह तो आप सूचना दे रहे है, हनुमानगढ़ में क्या हुआ यह मुझे पता नहीं, यह बात जरूर है कि काश्तकार जहां अपनी रज़ामन्दी से नहीं देते वह भूदान विनोबाजी खुद भी मन्जूर नहीं करते हैं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : कुछ लोग दे देते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने आपसे निवेदन किया जब तक ८० प्रतिशत खातेदार और ५० प्रतिशत ज़मीन नहीं होती उसको ग्रामदान नही माना जाता।

श्री मदनसिंह : नेहरूजी को भी दिये थे लेकिन मानता कौन है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सरकार मानेगी।

श्री गिरधारीलाल : जो भूमि ग्रामदान के रूप में दी गई है, उसका वितरण क्या सरकार अपने हाथ में रखेगी ?

Page No.10

श्री दामोदरलाल व्यास : ग्रामसभा के हाथ में होगा। इस विषय में एक कानून विधान सभा के सामने पेश किया गया है, मैं नहीं कह सकता सदन उसमें क्या संशोधन करे। लेकिन जो बिल सरकार ने पेश किया है, उसमें इस प्रकार का प्रोविज़न है कि उसका वितरण ग्राम सभा के हाथ में होगा।

श्री किशनसिंह बट्टड़ (लछमणगढ़): जिस प्रकार दांता साहब अपने ज़ागीर में छुटा बांटा लेते थे, क्या उसी प्रकार की बटाई इसमें भी ली जायगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं।

श्री शिवचरणदास (मांडल) : इस दान में बिना नाम की जो भूमि है क्या वह भूमि भी इसमें सम्मलित है क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सरकार ने ऐसा निश्चय किया है कि इस सम्बन्धी सारे अधिकार ग्रामसभा में कम्पलीट वेस्ट हो जाय तब सरकार अपनी पड़त भूमि को भी ग्राम सभा को दे देगी।

श्री शिवचरणदास : मेरा प्रश्न यह है कि इस वक्त जो पड़त भूमि है वह भी क्या ग्रामदान में दे दी गई है क्या ?

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में सदन में बिल पेश किया गया है, उसमें जैसा भी सदन समझेगा प्रावधान रखेगा।

श्री शिवचरणदास : मेरा प्रश्न यह है अभी तक तो कानून पास नहीं हुआ है लेकिन जब ग्रामदान को स्वीकार कर लिया गया वैसी हालत में जो पड़त भूमि है क्या उसको भी उस ग्रामदान में मान लिया गया है क्या ?

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर मिल चुका है। नेक्स्ट।

तहसील कोलायत में हाई स्कूल का अभाव

६६८. श्री रूपाराम (नोखा-सु,) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार के ध्यान में है कि तहसील कोलायत में कोई हाई स्कूल नहीं है ?

(२) यदि हां तो सरकार तहसील हैड क्वार्टर पर कब तक हाई स्कूल खोलने का विचार रखती है ?

मुख्य एवं शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) जी नहीं।

(२) कोलायत तहसील में दो राजकीय माध्यमिक पाठशालायें चल रही हैं। एक कोलायत में दूसरी गजनेर में वर्तमान में ये शालायें सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करती इसलिये हायर सेकेन्डरी स्कूल में परिवर्तित करना संभव नहीं है, जिस समय भी ये शालायें इन शर्तों को पूरा करेंगी इन्हें हायर सेकेन्डरी स्कूल में परिवर्तित करने के प्रश्न पर विचार किया जावेगा।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर शहर): ऐसी कौनसी शर्तें हैं जिनको ये माध्यमिक पाठशालायें पूरा नहीं करती ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : लड़कों की तादाद नवीं क्लॉस में ठीक होनी चाहिये इस वक्त कोलायत की स्कूल की ८वीं कक्षा में ११ और गजनेर में सिर्फ तीन छात्र हैं।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या यह सरकार की नीति है कि तहसील हैडक्वार्टर पर एक हायर सैकिन्डरी स्कूल होना चाहिये ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आज राजस्थान के चालीस तहसील हैडक्वार्टर ऐसे हैं जहां पर हायर सेकेन्डरी स्कूल्स नहीं है । हम सालों साल कुछ जोड़ते हुए आयेंगे जहां ज्यादा विद्यार्थी हैं और जहां पर ज्यादा लोग लाभ उठा सकते हैं उस बात को ध्यान में रखते हुए हायर सेकेन्डरी स्कूल खोलने के बारे में निर्णय किया जायगा ।

श्री सूबेदारसिंह (बाड़ी) : जहां पर मिडिल स्कूल है और कक्षा ८वीं है तथा विद्यार्थियों की संख्या भी काफ़ी अधिक है क्या वहां हायर सेकेन्डरी स्कूल खोला जायगा ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसके अलावा दूसरे कारण भी और साथ हैं । ऐसा भी हो सकता है एक जगह ८वीं कक्षा में विद्यार्थी काफ़ी हो किन्तु पास में हायर सेकेन्डरी स्कूल है । वैसी हालत में उसके मुकाबले दूसरी जगह विद्यार्थियों की तादाद कम होते हुए भी हायर सेकेन्डरी स्कूल को प्राथमिकता दी जायगी ।

श्री सूबेदारसिंह : पास से मतलब कितनी दूरी से है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कम से कम १५ मील के आसपास के एरिया को मानकर के चलते हैं ।

प्रश्न संख्या ९९९

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मण हीरात ।

(अनुपस्थित)

जयपुर शहर में स्लम क्लीयरेन्स योजना

१०००. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाज़ार जयपुर) : क्या योजना मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार की जयपुर शहर की जालूपुरा बस्ती को स्लम क्लीयरेन्स स्कीम के अन्तर्गत सुधारने की योजना है ? यदि हां, तो कब तक ?

(२) जयपुर शहर की और कौन सी बस्तियां कब कब स्लम क्लीयरेन्स योजना के अन्तर्गत सुधार कर बसाई जायगी ?

योजना मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) ऐसी कोई योजना नहीं बनाई गई है ।

(२) इसके सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

डॉ० चन्द्रकला : क्या सरकार के पास जयपुर शहर के बारे में कोई योजना स्लम क्लीअरेन्स के सम्बन्ध में है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : एक योजना इस बारे में बनी थी, लेकिन उसमें शर्त यह थी कि उसका २५ प्रतिशत कन्ट्रीब्युशन म्युनिसिपैलिटी की ओर से होना चाहिये । म्युनिसिपैलिटी की ओर से वह शेयर न मिलने से उसमें देर लगी अब सरकार यह सोच रही है कि उसकी तरफ से एक योजना बनाई जाय ताकि उसकी उपयोगिता जनता को और म्युनिसिपैलिटी को नजर आय । इस बारे में एक योजना तैयार कर ली गई है ।

डॉ० चन्द्रकला : वह योजना कब से शुरू हुई और कब तक समाप्त हो जायगी ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : क्या यह सही है कि सेंट्रल गवर्नमेन्ट द्वारा इस स्लम क्लीअरेन्स योजना के अन्तर्गत जो रुपया दिया था वह लैप्स हो गया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह लैप्स होने का सवाल नहीं वह खर्च ही नहीं हुआ। पांच साल के अन्दर उस रुपये को यूज़ किया जा सकता है। उसमें शर्त यह है कि २५ प्रतिशत लोकल बोडीज़ को कन्ट्रीब्यूट करना चाहिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या स्लम क्लीयरेन्स योजना के अन्तर्गत जो रुपया केन्द्रीय सरकार ने दिया था वह क्या अभी सरकार के पास है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अभी वह रुपया इस साल खर्च करना चाहते हैं।

डॉ० चन्द्रकला : वह किस बस्ती पर खर्च होगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मुझे बस्ती का तो नाम याद नहीं ऐसा कुछ मालूम है सिनेमा के पीछे, शहर के पास।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): क्या यह निश्चित है कि २५ प्रतिशत म्युनिसिपैलिटी की तरफ से कन्ट्रीब्युट हो तभी यह खर्च किया जाय ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : क्योंकि इसके अन्दर म्युनिसिपैलिटी की तरफ से रुपया नहीं आ रहा है वैसी हालत में एक बार सरकार की तरफ से उसका शेयर देकर के यह योजना चालू की जायगी ऐसा निर्णय किया गया है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या सभी जगह के लिये इसी तरह से किया जायेगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : नमूने की तौर पर हम इसकी शुरूआत करके यह जनता के सामने रखना चाहते हैं कि इससे कितने लाभ हैं ताकि आगे म्युनिसिपैलिटी और आम लोग भी तैयार हों।

अलवर में स्नातकोत्तर कक्षायें, टैक्निकल कॉलेज तथा राजर्षि कॉलेज में अन्य विषयों की कक्षायें

१००१. **श्री सूरजमल** (फलोदी–सु.) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या सरकार अलवर में स्नातकोत्तर कक्षायें टैनिक्कल कालेज व राजर्षि कॉलेज में अन्य विषयों में कक्षाऐं खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : राजर्षि कॉलेज़ अलवर में स्नातकोत्तर कक्षायें खोलने का सरकार का अभी कोई विचार नहीं है। जुलाई सन् १९५९ से बी० एस० सी० कक्षाओं में बॉटेनी तथा ज़्योलोजी विषय आरम्भ किये जायेंगे।

खारची क्षेत्र में शराब, भांग, गांजा आदि के ठेके

१००२. **श्री मनरूपराम परिहार** (खारची–सु.) : क्या कर व आबकारी

(श्री मनरुपराम परिहार)

मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि शहरों से गांव में शराब, भांग, गांजा, चर्स, अफ़ीम आदि की खपत अधिक है ? यदि हां, तो खारची तहसील में कहां कहां पर किन किन ठेकेदारान के ठेके हैं ? सूची सदन की मेज़ पर रखने की कृपा करें ।

(२) क्या यह भी सही है कि उक्त ठेकों की नीलामी का समय नियुक्त किया हुआ है ? यदि हां. तो क्या अवधि रखी गई है और वे कब और किस अधिकारी द्वारा कहां पर व किन किन आधारों व शर्तों पर नीलाम किये जाते हैं ?

(३) क्या यह भी सही है कि उक्त नशीली वस्तुओं पर ठेके की दुकान वालों को क्रय विक्रय में कमीशन दिया जाता है ? यदि हां, तो वे किन किन भावों से सरकार देती है और किन किन भावों से ठेकेदार जनता को देते हैं। सूची सदन की मेज़ पर रखने की कृपा करें ।

उपमन्त्री राजस्व विभाग (श्री सम्पतराम) : (१) राज्य के शहरी तथा गैर शहरी क्षेत्रों की कुल बिक्री को देखते हुए शराब और अफीम की कुल बिक्री शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा देहाती क्षेत्रों में अधिक है। भांग व गांजे की बिक्री शहरी क्षेत्रों में ज्यादा है ।

(२) ठेकों की नीलामी का समय प्रत्येक वर्ष नियुक्त कर दिया जाता है सन् ५८-५९ में यह नीलाम १२ व १३ फरवरी ५८ को और इस साल १६ व १७ फरवरी ५९ को किया गया था। ठेकों का नीलाम उपयुक्त आबकारी व कर विभाग डिविज़न जोधपुर द्वारा किया गया था ठेकों की शर्तें जो दिनांक ४।२।५९ के राजस्थान गजट में दी हुई हैं इसकी प्रतिलिपि सदन की मेज़ पर रख दी गई है ।

(३) इसकी सूची कमिश्नर आबकारी व कर के दिनांक १२।१।५८ के विज्ञापन में दी हुई है जिसकी प्रतिलिपि मेज़ पर रख दी गई है ।

(सूची अत्यधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई ।)

श्री सूरजमल (फलौदी–सु.) : क्या यह सही है कि ठेके की रकम जितनी देनी पड़ती है उससे कमीशन कम मिलता है ?

श्री सम्पतराम : हो सकता है किसी केस में ऐसा हो मेरी जानकारी में यह बात नहीं है ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर शहर) : जितनी रकम ठेके की दी जाती है, अगर उससे कमीशन कम मिलता है तो वे किस प्रकार से काम चलाते होंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : वह तो उनको पूछें तो मालूम होगा।

श्री सम्पतराम : मैं तो इसका जवाब नहीं दे सकता ।

श्री मुरलीधर व्यास : इसका मतलब यह है कि हर चीज़ में मिलावट होती है ?

श्री सम्पतराम : यह तो आप मान लीजिये ।

Page No.14

गोनेडा कस्बे में मिडिल स्कूल

१००३. **श्री रामकरणसिंह** (कोट पुतली) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि तहसील कोटपुतली के गोनेडा कस्बे में ज़िला विकास समिति ने मिडिल स्कूल खोलने की सिफ़ारिश १६५८ में की ?

(२) यदि हां, तो अब तक स्कूल क्यों नहीं खोला गया है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) जी हां।

(२) चूंकि ज़िला विकास समिति द्वारा प्रस्तावित सूचि में गोनेडा कस्बे का नाम चौथे नम्बर पर था और स्कूलों का कोटा इन्स्पेक्टोरेट जयपुर पश्चिम के लिये २ मिडिल स्कूलों का था इस कारण वहां मिडिल स्कूल नहीं खोला जा सका।

श्री रामकरणसिंह : ज़िला जयपुर में जिस प्रकार स्कूलों का कोटा दिया जाता हैं आबादी के लिहाज़ से तो क्या वह और ज़िलों के मुकाबले में आबादी के अनुपात से कम होता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी नहीं, आबादी को देखते हुए ही पूरा दिया जाता है।

श्री रामकरणसिंह : क्या यह सही है कि ज़िला विकास समिति, जयपुर ने अपनी रिकमन्डेशन में जो दिया है क्या वह जितना कोटा शिक्षा विभाग से मिलने वाला था उतना ही मांगा गया था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी नहीं, ज़िला विकास समितियां तो अपने अनुपातिक कोटे से ज्यादा रिकमन्ड करके भेजते हैं और फिर शिक्षा विभाग का जितना कोटा होता है आबादी के हिसाब से, अनुपात से, करके प्रायोरिटी के हिसाब से देती है।

श्री रामकरणसिंह : क्या इस साल जुलाई से खुलने वाले स्कूलों के वक्त तक स्वीकृति भेज दी जावेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह ज़िला विकास समिति की सिफारिश पर निर्भर करेगा ?

श्री अध्यक्ष : सिफारिश आपकी गये साल आई थी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह रिपीट होने पर और दो का अलॉटमेन्ट हुआ तो आ जानी चाहिये।

श्री रामकरणसिंह : पिछली बार जो सिफ़ारिश की गई तो क्या वह टाइम बार समझी जावेगी, क्या दुबारा नई सिफ़ारिश आनी चाहिये ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हर वर्ष हम सिफारिश मांगते हैं और हर साल जो मांगी जाती है उसके हिसाब से अलॉटमेन्ट करते हैं।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : आपने फरमाया कि ज़िले की आबादी के अनुपात से कोटा दिया जाता है, उदयपुर ज़िला बड़ा है पर उसको आबादी के लिहाज़ के कम कोटा मिलता है जब कि विकास समिति की सिफारिश भी बराबर होती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी नहीं, मिल रहा है।

श्री जनार्दनराय नागर : आज दिन तक तो नहीं मिला है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सारी बातों को देखते हुए ठीक ही दिया जाता है।

हाथ कर्घा उद्योग के लिये भारत सरकार द्वारा सहायता

१००४. **श्री रामेश्वरदयाल** (कोटा श्री लाल्लूराम टटवाड़िया द्वारा पूछा गया) क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) हाथ कर्घा उद्योग योजनाओं के लिये भारत सरकार से कितनी कितनी धन राशि ५७-५८ व ५८-५६ में सहायता के रूप में राजस्थान को मिली ?

(ख) उक्त धन राशि को किस प्रकार से खर्च किया गया ? इसकी एक सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उपमन्त्री उद्योग विभाग (श्री खिलचन्द धारीवाल) : (१) १६५७-५८ में १०,२१,७६० : १० न. पै., १६५८-५६ ५,६४,२६२ रुपया।

(२) उक्त धन राशि के खर्च के ब्योरे की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखें)

प्रश्न संख्या १००५

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूराम।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिए)

टिन शीट्स पर बिक्री कर की दरें

१००६. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) : क्या मन्त्री, बिक्री विभाग निम्न-लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) गेल्वेनाइज्ड टिन शीट्स पर रोलिंग मिल से जिस रूप में उनका निर्माण होता है, बिक्री कर की दरें क्या हैं ?

(२) क्या यह सही है कि सीकर ज़िले में एक ही प्रकार की चद्दरों के लिये भिन्न भिन्न व्यापारियों से भिन्न भिन्न दरों पर टैक्स लिया है ? यदि हां, तो क्यों तथा किस किस प्रकार से ?

उपमन्त्री, बिक्री विभाग (श्री सम्पतराम) : (१) सम्भवत: माननीय सदस्य का आशय गेल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स से है। यदि हां, तो नोटिफिकेशन दिनांक ६-५-५७ के अनुसार उक्त तिथि से इन पर बिक्री कर की दर २ प्रतिशत है।

(२) नोटिफिकेशन में आयरन एण्ड स्टील के कुछ रूपों का विवरण था। उस विवरण में गेल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स नाम का उल्लेख न होने से सम्भव है सीकर अथवा अन्य किसी ज़िले में भी किसी अधिकारी ने ऐसे शीट्स पर सामान्य दर से ३½ प्रतिशत से टैक्स आंका हो।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : पर वहां तो किसी व्यापारी से २ प्रतिशत के हिसाब से और किसी से कुछ के हिसाब से चार्ज किया है एक ही गेल्वेनाइज्ड आयरन शीट पर।

श्री सम्पतराम : मैंने अर्ज किया न कि हमने इन्टर प्रीटेशन के लिये ६-५-५७

(श्री सम्पतराम)

को नोटिफिकेशन निकाल दिया है । फिर एग्रीव्ड पार्टी को अगर तकलीफ होती है तो अपील और रिवीज़न में जा सकता है ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : अपील में या रिवीज़न में जाने से पहले आप ऑफिशियली क्लेरिफिकेशन के लिये नोटिस जारी क्यों नहीं कर देते हैं ?

श्री सम्पतराम : वह तो मैंने निवेदन किया न कि ६–५–५७ को हमने नोटिफिकेशन जारी किया है जिससे क्लेरिफिकेशन हो जाता है । अब हो सकता है कि उसके पहले कुछ और इन्टरप्रीटेशन लगाकर अधिक टैक्स ली गई हो और वह क्लेरिफिकेशन की बात उसके ध्यान में नहीं रही हो । तो उसके बारे में स्पष्टीकरण तो भेज दिया गया है । अगर फिर भी गलती रह गई है तो एग्रीव्ड पार्टी अपील या रिवीज़न में जा सकती है ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मैंने निवेदन किया कि आप ऑफिशियली उनको कह दें तो अधिक ठीक रहेगा, बिना वजह कोर्ट में आप किसी को क्यों भेजते हैं अपील और रिवीज़न के लिये ?

श्री सम्पतराम : माननीय सदस्य ने जो दिक्कत पेश की है उसको मानते हुए क्लेरिफिकेशन हमने ६ सितम्बर, ५८ को जारी कर दिया है कि कॉस्ट पर दो पर्सेन्ट टैक्स लगेगा ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : इसके बाद में भी बढ़ा हुआ टैक्स ले रहे हैं इसके लिये कह रहा हूं ।

श्री सम्पतराम : इन हालतों में तो एग्रीव्ड पार्टी को अपील या रिवीज़न में जाना चाहिये । उन अधिकारियों को कितनी वार्निंग दी जा सकती है यह देखकर कि किन हालतों में उसने असेस किया है ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : आपके स्पष्टीकरण के बाद में उन्होंने टैक्स अधिक लिया है । अगर ऐसे मामले आपके सामने लाये जायें तो क्या आप जांच करवाएंगे ?

श्री सम्पतराम : जांच कराने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है । जांच तो करा लेंगे ।

टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज बीकानेर

१००७. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) बीकानेर में टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज़ कब से स्थापित है ?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त कॉलेज़ बन्द किया जा रहा है या अन्यत्र ले जाया जा रहा है ?

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त कॉलेज़ के लिए मौजूदा सीनियर टीचर्स कोर्स के लिए कोलायत में उपयुक्त स्थान तलाश कर लिया गया है ?

शिक्षा मन्त्री : (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) सितम्बर सन् १९४६ से ।

(२) यह कॉलेज़ बन्द नहीं किया जा रहा है । अन्यत्र ले जाने का प्रश्न विचाराधीन है ।

(३) जी नहीं ।

Page No.17

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या यह सही है कि उपरोक्त कॉलेज़ के लिये मौजूदा टीचर्स कोर्स की बिल्डिंग तथा सीनियर टीचर्स कोर्स के लिये कोलायत में उपयुक्त स्थान तलाश कर लिया गया है ? वहां जब स्थान अवेलेबल है तो अन्यत्र ले जाने का क्या सवाल आता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने कहा कि, जी नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास : फिर किन कारणों से अन्यत्र ले जाने का विचार किया जा रहा है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसलिये कि मेडिकल कॉलेज अगले साल से शुरू करना है और इसी बिल्डिंग में शुरू करना है इसलिये इसको दूसरी जगह ले जाना आवश्यक होगा।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : किस स्थान पर ? फिर मेडिकल कॉलेज़ की तो अलग बिल्डिंग की स्कीम है, एक साल के लिये एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने से क्या लाभ ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वैसे दूसरे स्थान पर भी कुछ न कुछ होना चाहिये। वहां मेडिकल और वेटेरनरी कॉलेज़ होंगे, तो, वैसी हालत में उसे अन्यत्र ले जाया जा रहा है, फिर अभी स्थान की भी तकलीफ़ है।

श्री मुरलीधर व्यास : सवाल यह है कि जब इस प्रकार से शिक्षा विभाग वहां है और इसके लिये टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज़ वहां है और वह रिकग्नाइज्ड है, पुराना है, अब चूंकि मेडिकल कॉलेज़ बन रहा है इसलिये उसको वहां से हटाये जाने में बौद्धिक तत्व क्या है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : क्योंकि मैंने अर्ज किया इस वक्त उपयुक्त स्थान मौजूद नहीं है और अभी करीब दो साल तक मेडिकल कॉलेज़ को उस बिल्डिंग में चलाना पड़ेगा, जब ऐसी बड़ी चीज़ करते हैं तो इसके साथ ही दूसरी जगह अगर वह जावे तो यह उचित ही होगा।

श्री मुरलीधर व्यास : बड़ी चीजें तो और भी कई जगह हैं। बड़ी चीजें बनाई गई हैं कहीं पर तो जोधपुर में जहां इन्जीनियर कॉलेज बन गया था क्या वहां से कोई चीज़ हटावेंगे, हाई कोर्ट वहां हो गया तो क्या कोई चीज़ हटावेंगे। यह कोई नीति नहीं है। शिक्षा विभाग वहां पर है तो टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज़ अनिवार्य है और बौद्धिक दृष्टि से देखें तो यह ठीक नहीं जंचता कि उसे आप अन्यत्र ले जावें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह आवश्यक नहीं कि शिक्षा विभाग जहां पर हो, वहां टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज़ होना ही चाहिये। अजमेर में भी है। दूसरा निवेदन करना है कि बीकानेर डिविजन में, सरदार-शहर में टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज़ ऑलरेडी है, एक डिविज़न में दो टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज़ आवश्यक नहीं हैं जब कि हम समझते हैं कि कोटा डिविज़न में एक भी नहीं है तो कोटा में उसे स्थानान्तरित करें।

श्री भीमसेन : यह बीकानेर स्टेट में बहुत पुराना कॉलेज़ है और अगर इसमें अभी फिलहाल के लिये दो साल के लिये मेडिकल कॉलेज़ आ रहा है तो कोलायत में मकान बहुत हैं उसे वहां ले

(श्री भीमसेन)

जाया जा सकता है, बीकानेर स्टेट में यह बहुत पुराना कॉलेज़ है, इसको क्यों ले जाया जा रहा है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

डॉ० **चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या यह कोटा जाने वाला है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी हां, यही विचार है।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या केवल इस दृष्टिकोण से हटाया जा रहा है कि चूंकि वहां मेडिकल कॉलेज़ आ रहा है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने दो कारण निवेदन किये थे। एक टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज़ वहां सरदारशहर में चल रहा है, तो दो एक डिविज़न में हैं जब कि दूसरी तरफ कोटा डिविज़न में एक भी नहीं है। आज के दिन एक अजमेर में है, एक उदयपुर में है, बीकानेर में दो हैं, कोटा में और जोधपुर के अन्दर कोई नहीं है तो जोधपुर के अन्दर पिछले टाइम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज़ का प्रबन्ध किया, और इसके लिये कोटा में उपयुक्त इमारत भी उपलब्ध है इसलिये इसे वहां से स्थानान्तरित किया है, वहां कोटा के अध्यापकों को दिक्कत नहीं होगी। वहां स्थान का अभाव है। मेडिकल कॉलेज़ शुरू करने के लिये इमारत की जरूरत है। अभी नई इमारत को काम में लाने के लिये दो साल चाहिये। फिर ऐसे मौके पर एक डिविजन में दो हों और दूसरे में एक भी न हो तो ऐसे मौके पर एडजेस्टमेन्ट करना पड़ता है।

श्री गिरधारीलाल : दो कॉलेज़ तो वहां पहले से थे....

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री मुरलीधर व्यास : यह कहां की बात है कि दो हैं तो एक हटा लें, इसमें कोई बौद्धिक तत्व नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़।

श्री मुरलीधर व्यास : जब वहां ऑलरेडी है तो....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़, ऑर्डर।

श्री गिरधारीलाल : माननीय अध्यक्ष, यह बहुत जरूरी क्वेश्चन है।

श्री अध्यक्ष : Next Question has been called.

श्री गिरधारीलाल : इसके बारे में जानकारी ..

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इसमें काफी समय लग चुका है, अब समय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़।

राजस्व मंडल के नये भवन के उद्घाटन पर व्यय

१००८. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्व मंडल के नये भवन का उद्घाटन कब हुआ और इस समारोह पर कुल कितना व्यय हुआ ?

(ख) उक्त समारोह में कौन कौन से

Page No.19

(श्री मूलचन्द डागा)

सरकारी कर्मचारी बाहर से आये और उन पर कितना खर्च हुआ ?

उप मंत्री राजस्व विभाग (श्री सम्पतराम): (क) उद्घाटन २६ जनवरी १९५९ को हुआ। समारोह पर कुल १६३ रुपये २४ नये पैसे व्यय हुए।

(ख) सरकारी कर्मचारी कोई बाहर से नहीं आया अतः उन पर व्यय का प्रश्न ही नहीं उठता। माननीय मुख्य मंत्री व राजस्व मंत्री उद्घाटन समारोह में जरूर शामिल होने गये थे। वित्त मंत्री भी सम्मिलित हो गए थे।

प्रश्न संख्या १००९

श्री अध्यक्ष : श्री भैरवलाल 'कालाबादल'

(अनुपस्थित)

श्री दयाकृष्ण विजय।

अध्यापकों को परीक्षा में बैठने की अनुमति

१०१०. **श्री दयाकृष्ण विजय,** (छबड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) अध्यापकों को परीक्षा में बैठने की स्वीकृति शिक्षा विभाग द्वारा देने की अन्तिम तिथि कौन सी है ?

(२) क्या इस तिथि के बाद आज्ञा देने का कोई अपवाद नियमों में है ?

(३) राजस्थान में सन् १९५८-५९ में किन किन अध्यापकों को किन किन आधार पर अवधि के उपरान्त भी परीक्षा में बैठने की आज्ञा दी गई ? कृपया इसकी सूची सदन की मेज़ पर रखने का कष्ट करें।

शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) ३१ अगस्त।

(२) जी नहीं।

(३) यह सूचना निरीक्षकों से प्राप्त की जा रही है, आने पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या इसका जवाब बाद में दिया जायेगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अगर आप तीसरे भाग का जवाब चाहेंगे तो मैं दे दूंगा।

श्री दयाकृष्ण विजय : जरूर, इसका जवाब दीजिए।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

क्लर्कों में से नायब-तहसीलदार के पद पर प्रमोशन

१०११. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि भूतपूर्व जोधपुर स्टेट के समय में क्लर्कों में जो योग्य व क्वालिफाइड कर्मचारी थे उनको नायब हाकिम ले लिया जाता था ?

(श्री लक्ष्मीचन्द)

(२) क्या सरकार अब योग्य क्लार्कों में से प्रमोशन देकर नायब तहसीलदार बनाने का विचार रखती है ?

उप मंत्री राजस्व विभाग (श्री सम्पतराम) : (१) ऐसे नियम तो नहीं मिलते पर निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि वहां ऐसा होता था कि नहीं।

(२) राजस्थान तहसीलदार सर्विस रूल्स में ऐसा प्रावधान नहीं है।

श्री लक्ष्मीचन्द : ऐसा प्रावधान रखने का सरकार विचार रखती है या नहीं।

श्री सम्पतराम : जी नहीं।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्यों नहीं ?

श्री सम्पतराम : इस प्रकार की पॉलिसी के बारे में मैं अभी कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता। जो वाज़िब समझा गया तहसीलदारी के रूल्स पब्लिश किये जा चुके उसके मुताबिक रिक्रूटमेंट होता है। फिर दूसरी सर्विसेज़ के बारे में भी रूल्स हैं और वह किस आधार पर बने वह आधार बहुत स्पष्ट हैं।

प्रश्न संख्या १०१२

श्री अध्यक्ष : वली मोहम्मद।

(अनुपस्थित)

नेक्स्ट।

श्री लक्ष्मीचन्द।

सप्लाई विभाग के सरप्लस हैन्ड्स की नियुक्ति

१०१३. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सत्य है कि राजस्थान में सप्लाईज विभाग के सरप्लस हैंड्स एबज़ार्ब किये जाने पर भी कन्फर्म नहीं किये गये हैं और उनकी सीनियोरिटी के माफिक उनको प्रमोशन नहीं दिया जाता है।

उद्योग मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाडिया) : जी नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल।

गंग भाकरा व राजस्थान केनाल एरिया में जागीरदारों को भूमि

१०१४. **श्री गिरधारीलाल** (नोखा) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) पिछले चार सालों में गंग-भाकरा व राजस्थान केनाल एरिया में कितने जागीरदारों को जमीनें अलॉट की गई।

(२) क्या यह सही है कि बहुत से ऐसे जागीरदारों को जमीनें नहरी एरिया में दी गई हैं। जिनके पास अपने अपने गांवों में पहिले से ज़मीनें मौजूद थीं ? अगर हां, तो क्यों ?

(३) क्या यह सही है कि जागीरदारों को जमीनें देते वक्त स्थानीय भूमिहीन किसानों का सरकार ने कोई ध्यान नहीं रखा ? अगर हां, तो क्यों ?

Page No.21

उप मन्त्री राजस्व विभाग (श्री सम्पत राम) : (१) पिछले चार सालों में भाकरा योजनाओं में १४४६ जागीरदारों को और समेजा या गंग एरिया में २३० जागीरदारों को ज़मीनें अलॉट की गई हैं। राजस्थान नहर योजना क्षेत्र में अभी तक किसी जागीरदार को भूमि अलॉट नहीं की गई है।

(२) जी हां। यदि उस जागीरदार को जिसके पास खुद काश्त भूमि राजस्थान लैण्ड रिफॉर्म्स एण्ड रिज़म्पशन ऑफ जागीर्स एक्ट १६५२की धारा१८ के अन्तर्गत निश्चित स्तर से कम पाई जाती है और जो भूमि आवर्तन के लिए सरकार से प्रार्थना करे, तो उसे कमी पूर्ति में अतिरिक्त भूमि अलॉट जा सकती है। भाकरा क्षेत्र में कुछ ऐसे अलॉटमेंट हो गये हैं जो कि अनियमित प्रतीत होते हैं। सरकार इस विषय में विचार कर रही है और शीघ्र ही सही अलॉटमेंट हो जायेंगे।

(३) जागीरदारों को ऐसी जगह भूमि अलॉट की गई जहां पर स्थानीय भूमि हीन किसानों पर कोई असर न पड़े।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : अध्यक्ष महोदय, यह जो उत्तर दिया गया है इसका अन्तिम पोर्शन ठीक नहीं है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भूमिहीनों को भी ध्यान न रखकर जागीरदारों को कम्पेन्सेशन में लैण्ड अलॉट की जा रही है इसलिए यह कहना कि भूमिहीनों पर असर नहीं पड़ता यह बिल्कुल सरासर गलत है और जागीरदारों को लैण्ड अलॉट की जाती है।

श्री सम्पतराम : जागीरदारों को ज़मीन अलॉटमेंट में उनके गावों में ही उन्हें प्राथमिकता दी जाती है। यह बिल्कुल ही इन्डीपेन्डेन्ट सवाल है। भाकरा केनाल और गंग केनाल का प्रश्न आप पूछते हैं या उदयपुर क्षेत्र का ?

श्री जनार्दनराय नागर : अध्यक्ष महोदय, आप कहते हैं कि भूमिहीनों पर असर नहीं पड़ता। मेरे यहां अब भी भूमिहीन किसान हैं और जागीरदारों को भूमि अलॉट की जाती है यह बात आप की गलत है। मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में बतलाया कि वहां पर ज़मीन बराबर जागीदारों को अलॉट की गई है जब कि भूमिहीनों की समस्या मौजूद है। यह गलत स्टेटमेंट है जो अभी आपने दिया है।

श्री सम्पतराम : आम तौर से जो जागीरदार जिस एरिया का रहने वाला है उसको वहां अलॉटमेंट में प्राथमिकता दी जाती है लेकिन जहां ज़मीन उपलब्ध नहीं होती है तो किसी भी जागीरदार को दूसरे इलाके में जहां ज़मीन उपलब्ध होतीहै वहां दे दी जाती है। पर ऐसा कहीं नहीं हुआ कि भूमिहीनों को तो ज़मीन नहीं मिली हो और जागीरदारों को मिल गई हो। इस बात को देखकर अलॉटमेंट किया जाता है।

श्री धर्मपाल पंवार (नोहर सु) : क्या यह सही है कि गंग केनाल के समैचा ब्रांच में हरिजनों को बेदखल किया गया है।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : जी नहीं। जो हरिजन काश्त कर रहे थे उनको बेदखल नहीं किया गया है।

श्री जनार्दनराय नागर : अध्यक्ष महो-

(श्री जनार्दनराय नागर)

दय, मैं साबित कर सकता हूं कि मावली में जिन जागीरदारों को लैण्ड का अलॉटमेंट किया गया है वह बाहर के हैं और वहां पर भूमिहीनों की समस्या मौजूद है मैं इसके बारे में तीन चार दफा सरकार से कह चुका हूं। यह उत्तर मैं समझता हूं कि बहुत कन्सीड्रेशन के बाद गवर्नमेंट ने दिया हो यह ऐसी बात नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मावली का सवाल नहीं है। जो ज़मीन जागीरदारों को वहां पर दी गई है वह बिल्कुल ठीक दी गई है। उनका वहां अधिकार था और वह उस तहसील के ही जागीरदार हैं। उनका तो प्रोविज़न है जागीर रिज़म्पशन एक्ट में। रहा भाखरा का सवाल तो जितने भी भूमिहीन किसान थे उनका कन्सीड्रेशन किया गया है जागीरदारों को ज़मीन देने की वज़ह से भूमिहीन किसानों पर असर नहीं हुआ है।

श्री गिरधारीलाल : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि कितनी ज़मीन अनियमितता से जागीरदारों को अलॉट की गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कितनी एकड़ ज़मीन को अनियमित रूप से अलॉट की गई है ?

श्री गिरधारीलाल : क्या यह सही है कि जो गलत ढंग से ज़मीन अलॉट की गई है उसे उनसे वापिस ली जायेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वह तो कन्सीलेशन हो सकता है अगर गलत अलॉट हुई है तो।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : क्या गलत ढंग से किसी की जागीरें ली गई हैं वह भी वापिस लौटा दी जायेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : गलत ढंग से नहीं ली गई हैं। कम से कम आपकी तो नहीं ली गई।

श्री गिरधारीलाल : यह जांच कब तक हो जायेगी कि किसी को गलत ढंग से जागीरदार को लैण्ड तो अलॉट नहीं हो गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जांच नियमानुसार हो रही है।

श्री गिरधारीलाल : समय बता दीजिए।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह एक जुडिशियल मामला है उसके लिये कोई समय निश्चित करना मुश्किल है।

श्री जनार्दनराय नागर : क्या सरकार भूमिहीनों की समस्या को सामने रखते हुए उनको ज़मीन अलॉट जल्दी से जल्दी करेगी और जिन जागीरदारों को अनधिकृत रूप से ज़मीन मिल गई है उसकी कार्यवाही करेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मन्त्री) : मैं समझता हूं कि सवाल इस बात का है कि जिनकी जागीरें रिज्यूम की गई उनको री-हेबिलिटेट करने के लिए कोई न कोई ज़मीन देनी हैं इसलिए उनको ज़मीन दी जाती है। भूमिहीनों के लिए भी ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखा जाता है।

श्री गिरधारीलाल : क्या यह सही है कि किसानों को भूमिहीन बनाकर फ़िर जागीरदारों को ज़मीन अलॉट की गई है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं हुआ है। कहीं पर भी दूसरों

Page No.23

(श्री गिरधारीलाल)

को बेदखल करके ज़मीन अलॉट नहीं की गई है।

श्री धर्मपाल पंवार : हरिजनों को बेदखल करके रिज़र्वेशन किया गया है क्या सरकार उस पर कार्यवाही करेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ऐसी बात नहीं है कि हरिजनों को बेदखल करके जागीरदारों को ज़मीन दी गई हो।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित।

राज्य कर्मचारियों को मेडिकल अलाउन्स

१०१५. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार ने राज्य कर्मचारियों को ७-५ पर्सेन्ट मेडिकल अलाउन्स प्रति मास देने का विचार किया है? यदि हां, तो कब से?

मुख्य मन्त्री (मोहनलाल सुखाड़िया) : जी नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री पी०के० चौधरी

(अनुपस्थित)

श्री रामनारायण वर्मा।

नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की रकम की वापसी

९९५. **श्री रामनारायण वर्मा** (पीपल्दा-सु) : क्या वित्त मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कोटा जिले के कृषकों को नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की रकम कोटा के हैड पोस्ट ऑफिस से ही चुकाई जाती है।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की जानकारी में है कि कई किसानों को उतना ही जितना उन्हें प्राप्त करना होता हो तथा कई को उससे भी अधिक मार्ग व्यय एवं खुराक में खर्च करना पड़ता है ?

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इसके सम्बन्ध में कोई उचित व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

(घ) यदि हां, तो क्या ?

उप-मन्त्री वित्त विभाग (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (क) नहीं, कोटा जिले के कृषकों को नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की रकम किसी भी पोस्ट ऑफिस से चुकाई जा सकती है सिर्फ़ इसकी तसदीक इस पोस्ट ऑफिस से की जाती है जहां से सर्टिफिकेट खरीद किया गया है।

(ख) इस कार्यालय में ऐसी कोई रिपोर्ट या शिकायत किसानों की ओर से प्राप्त नहीं हुई और जब नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट की राशि का भुगतान अधिकांश डाकघरों से किया जा सकता है तो इस कार्य के लिए कोटा हैड पोस्ट ऑफिस जाने का कोई कारण नहीं उठता।

(ग) चूंकि उपरोक्त व्यवस्था पहले से ही की हुई है ऐसी अवस्था में कोई अन्य व्यवस्था करने का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (सीकर) : जितने भी सर्टिफिकेट्स इश्यू हुए हैं कोटा हैड पोस्ट ऑफिस से हुए हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : अगर हैड पोस्ट ऑफिस से इश्यू किये हुए होंगे तो वहीं पर कराने पड़ेंगे। जहां दूसरे सब-पोस्ट ऑफिससेज़ हैं तो उनको हैड पोस्ट ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : लेने की जरूरत नहीं है लेकिन आपने कहा था कि सर्टिफाई वहां से कराना पडता है इसलिये उनको हैड पोस्ट ऑफिस आना पड़ेगा। इसलिये इस प्रकार की व्यवस्था करदें कि अटेस्टेशन का झगडा न हो।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इसके लिये ऐसा चल रहा है कि सर्टिफिकेशन पंचायत से हो जाय तो सभी मानलें। यह प्रश्न सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के विचाराधीन है।

(प्रश्न संख्या ६६६)

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मण हिरात।

(अनुपस्थित)

जिला बांसवाड़ा के अध्यापकों का प्रोमोशन तथा उनके वेतन का भुगतान

१००५. **श्री नाथूराम** (बागी डोरा, डॉ० चन्द्रकला द्वारा पूछा गया) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे ?

(क) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा जिले में कुछ अध्यापकों को १. २. ५२ से प्रोमोशन दिये गये थे ? यदि हां, तो ऐसे अध्यापकों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ख) क्या यह भी सही है कि अकॉउन्टेन्ट जनरल द्वारा उस पर कोई आपत्ति की गई थी ?

(ग) क्या ऐसे अध्यापकों को उप निरीक्षक शिक्षणालय बांसवाड़ा के आदेशानुसार १. २. ५२ से ग्रेड दिलाने की कार्यवाही की जाकर उस रकम का चुकारा कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ? और कब तक उन्हें रकम मिल जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाडिया) : ऐसे प्रश्न जब कोई दूसरा पूछने वाला नहीं होता है तो आप पूछती हैं और उत्तर भी वही होता है, लिस्ट सीनियोरिटी की बनेगी उसके बाद तय होगा।

डॉ० चन्द्रकला : सन् ५२ से सवाल लटक रहा है, ७ साल हो गये। अध्यापकों का सवाल है इसलिये जल्दी से जल्दी करें।

प्रश्न संख्या १०१२

श्री अध्यक्ष : श्री वली मोहम्मद।

(अनुपस्थित)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

१२. ३ म० प०

विधायी कार्य

अजमेर शामलात देह (रेग्युलेशन) निरशन विधेयक ५६.

(पुरःस्थापन)

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं अजमेर शामलता देह (रेग्युलेशन) निरसन विधेयक, १६५६ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

१२. ४ म० प०

राजस्थान नगरपालिका विधेयक. ५७

(अग्रेतर विचार विमर्श)

श्री अध्यक्ष : राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज़

(श्री अध्यक्ष)

बिल । इसकी कई क्लॉज भी पास करनी बाकी है । चेप्टर ७ से वापिस शुरू करदें ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : शुरू से ही लिया जाय तो ज्यादा अच्छा हो ।

श्री अध्यक्ष : मन्त्रीजी का कहना है कि शुरू की क्लॉजों पर और विचार करना बाकी है, इसलिये चेप्टर ७ से शुरू किया जाय ।

श्री भैरोंसिंह : मैं समझता हूं इसका शुरू का चेप्टर बहुत इम्पोर्टेन्ट है । यदि वह तय हो जाता है तो उसकी लाइट में आगे विचार हो सकता है । आगे विचार आपकी आज्ञा होगी तो किया जायगा लेकिन मैं समझता हूं पहले की धाराएँ पास हो जायेगी तो उनका आगे की क्लॉजों पर काफी इफेक्ट पड़ेगा । वे इनसे रिलेटेड हैं और उनका समावेश भी होता है । जो क्लॉजेज़ डेफर किये हैं उनको शुरू से हम लेलें । जिस प्रकार पास होती जायेंगी हम आगे बढ़ते जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष : पहले वे क्लॉजें ली जा रही है जिनका क्लॉज ६ पर असर नहीं होगा । यदि माननीय सदस्य समझते हैं कि उन पर असर होगा तो उनको भी रोक लेंगे । लेकिन आज का स्थिति ऐसी है कि मन्त्रीजी माननीय सदस्यों से बात करना चाहते हैं, इसलिये यह तय किया है कि पहले चेप्टर ७ से ले लें ।

श्री भैरोंसिंह : यदि नोमीनेशन का प्रोविज़न रहता है तो उनके पॉवर्स किस प्रकार होंगे, इस पर अलग विचार करना होगा । और यदि नोमीनेशन की जरूरत नहीं रहती है तो इस पर अलग विचार करना पड़ेगा । यह बहुत इम्पोर्टेन्ट है । यदि मन्त्रीजी चाहते हैं कि मेम्बर्स से बात करनी हैं तो अमेन्डमेन्ट मूव करदें, उनके ऊपर विचार हो जाय ।

श्री अध्यक्ष : जहां तक अमेन्डमेन्ट मूव करने का सवाल है, इस स्टेज पर सारे अमेन्डमेन्ट्स को मूव करने की आज्ञा नहीं दी जायगी । केवल उन्हीं को लिया जायगा जिनके लिये मन्त्रीजी या तो रज़ामन्द हैं या जिनका खास असर नहीं पड़ता है । मन्त्रीजी चाहते हैं तो पहले वे ले सकते हैं ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री) : क्लॉज ६ पर बातचीत करने के लिये मीटिंग रखी थी लेकिन मिल नहीं सके । मैं समझता हूं शामको बात करने का रखा है । जो क्लॉजेज़, क्लॉज़ ६ से सम्बन्धित नहीं है उन पर अभी विचार कर लेते है ।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : क्लॉज़ ६ पर हिमालय पहाड़ लग रहा है जिसके लिये बात करना आवश्यक हो गया है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसलिये निवेदन कर रहा था कि शाम को बात कर लेंगे, आज निर्णय हो जायगा ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : बात ऐसी है कि सभी का इससे सम्बन्ध है । जब तक नोमीनेशन का तय नहीं होता तब तक कॉम्प्लीकेशन्स ऐसे हैं कि जिनके कारण ठीक तरह से विचार नहीं किया जा सकता । हमें संशय है कि नोमीनेशन होगा या नहीं । हमने सरकार के सामने एक विचार धारा प्रस्तुत की है । सरकार उस पर किस प्रकार विचार करेगी, किस प्रकार की उसकी नीति है इसका पता चल जायगा तो आगे किस प्रकार विचार किया जाय । नोमीनेटेड मेम्बर

(श्री भैरोंसिंह)

के बोर्ड में किस प्रकार के फंक्शन्स होंगे, और यदि नोमीनेटेड नहीं हैं और कोऑप्टेड हैं तो किस प्रकार के फंक्शन्स होंगे और यदि दोनों ही नहीं हैं तो म्युनिसिपिल बोर्ड को किसी प्रकार के अधिकार देने हैं। इसका सम्बन्ध टैक्सेशन, सुपरसेशन, डिज़ोल्यूशन से है, मेम्बर्स को हटाने से है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसमें विशेष बात नहीं होगी। यदि इन क्लॉजेज़ पर, मसलन क्लॉज़ २ पर डिबेट की जाय तो अच्छा होगा। अमेन्डमेन्ट्स मन्जूर करने हैं या नहीं यह आपकी व्यवस्था का प्रश्न है लेकिन कुछ समय के लिये हाउस को एडजोर्न नहीं करना पड़े इसलिये इन पर विचार करलें तो अच्छा हो।

श्री अध्यक्ष : ऐसी क्लॉजेज़ बतादें जिन पर शुरू में बहस करना चाहते हैं और उनका उस क्लॉज़ पर असर नहीं है। क्लॉज़ ६ के बारे में मन्त्रीजी को आपसे बातचीत करना है और एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझना है।

श्री भैरोंसिंह : हमारी बात को एप्रिशियेट करने की दृष्टि यदि उनकी है तो हमारी विशेष कम्प्लाइन्स होगी। क्लॉज़ ६ को डेफर किया है उसकी बातचीत करने के लिये बाद में ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : We take 79 and onwards ?

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर शहर) : शुरू से ही ली जांय तो अच्छी तरह से समझ में आयेंगी।

श्री अध्यक्ष : कौनसी क्लॉज़ को आप पहले लेना चाहते हैं, मन्त्री महोदय।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : क्लॉज़ ६ और ६ 'ए' का सम्बन्ध ७२ से है बाकी ली जा सकती हैं।

श्री अध्यक्ष : 79 and onwards ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ६ तो मीटिंग होने पर ही शुरू हो सकेगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार जयपुर) : क्लॉज़ ६ को पहले निपटा दिया जाय तो बाकी पर डिबेट होगी ही नहीं।

क्लॉज़ १००.

श्री अध्यक्ष : अभी काफी दिन हैं इस पर विचार करने के लिये। कल बाकी की ले लेंगे, इसलिये क्लॉज़ १०० और उससे आगे की ले ली जांय तो ठीक होगा। क्लॉज़ १०० पर आपका कोई संशोधन है क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत शासन मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ १०० को री-ड्राफ्ट इसलिये किया है कि मैंने एश्योरेन्स हाउस को दिलाया था कि इसको री-ड्राफ्ट किया जायगा इसमें यह प्रोविज़न कर दिया है जिसके लिये मांग थी कि राजाओं की प्रोपर्टी जो प्रोफिट के काम में लाई जाती है उस पर टैक्स लगाने का क्लॉज़ होना चाहिये। उस दृष्टि से यह सारा क्लॉज री-ड्राफ्ट किया गया है। अब परिस्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो गई है, इसलिए मैं समझता हूं कि री-ड्राफ्टेड क्लॉज़ को पास कर देना चाहिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Sir, we have not received the amendment which the Hon'ble Minister has moved. Has it been cirrculated to the Hon'ble Members ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सक्यूलेट हुआ है।

श्री अध्यक्ष : कौनसी लिस्ट है; लिस्ट नम्बर बता दीजिये ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : लिस्ट नम्बर ७, लिस्ट नम्बर ७ में सक्यूलेट हुआ है ।

श्री अध्यक्ष : लिस्ट नम्बर ७, सीरियल नम्बर १८२ ।

श्री भैरोंसिंह : हम तो पहले वालों के लिए तैयार होर आये हैं साहब ।

श्री अध्यक्ष : आप संक्षेप में बता दीजिये कि क्या अमेंडमेंट है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कॉ ८०६० देखिये जिस तरह का क्लॉज़ १०० था, उसमें पहले चार के लिए रोक थी, उसमें राज्य की प्रोपर्टी भारत सरकार की प्रोपर्टी, चैरीटेबल इन्स्टिट्यूशन्स की जायदाद और राजाओं की जायदाद, इनको टैक्स से विमुक्त रखा गया था कि इनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा । सदन में इस पर चर्चा हुई और दोनों तरफ के माननीय सदस्यों ने इच्छा जाहिर की कि जो प्रोपर्टी है राजाओं की और स्टेट की, जिसके ऊपर किसी तरह की आमदनी होती है, गवर्नमेंट जिस प्रोपर्टी को किराये पर देती है या राजाओं ने किसी बिल्डिंग में होटल खोल रखा है तो जो पर्सनल प्रोपर्टी खुद के यूज़ में आती है, उसे निकाल दिया जाना चाहिये और जिससे आमदनी होती है, उसके ऊपर टैक्स लगाना चाहिये । इस दृष्टि से हमने क्लॉज़ को री ड्राफ्ट किया है और उसके अन्दर इसका समावेश हो जाता है । मैं समझता हूँ कि री ड्राफ्टेड क्लॉज़ है, वह बिल्कुल ठीक है, और उसे पास कर दिया जाय ।

[संशोधन इस प्रकार है :—

182. For the existing clause, substitute the following:-

100. Exemptions from taxation.

(1) Non of the taxes specified in section 97, 98 and 99 shall be leviable by a board in respect of any property belonging to or vested in it.

(2) Non of the taxes specified in clauses (1) and (2) of section 97 and clauses (i), (iii), (iv) and (v) of sub-section (1) of section 98 shall be leviable in respect of any lands, buildings, goods, vehicles, conveyances, boats or animals belonging to or vested in the central Government or the State Government :

Provided that so long as any such tax contains to be levied by board or like properties of other persons, nothing in this sub section shall prevent the board from levying that tax to which, immediately before the 26th day of Jan., 1950, any land, buildings goods, vehicles, conveyances, boats

(श्री ब्द्रीप्रसाद गुप्ता)

or animals of the central Government were liable or treated as liable:

Provided further that any land, building, goods, vehicle, conveyance, boat or animal belonging to or vested in the State Government shall be so exempt from payment of any such tax if the same is used or intended to be used solely for public purposes and not for purposes of profit.

(3) Non of the taxes specified in clauses (1) and (2) of section 97 and in clauses (i) and (iii) of sub-section (1) of section 98 shall be leviable in respect of :-

(a) any land or any building yor part of a building exclusively used and meant for the personal occupation of the Ruler of a convanting state or the members of his family or for the rent free residence, occupation or location of the establishment of such Ruler or members, or

(b) any goods, vehicle, conveyance or animal in and for the exclusive use of such Ruler or members:-

Provided that nothing in this sub-section shall prevent a board from levying on any such land, building or part, goods, vehicle, conveyance or animal if the same is used or intended or meant to be used for purposes of profit for carrying on any trade or business or if in respect thereof any rent or other income or pecuniary benefit is derived or intended or meant to be derived, so long as the board continues to levy a similar tax on like properties of other persons,

(4) The tax specified in clause (1) of section 97 shall not be leviable in respect of lands and buildings used solely as places of public worship or for religious charitable purposes:

Provided that such lands or buildings shall not be exempt from payment of the said tax if any trade or business is carried on therein or if in respect thereof rent or other income is derived, whether such rent or other income is or is not applied exclusively towards such religious or charitable purposes.

Explanation:- I. "Charitable purpose' includes relief of the poor, education and medical relief.

Explanation:- II. Where any portion of any land or building is exempt from payment of tax uhder this sub-section such portion shall be deemed to be a separate property for the purposes of the said tax.

(5) The State Government may, if in its opinion reasonable grounds exists for so doing, grant and define by notification in the official gazette, such exemptions in exceptional cases from payment of a tax leviable under section 97 or imposed under section 98 or under section 99 as it may consider necessary"]

श्री भैरोंसिंह : इसमें सब-क्लॉज़ दो को रखा है, उसे ओमिट कर दिया है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह लिखा है, सब-क्लॉज़ दो में।

श्री भैरोंसिंह : सब क्लॉज़ २...

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप री-ड्राफ्टेड क्लॉज़ देख लीजिये। सब क्लॉज़ दो को री-ड्राफ्ट कर दिया है, इसे दुबारा ड्राफ्ट कर दिया है।

श्री अध्यक्ष : सब क्लॉज़ ५ देखिये।

श्री मदन सिंह (दांता रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह क्लेरीफिकेशन चाहता हूं।यह क्लॉज़ राजाओं के सम्बन्ध में है। रॉयल फेमिली का कोई मेम्बर है, वह किसी बिल्डिंग को यूज़ कर रहा है, उसका टैक्स नहीं मिलेगा। लेकिन सिविल लॉ के माफिक लड़कियों को बराबर का अधिकार है। अगर राजा की लड़की की छोटे घर में शादी हो गई, वह जिस घर को ऑक्युपाई कर रही है उसका टैक्स लेंगे या नहीं। इसी तरह से छोटे घर की लड़की बड़े घराने में जाकर रानी होती है और रानी होकर एक हाउस ऑक्युपाई करती है, उसका आप टैक्स लेंगे या नहीं। यह गुंजाइश रह गई है, इसके सम्बन्ध में क्या कहना है मंत्री महोदय को।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय स्वायत शासन मंत्रीजी ने जो संशोधन पेश किया है इस सदन में, इस संशोधित धारा का सब-क्लॉज़ है :

"(5) The State Government may, if in its opinion reasonable grounds exist for so doing, grant and define by notification in the official Gazette, such exemptions in exceptional cases from paymnt of a tax leviable under Section 97 or imposed under Sec. 98 or under section 99as it may consider necessary."

अध्यक्ष महोदय, इस बिल में ९७ से लेकर आगे तक जितने भी प्रावधान रखे गये हैं उनमें इस बात की व्यवस्था की गई है कि किन किन व्यक्तियों के ऊपर किस किस प्रकार से टैक्सेज़ लगाये जा सकते हैं। इसमें यह भी उल्लेख आया है कि किन किन व्यक्तियों की किस किस प्रोपर्टी को इस टैक्स से एग्ज़ेम्प्ट किया गया है और किया जाने वाला है। मैं समझता हूं कि इस सदन में टैक्सेशन के सम्बन्ध में जो चर्चा हुई है, उस चर्चा में कहीं भी इस बात का संकेत नहीं मिला कि अब ऐसा कौनसा टैक्स बचता है, ऐसी कौनसी प्रोपर्टी बचती है, ऐसा कौनसा व्यक्ति बचता है कि जिन व्यक्तियों को या जिस प्रोपर्टी को टैक्स से एग्जेम्प्ट करने के लिए सरकार के लिए लाज़िमी होगया है, जहां तक सरकारी बिल्डिंग का प्रश्न है, चाहे वह भारत सरकार की हो, चाहे राजस्थान की, हमने उनको टैक्सेज़ से एग्जेम्प्ट किया है। फौज़ की गाड़ियां हों, कार हों,पुलिस की व्हिकल हो, पुलिस का घोड़ा हो, पुलिस का ऊंट हो, कहने का मतलब यह है कि चाहे वह राजस्थान सरकार के हों चाहे भारत सरकार के, जितने भी यातायात सम्बन्धी कार्य हैं. हमने उनको भी टैक्सेज़ से एग्जेम्प्ट किया है। राजा के कुत्ते को भी हमने टैक्स से एग्जेम्प्ट किया है और साथ ही साथ जितने भी हम एग्जेम्प्शन के प्राविजन रख सकते हैं, उतने रखे हैं। बहुत लिबरल होकर

(श्री भैरोंसिंह)

जिस प्रकार की संशोधित क्लॉज़ माननीयमंत्री जी ने प्रस्तुत की है, उससे ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत लिबरल होकर टैक्स से एग्जेम्प्ट करने की व्यवस्था की है। अब प्रश्न यह आता है कि जब एक तरफ हम इस प्रकार उदार दृष्टिकोण अपनायें और उदार दृष्टिकोण के अन्तर्गत हम कई लोगों को किसी प्रकार की सम्पति के टैक्स से एग्जेम्प्ट करें ? उसके बाद कौनसी सम्पत्ति बच रहती है। जिसके बारे में सरकार के समक्ष कभी इस प्रकार की इमरजेन्सी अराइज हो जाय और वह रीजनेबल हो जाय तो, उसके ऊपर इस प्रकार का निर्णय देना पड़ेगा कि अमुक व्यक्ति को अमुक प्रोपर्टी को हमें टैक्स से एग्जेम्प्ट करना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पिछले दिनों में आया था भारत सेवक समाज की गाड़ी को टैक्सेशन से एग्जेम्प्ट करने का मैं समझता हूं कि यदि इस प्रकार का कोई दृष्टिकोण सरकार के सम्मुख हो, इस प्रकार की इमरजेन्सी अराइज़ हो सकती है, जिसको लेकर सरकार को फिर कई व्यक्तियों को, या कार्यालयों की टैक्सेशन से एग्जेम्प्ट करना पड़े। मैं इस बात से इन्कार नहीं करता हूं कि सरकार जो भी निर्णय लेगी, सरकार का जो भी निर्णय होगा, वह निर्णय रीज़नेबल बातों के आधार पर होगा, लेकिन जब हम ऐसा देखते हैं कि सरकारी दृष्टिकोण में एक प्रकार की व्यवस्था है कि कोई भी रीजनेबल बात होगी, तो सरकार उसको स्वीकार करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करेगी। इस प्रकार की व्यवस्था के बावजूद भी जब सरकार का दृष्टिकोण भिन्न प्रकार का मालूम होता है तो कुछ ऐसा लगता है कि रीज़नेबलनेस या रीजन या इस प्रकार के जितने भी शब्द इस बिल में रखे गये हैं, कानून में रखे जायं, सरकार के नोटीफिकेशन्स में रखे जाय, सरक्यूलर में रखे जायं तो इस प्रकार के शब्द निश्चित तौर पर वह अर्थ नहीं रखते, जो अर्थ बाकी समाज, बाकी दुनियां या बाकी के विधान सभा के सदस्य करते हैं। सरकार की डिक्शनरी, मैं समझता हूं, इस प्रकार के शब्दों के लिए, इस प्रकार के शब्दों के प्रयोग के लिए, अर्थ के लिए दिन प्रति दिन अलग बनती जा रही है। कोई भी काम हो, चाहे जायज़ हो, चाहे नाजायज हो, चाहे ज्यादती कर दी गई हो, चाहे सरकारी टैक्स लगाया लगाया है, चाहे टैक्स से एग्जेम्प्ट कर दिया है, सरकार एक ही जवाब देती है, कि सरकार उचित समझती है। उचित क्या है ? सरकार जो उचित समझती है वह उचित है। यदि यह समझा जाय तो मैं समझता हूं विधान सभा के समक्ष इस उचित शब्द के ऊपर एक कानून लाया जाय, एक व्यवस्था ले ली जाय कि जो कुछ सरकार उचित समझती है वह उचित है, वह सरकार के लिए ही नहीं, वह जनता के लिए, वह विधान सभा के सदस्यों के लिए उचित है। वह उचित शब्द राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के लिए है। इस उचित शब्द का सबके ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है। यदि यह उचित का दृष्टिकोण है तो ऐसा लगता है कि सरकार के औचित्यपूर्ण निर्णय के बारे में हमें थोड़ा बहुत गम्भीरता के

१२. २० म० प०

(श्री निरन्जननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

साथ विचार करना पड़ेगा। यदि सरकारी

(श्री भैरोंसिंह)

कर्मचारियों के प्रमोशन में कहीं अतिक्रमण हुआ है, उसके लिए सरकार कहे कि उचित है, यदि कहीं टेन्डर्स के बारे में पक्षपात हुआ है, तो सरकार ने उचित किया है, अगर कोई कर्मचारी बर्खास्त हो गया, अगर कोई कस्टम डिपार्टमेंट का कर्मचारी बर्खास्त होकर शिक्षा विभाग में नौकरी कर लेता है और सरकार कहती है कि उचित है, तो कुछ ऐसा लगता है उचित की परिभाषा सरकार ने धीरे धीरे बदल दी है। मैं समझता हूं कि जहां तक डिक्शनरी देखें तो उचित शब्द का, रीजन शब्द का, रीजनेबल शब्द का उस प्रकार का रूपान्तर डिक्शनरी में देखने की कोशिश करें, जिस प्रकार विशेषज्ञों ने दी है, वह परिभाषा मिलती है लेकिन हमारी सरकार धीरे धीरे अलग डिक्शनरी का निर्माण करती आ रही है और उस निर्माण के अन्दर हमें सन्देह होता है कि आज का रीज़नेबल शब्द वास्तव में वह अर्थ नहीं रखता, जो इसके साथ अटेच्ड है, ऐसी हालत में यह लिख देना कि The State Government may, if in its opinion reasonable grounds exist.

रीज़नेबल ग्राउन्ड्स क्या हो सकते हैं ? यदि किसी वैद्य हकीम को प्रोफेशन टैक्स के नाते नगरपालिका को टैक्स देना पड़ता है, उसको यदि सरकार एग्जेम्प्ट करना चाहे, भारत सेवक समाज के किसी काम करने वाले को मुक्त करना चाहे, ग्राम जल बोर्ड में काम करने वाले को एग्जेम्प्ट करना चाहते हैं और जो लोग रचनात्मक काम करते हैं, सत्तारूढ़ दल के लिए गांवों में काम करते हैं, जिनके बल पर कि सरकार जिन्दा है, उनको एग्जेम्प्ट करना चाहें, उनके लिये सरकार कह सकती है कि इन्होंने बड़ा त्याग किया है, ये त्यागी, तपस्वी हैं, इन्होंने सारा घर होम दिया है, इन पर टैक्स नहीं लगाया जाय, इस प्रकार का दृष्टिकोण हो सकता है और इस प्रकार के दृष्टिकोण को सरकार उचित कह सकती है। तो इस तरह के उचित शब्द का निश्चित रूप से अनुचित उपयोग होगा, दुरुपयोग होगा।

इस तरह के शब्दों का दुरुपयोग हुआ है कि नहीं, इस सम्बन्ध में मैं कुछ उदाहरण पेश करना चाहूंगा। यदि टाउन म्युनिसिपैलिटीज़ एक्ट में किसी नगरपालिका की अवधि एक दिन समाप्त होती है तो इन शब्दों का उपयोग किया कि यदि आवश्यकता हो तो सरकार उसकी अवधि में वृद्धि कर सकती है। आवश्यकता इसलिये नहीं होती कि बरसात हो रही है इसके कारण चुनाव नहीं हो सकते, आवश्यकता इस लिये नहीं होती है कि भयंकर बीमारी फैली हुई है, जिसके कारण अगर चुनाव कराये गये तो वह भंयकर बीमारी और जोरों से फैलेगी। आवश्यकता इसलिये नहीं होती है कि लॉ एन्ड ऑर्डर की स्थिति अच्छी नहीं है जिसके कारण कि चुनाव नहीं कराये जा सकते, पर इस आवश्यकता शब्द का दुरुपयोग किया जाता है। सत्तारूढ़ दल जीतेगा या नहीं यह बैरोमीटर इस आवश्यकता के पीछे काम करता है। यदि सत्तारूढ़ दल के जीतने की आशा होती है तो आवश्यकता नहीं रहती है और सत्तारूढ़ दल के हारने की आशा होती है तो इस आवश्यक शब्द की आवश्यकता हो जाती है। तो यह आवश्यक शब्द सत्तारूढ़ दल के हारने और जीतने का बैरोमीटर है। यह बैरोमीटर सब लोगों के लिये लगा दिया तो उचित नहीं होगा। विधान सभा के बाहर जो राजनैतिक कार्य कर्ता हैं, सत्तारूढ़ दल के

(श्री भैरोसिंह)

कार्यकर्ता हैं। वे अपना प्रभाव रखतेहैं। विधान सभा के सदस्य चाहे कि चुनाव स्थागित नहीं हों पर बाहर के कार्यकर्ता जो सत्ता रूढ़ दल के हैं, वे दबाव डाल कर चुनाव स्थागित करवा लेते हैं।

ऐसी सूरत में ये आवश्यकता, इमर्जेन्सी, प्रोपर केअर इस प्रकार के शब्द हैं। इस प्रकार की चीजें हैं जो सरकार लिये ऐसे शब्द बन गये है कि इन शब्दों का वही अर्थ लगाया जाता है जिससे स्वयं उनके लिये सरकार के लिये, उनकी पार्टी के लिये प्रोटेक्शन मिलताहो। जनता शिकायत करती है तो नैसेसरी एक्शन के लिये लिख दिया जाता है और वह कागज़ फिर हमेशा के लिये खत्ते में चला जाता है।

कोटा की नगरपालिका की अवधी समाप्त होने वाली है, २६जून को चुनाव होने वाले थे। कोटा की स्थिती खराब है, नगरपालिका में सत्तारूढ़ दल का बहुमत होगा कि नहीं, वहां इस आवश्यक शब्द की आवश्यकता महसूस हो रही है। यदि कोटा की सारी की सारी पब्लिक चम्बल डेम में श्रमदान करने के लिये जा रही हो तो आवश्यकता समझ में आ सकती है, व कोटा में कोई बीमारी हो और ऐसी हालत हो कि यदि चुनाव कराये जायं तो भयंकर नुकसान होगा, तो चुनाव स्थागित कराये जासकते हैं, पर चुनाव इसलिये स्थगित कराये जाते हैं कि जितनी धन राशि नगरपालिका में है, उसको चुनाव केलिये खर्च किया जाय, चुनाव जीतने के लिये पानी के नल, सड़कें और लाइट इन चिज़ों का प्रबन्ध किया जाय, यदि घोटालों में, दुरुपयोग में, गबन के मामलों में रकम खर्च नहीं हुई है तो बची हुई रकम का दुरुपयोग करने के लिये सरकार आवश्यकता समझती है कि तीन महीने की अवधि बढ़ा दी जाय।

हमारे मन्त्री महोदय यहां सदन में सुनते हैं पर स्वायत शासन संस्थाओं के सम्मेलन में, उनका जो भाषण होता है. मैंने स्वयं ने तो सुना नहीं पर अखबारों में देखते हैं, मुख्य मंत्री जी का भाषण देखते है पढ़ते हैं, लोक तन्त्र प्रणाली किस तरह स्वस्थ रह सकती है, इस तरह का उपदेश देते हैं, या लोकतान्त्रिक स्वस्थ परम्परा को समझते नहीं हैं या वे इसका मखौल उड़ाते है, जनता या मन्त्रिगण कहते हैं कि लोक तान्त्रिक जीवन में जनता जो निर्णय ले वह स्वागत करने योग्य होगा। पर सरकार जब इस तरह के काम करती है तो किसी ले मैन को भी सन्देह हुए बिना नहीं रहेगा कि सरकार इसका दुरुपयोग कर सकती है।

नोमीनेशन का ज़िक्र मैं अभी नहीं करना चाहता, कितनी रीज़नेबलनेस सरकार में है, जिस समय क्लॉज़ ९ के ऊपर वाद विवाद होगा तो सारी बातें सामने आ जायगी। पर ब्लैंक पेपर पर दस्तखत कराके ऐसी क्लॉज़ पास कराने का मतलब यह होगा कि सरकार के हाथों में ऐसे अधिकार दे दिये जायं जिनका सरकार चाहे जैसा ही उपयोग कर सकती है। सरकार नगरपालिकाओं द्वारा तीन प्रकार के टैक्सेज़ लगवा रही हैं, एक ऑक्ट्राय ड्यूटी, दूसरा हाउस टैक्स और तीसरा प्रोफेशन टैक्स, सरकार ये तीन तरह के टैक्स लगायेगी तो यदि सरकार को हमने यह अधिकार दिया कि जब चाहे उनमें कमी कर सकती है, सरकार की फोरमल एप्रुवल के बाद इम्पोज़ किये

(श्री भैरोंसिंह)

जायेंगे, जितने टैक्सेज़ हैं उनके मोडिफिकेशन के लिये भी सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है तो फिर ऐसी कौनसी स्थिति आ गई है कि म्युनिसिपैलिटी को यह आदेश देने का अधिकार रहे कि, अमुक प्रोपर्टी को अमुक व्यक्ति को इस प्रकार के टैक्स से मुक्त किया जाय । समझ में नहीं आता कि सरकार यह अधिकार क्यों ले रही है ।

जिन क्लॉज़ों के कारण कुछ रिलीफ देना चाहें उनको रिलीफ नहीं दे सकते और दूसरी ओर इस प्रकार की शक्ति रखना, चाहते हैं कि जिसके ज़रिये से जिनको छूट देना चाहें छूट दे दें, यह उचित नहीं। क्लॉज़ ६७ पर जब वाद विवाद हो रहा था तो बड़ी गरमागरम बहस चली थी तब किन्हीं माननीय सदस्यों ने कहा कि कम्पलसरी टैक्स होने चाहिये किन्हीं ने कहा कि नहीं होने चाहिये, कोई ऑक्ट्राय के बारे में बोल रहे थे। तो कोई हांउस टैक्स के बारे में बोल रहे थे और सदन का विचार शायद ऐसा हो रहा था टैक्स लागू किये जायं। तो फिर अब एग्जेम्पशन का क्लॉज़ क्यों रखा है ? राजा महाराजाओं की कॉमर्शियल बेसिस पर प्रोपर्टी है, उन पर यदि टैक्स इम्पोज़ किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि यह दृष्टिकोण बिल्कुल उचित है। सरकार ने सदन की भावना को समझा है और सदन के माननीय सदस्यों की भावना की कदर की है इसके लिये मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं और सरकार धन्यवाद की पात्र है। मगर साथ में मैं यह भी कहूंगा कि इसके साथ साथ सरकार ने राइडिंग क्लॉज़ रखा है और इससे जो कुछ हमने यह किया है उसको इस राइटिंग क्लॉज़ से मटियामेट कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि आपने किसी को खुश करने के कारण यह विधान सभा के सदस्यों को खुश करने के कारण करने या किसी म्युनिसिपैलिटी को खुश करने के कारण आपने यह अधिकार दिया है मगर आगे सब क्लॉज़ ५ में आपने सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिये हैं। तो मैं ऐसा समझता हूं कि सरकार सारे पॉवर को सेन्ट्रेलाइज़ करना चाहती है। सरकार सारे के सारे पॉवर्स अपने हाथ में रखना चाहती है और अपने हाथ में रख कर जब चाहे एग्जेम्प्ट कर दे। मैं समझता हूं कि सरकार के लिये यह अनुचित है और एग्जेम्पशन के सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय ने जो री-ड्राफ्ट क्लॉज़ में किया है सब क्लॉज़ ५ का, उसका मैं विरोध करता हूं और यह निवेदन करता हूं कि सरकार को इस प्रकार का अधिकार नहीं दिया जाए। यह क्लॉज़ रिडन्डेन्ट है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसलिये मैं सदन से निवेदन करूंगा कि सदन इसको विलोपित करने में मेरी सहायता दे।

(श्री लक्ष्मी चन्द के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने जो संशोधन रखा है उसके साथ ही साथ इस प्रकार की बात कही गई है कि सदन के सारे लोगों की यह इच्छा थी और सदन की राय को समझ कर हमने इस प्रकार का संशोधन किया है। मुझे यह सुन कर

(श्री मुरलीधर व्यास)

आश्चर्य हुआ और वह इस बात का हुआ कि ६७ से १०० कलॉज़ों पर सदन की क्या राय ली ? क्या लोग बोले ? जहां तक मैंने सुना और समझता हूं कि हमारे माननीय मन्त्री महोदय ने सदन की क्या राय है, इसको सही तरह से समझा नहीं और वैसे ही माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि सदन की यह राय है इसलिये इस तरह का संशोधन करता हूं। मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल गलत बात है। अच्छा होता जो इस बारे में सदन के माननीय सदस्यों ने जो अपनी बातें कही हैं उस पर विचार करते। परन्तु सही माने में यह देखा जावे कि म्युनिसिपैलिटी के करों के सम्बन्ध में धाराएं हैं, इस पर विचार करना होगा ! यह एक्ट तीन चार साल पहले का एक्ट पुराना है और पुरानी विधान सभा में भी इस पर बहस हुई। इस बात को आज चार साल का अर्सा हो चुका है और चार सालों काफी परिवर्तन हुए है यदि यह दृष्टिकोण सरकार के सामने आता तो मैं समझता हूँ कि आज यह बात नहीं होती। आज जो विचारधारा सारे देश में चल रही है उस विचार धारा को हम ध्यान में रख कर टैक्स लगाते समय और छूट देते समय विचार करते तो उचित होता और जो हमारे यहां पर समाजवादी सिद्धान्त रखा गया है उसका सही माने में उपयोग होता, जो सही माने में नहीं हो रहा है। हमने बाद में समाजवादी सिद्धान्तों को स्वीकार किया और बनाये। मगर यह एक्ट हमने तीन चार साल पहले बनाया इसलिये तीन चार साल में हमारे दिमागों में परिवर्तन हुआ और जो नियम सारे मुल्क के बने उसका कोई ख्याल नहीं किया और अगर इसमें कोई परिवर्तन नया आता तो मैं समझता कि वाकई सरकार ने हमारे कहने के अनुसार कोई परिवर्तन किया है। ठीक बात है, देखा जाए तो क्या परिवर्तन किया। आपने यही परिवर्तन किया है कि राजाओं पर भी जो मुनाफे के दृष्टिकोण से कोई कार्य करेंगे तो उन पर टैक्स लगेगा। मैं इस बात को मानता हूं कि यह ठीक बात है जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि यह अच्छी बात है और इसके लिये सरकार बधाई की पात्र है। मैं यह मानता हूं कि इसमें विचार परिवर्तन अवश्य हुए हैं। परन्तु बुनियादी तौर से कहा जाए कि यह बात ठीक है तो मैं यह कहूंगा कि यह बात गलत है। एक झौंपड़ी में रहने वाला जो भीख मांग कर खाता है उसको भी अगर एक पैसे की चीज़ खरीदनी है तो अनिवार्य कर उस पर लगता है। और उस व्यक्ति पर जिसके पास पैसों की कमी नहीं, जिनके पैसों से पीढ़ियें खा सकती हैं। उन पर आप छूट देते है, तो जो समाजवादी समाज का सिद्धान्त आपने स्वीकार किया है उस पर आप कुठाराघात करते हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि सिद्धान्त के रूप में ऐसी छूट उनको नहीं होनी चाहिये और जो अनिवार्य कर सब पर समान रूप से लगता है उन पर भी लगना चाहिये और किसी तरह की छूट नहीं होनी चाहिये। इसको स्वीकार करना चाहिये। अगर नहीं करते तो मैं यह कहूंगा कि सदन की राय को स्वीकार नहीं करते है और यह सदन की राय के विपरीत है। यह आपके समाजवादी समाज के बुनियादी सिद्धान्त के खिलाफ़ हैं। इससे राजाओं और महाराजाओं व नरेशों को ज्यादा फायदा नहीं होता, मगर हम जो क्रांतिकारी कानून बनाना चाहते हैं

(श्री मुरलीधर व्यास)

उसके लिये यह एक प्रकार का कलंक है और हमें इस कलंक को हटाना चाहिये। सरकार को चाहिये कि मनुष्य की सामग्री पर कर लगाए, मगर मनुष्य के जीवन से सम्बन्धित चीज़ हैं उस पर किसी प्रकार का कर नहीं लगाएं। इस प्रकार का क्रांतिकारी कानून बनाए। आप देखें कि दूसरे देशों में क्या हो रहा है। जिस समय आप समाजवादी समाज की बात करते है तो मैं यह कहूंगा कि आपका दिमाग साफ होना चाहिये। आपका टैक्स किसी की प्रोपर्टी और धन पर होगा न कि शरीर पर। आपकी यह बुनियादी नीति है। अगर आप इस नीति को मानते हैं और जीवन में नहीं उतारते और कानून में नहीं रखते हैं तो आप समाजवादी समाज की स्थापना नहीं कर सकते। यदि आप इस प्रकार का कानून बनाते हैं और छूट देते है तो मैं समझता हूं कि यह हमेशा के लिये कलंकित कानून बनावेंगे और जिस प्रकार के समाजवाद की कल्पना करते हैं वह नहीं ला सकेंगे।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : On a point of information. Sir. उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न जो यहां पर है वह गरीब और भगवान का नहीं है। यह शुरू से चला हुआ प्रोसीज़र है। यह बात है। जो मुझे निवेदन करनी है।

श्री मुरलीधर व्यास : ठीक बात है। मैं यह भी कहूं कि इस प्रकार का कानून है। संविधान में इस प्रकार की छूट का उल्लेख नहीं है। संविधान ने स्वीकार नहीं किया है। यह तो हम दे रहे हैं। मैंने इसको देखा है फिर बारीकी से आप इसको देख लें। फिर भी मैं इस छूट के अन्तर्गत...

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री) : एग्जेम्पशन के बारे में है। यह जनलरल एग्जेम्पशन के बारे में हैं जनरल टैक्सेस के बारे में है। राजाओं के लिये नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : राजाओं के लिये जो चीज़ लावेंगे उस पर तो नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : लेकिन आपको कर लगाने के जो सिद्धान्त हैं....

श्री मुरलीधर व्यास : मैं यह निवेदन करूंगा कि कर लगाते समय कुछ गलतियें हो जाती हैं। मूलभूत सिद्धान्तों में गलतियें हो जाती हैं और आगे के दृष्टि कोण से नहीं देखते है। जो कानून हम बनाते हैं, जिस कानून को बनाने में मूलभूत सिद्धान्त को स्वीकार किया है वह कहां तक इस कानून में एडजस्ट होगा और हमें उसका फायदा मिलेगा या नहीं। मैं कहता हूँ कि मकान का प्रश्न है। अनिवार्य कर के लिये आपने रखा है कि वह वेल्यू पर लगेगा। आप डाइरेक्ट कर लगा सकते है। आप किराये के साथ लेन देन भी करते हैं उसके साथ भी कर लगा सकते हैं। जिस प्रकार दिल्ली नगर-पालिका ने लगाया है इससे काफी आमदनी होती है। जो लोग जमीनों को खरीद लेते हैं, जब कीमतें बढ़ती है तो बेचते हैं। इस प्रकार खरीद और बिक्री से मुनाफा कमाते हैं, उस पर आप टैक्स लगा सकते है, सिनेमा में, दिन में, छः छः पिक्चर चलते हैं उन पर लगा सकते हैं और इस प्रकार से विभिन्न रूप में आप डाइरेक्ट

Page No.36

(श्री मुरलीधर व्यास)

टैक्स मुनाफे पर लगा सकते हैं। जो प्रोपर्टी पर टैक्स पड़ता है वह मुनाफे पर पड़ता है, किन्तु व्यक्ति पर नहीं पड़ता है। वह तो कोई समाजवाद का लक्ष्य बनता है। जैसे चुंगी का टैक्स वह हर आदमी पर अनिवार्य रूप से पड़ता हैं। चुंगी में विलासिता का सामान है तो उस पर लगता है। हर प्रकार की चीज़ों ले रखी है और जो अधिकार हैं उसमें बुनियादी परिवर्तन करने चाहते हैं आगे के दृष्टिकोण से और यदि नहीं करते हैं तो सिद्धान्त को लेकर जितने क्लॉजेज़ हैं उनमें अमेन्डमेंट किये हैं, सदन ने जो विचार प्रकट किये हैं उनको समझ कर सरकारी स्तर पर संशोधन रखते ताकि आगे भविष्य के लिए और सिद्धान्त के लिए भी वे अनुकूल हों और आगे जाकर आप सिद्धान्त की रक्षा कर सकते थे। लेकिन आपने उनको ख्याल में नहीं रखा है और जो नीति अपनाई है कि नये अमेन्डमेंट आवेंगे, संशोधन होंगे। लेकिन आज जो यह करों का चेप्टर है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और समाजवादी व्यवस्था का दृष्टि कोण इसमें झलकना चाहिये। आप यह कहना चाहते है कि सदन की राय से यह किया है, लेकिन सदन की राय तो इससे भिन्न है। गरीबों पर टैक्स नहीं लगाना चाहिये और इस सम्बन्ध में नीति कोई और ही होनी चाहिये थी। किन्तु यह जो किया है उससे तो सिद्धान्तों के दृष्टिकोण को उल्टी झलक है सदन के नाम पर आप लोगों को इस प्रकार से छूट दे रहे हैं यह उचित नहीं है।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला।

डा० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान नगरपालिका विधेयक के १०० वें क्लॉज़ के सम्बन्ध में सदन में विचार चल रहा है। यह क्लॉज़ करों में छूट के सम्बन्ध में हैं और इसकी मूल धारा पर एक संशोधन माननीय मंत्री महोदय की ओर से प्रस्तुत हुआ है। यद्यपि वह आकार प्रकार में संशोधन काफी बड़ा है लेकिन उसको यदि ध्यान से पढ़ा जाय तो लगता है कि संशोधन नाम मात्र का है। खैर, जो कुछ भी हैं मैं उस संशोधन का अभिनन्दन करती हूं। लेकिन सिद्धान्ततः मैं करों में छूट की बात का विरोध करती हूं। इस क्लॉज़ के अनुसार जो राज्य की बिल्डिंग्स हैं या अन्य चीजें हैं उनपर करों में छूट दी गई है, या केन्द्रीय सरकार की इमारतें आदि हैं उनमें छूट दी गई हैं और दूसरे जो प्राचीन रूलर्स या इनकी फेमिलीज़ हैं उनको छूट दी गई है। उपाध्यक्ष महोदय, यह हम सब ही जानते है कि जो करों से आमदनी होती है उससे ही विकास योजनायें बनती हैं। एक दिन जयपुर शहर में किसी एक सभा में माननीय मन्त्री महोदय ने इस बात को स्वीकार किया था कि करों पर ही विकास योजनायें आधारित हैं और उसकी सफलता भी इन्हीं पर आधारित हैं और जितना कर द्वारा हम धन संग्रह कर सकते हैं उतने ही अन्श में हम प्रगति करते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जब कर लगाते हैं तो तरह तरह की छूट देने की कोशिश करते हैं और जब देते हैं तो यह ख्याल नहीं करते हैं कि कहां पर जाकर इसका असर पड़ेगा। हम सरकारी इमारतें दूसरी

Page No.37

(डॉ० चन्द्रकला)

जमीनें और अन्य चीजों पर छूट देते हैं इससे नगरपालिका को बहुत बड़ी आमदनी का हिस्सा नहीं मिलेगा और दूसरी ओर नगरपालिका को उन पर अधिक खर्चा भी करना पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदय, आज आप और हम जानते हैं कि सिविल लाइन्स में सबसे अधिक पानी का खर्चा होता है, सबसे अधिक वहां बिजली खर्च होती है और नगरपालिका को वहां पर सड़कों की व्यवस्था में भी काफी खर्च करना पड़ता है। राज्य सरकार के और केन्द्रीय सरकारों के ऑफिसर्स जहां रहते हैं, उनकी इमारतें हैं, उनके लिए नगरपालिका को बहुत सारा खर्च करना पड़ता है और यदि इन पर करों में छूट देते हैं तो उसका असर गरीब जनता पर ही जाकर पड़ता है। और मुझे लगता है कि आज जयपुर में यही कारण है कि गरीब बस्तियां हैं, स्लम्प हैं जहां नगरपालिका पानी और बिजली की या अन्य सुविधायें नहीं दे सकती है। ये सुविधायें क्यों नहीं दे पाती है। उनके कारणों की खोज करते हैं तो यही उत्तर मिलता है कि नगरपालिका के पास पैसा नहीं है। उनके पास कहां से पैसा हो? जहां अधिक कर से आमदनी हो सकती है वहां तो छूट रख दी जाती है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि समाजवादी समाज की व्यवस्था की बात तो हम करते हैं, उसकी पृष्ठ भूमि में उसकी रचना करना चाहते हैं, सोचना तो चाहते हैं लेकिन जो व्यवहार है वह बिल्कुल ही उल्टा है। किसी को कर में छूट देते हैं और उसी पर अधिक खर्च करते हैं। इसलिए यह छूट नहीं देनी चाहिये और समाजवादी रूप से कर लगा देना चाहिये। एक तरह से अलाउन्सेज देते हैं। यह उचित है कि इस प्रकार सरकारी बिल्डिंग्स को करों में छूट नहीं दे कर उनसे जो धन राशि के रूप में प्राप्त हो वह दूसरी जगह सहायता के रूप में दी जानी चाहिये। जैसे चेरीटेबल इन्स्टिट्यूशन्स हैं उनके बारे में इस प्रकार की नीति रख सकते हैं कि हम उनको करों में छूट न दें और सरकार दूसरे रूप में उनको सहायता दे दे। इससे नगरपालिका के पास जो धन का अभाव है वह मिटेगा। हम देखते हैं कि गवर्नमेन्ट होस्टल सरकार की एक बिल्डिंग है, उसमें १००-२०० कमरे हो सकते हैं। उनके लिए नगरपालिका को अधिक खर्च करना पड़ता है, यदि उसके मुकाबले में कर लगाते हैं तो उससे दूसरे शहर के हिस्सों को विकास में लेने का मौका मिलेगा। लेकिन यदि छूट देते हैं। तो शहर के दूसरे हिस्सों को विकास से वंचित रखते हैं। इसको माननीय मन्त्री महोदय स्वयम् महसूस करते हैं। उन्होंने यह जयपुर शहर की एक दो बस्तियों में जाकर अनुभव किया है कि यह भेदभाव है और इस कारण यह स्थिति पैदा हुई है। इसलिए छूट की बात को कतई मंजूर नहीं करना चाहिये।

केन्द्रीय सरकार की और राज्य सरकार की सम्पत्ति, बिल्डिंग्स आदि पर करों में छूट देना चाहते हैं, राजाओं और उनके परिवारों को छूट देना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में सदन में पहले भी राय प्रकट की गई थी और यह कहा गया था कि इसकी आवश्यकता नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, हम धीरे धीरे राजनैतिक दृष्टिकोण से उच्च स्तर पर होते जा रहे हैं, वर्ग धीरे २ समाप्त होते जा रहे हैं और उससे ऊपर उठकर जो राजा और प्रजा का एक भेद था वह मिट गया है, अब नहीं रह गया है। उनकी रियासतें ले

(डॉ० चन्द्रकला)

ली गई थीं और एक समझौता हुआ था, उसके अनुसार उनको सुविधायें देने का सवाल था। राजाओं का जहां तक सवाल है उनको छूट देने की बात को मंजूर कर सकते हैं। लेकिन उनके परिवार को भी कर में छूट देने की बात है, हम जानते हैं कि राजाओं का परिवार कितना बड़ा होता है और उसका कोई अन्त नहीं आता है और यदि उनकी प्रोपर्टी पर भी छूट देंगे तो फिर इसका अन्त नहीं आवेगा, इसलिए छूट नहीं देनी चाहिये। जहां मैं केन्द्रीय और राज्य सरकार के भवनों के बारे में कह रही हूं, वहां मैं राजाओं के लिए भी कह रही हूँ कि जहां राजा महाराजा निवास करते हैं वहां नगरपालिका का अधिक खर्चा होता है, नगरपालिका को अधिक ध्यान रखना पड़ता है। वे रखती हैं और अपने साधनों से ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देने का प्रयत्न करती हैं। और इससे फिर दूसरी बस्तियों का शोषण होता है। जहां हम शोषण विहीन समाज की कल्पना करते हैं वहां इस तरह का प्रावधान रख रहे हैं, कानून बना रहे हैं। इसका असर अवश्य पड़ने वाला है। मैं खुद सर्वोदय विचारधारा की मानने वाली हूं। मेरा यह निवेदन नहीं है कि जिनको सुविधायें मिल रही है उनसे वे सुविधायें छीन ली जाय लेकिन मेरा यह अवश्य कहना है कि जिन लोगों को असुविधा है उनको भी इस मामले में बराबर कर दिया जाय। हम देखते हैं कि एक वर्ग ऐसा जिनको आम तौर पर अधिक सुविधा मिली हुई है और उसके बनिस्बत दूसरा वर्ग ऐसा है कि जो सभी तरह की सुविधाओं से वंचित है। हम में इस तरह का जो भेद है उसको मिटाना होगा। हमें आज यह मौका मिला है। नगरपालिका विधेयक में हम ऐसे नियम बनाने जा रहे हैं जिससे ये असमानतायें दूर हो सकती हैं। हमें इसमें इन बातों का अवश्य ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किस तरह के अधिकार इसके अन्तर्गत दें जिससे कि उनको इस तरह की दिक्कत न आयें। आज हम देखते हैं कि नगरपालिकायें कई बातों में उदासीनता बर्तती हैं। वह क्यों ऐसा करती है इसके लिये सोचना पड़ेगा। जो यह धारा हम जोड़ने जा रहे हैं उस आधार पर नगरपालिका की उदासीनता और अधिक बढ़ जायगी। उसके कर्तव्य इतने हैं कि वह उस कर्तव्य को अपने साधनों से पूरा नहीं कर सकती। जब उसके पास जो साधन हैं वे उन्हीं में खर्च हो जायेंगे तो दूसरे क्षेत्र के अन्दर उसका उपयोग नहीं कर सकेगी। कम से कम जयपुर नगरपालिका का मुझे अनुभव है उसके आधार पर यहां की म्युनिसिपैलिटी के जो आय के साधन हैं उनको देखते हुए म्युनिसिपल सीमा में रहने वाले लोगों के लिये सुविधा का कोई इन्तजाम नहीं कर सकती। जहां तक इस छूट का सवाल है वह नहीं देनी चाहिये। अगर छूट नहीं देंगे तो कर के रूप में म्युनिसिपैलिटी के पास काफ़ी आमदनी आ सकती है और वह दूसरे कार्यों में खर्च किया जा सकता है। अगर हम इसको अर्थ व्यवस्था के सिद्धान्त से भी देखें तो हमें इसमें अन्तर मालूम नहीं देता क्योंकि इससे होगा क्या कि एक जगह से पैसा दूसरी जगह जाने वाला है। इसलिये मेरा निवेदन है कि माननीय मन्त्री महोदय इस पर विचार करें जहां तक छूट देने का सवाल है आप न दें खास तौर पर राजकीय इमारतों केन्द्रीय सरकार की इमारतों राजाओं की बिल्डिंग्स और राज परिवार के सदस्यों

Page No.39

(डॉ० चन्द्रकला)

को जो इस टैक्स से छूट दे रहे हैं वह अवांछनीय है इसको किसी तरह से स्वीकार की नहीं की जा सकती। इस पर विचार करते हुए इस क्लॉज़ को हटा दें तो ज्यादा अच्छा हो।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुक्तिलाल मोदी।

श्री मुक्तिलाल मोदी (बैराठ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ १०० के खिलाफ़ माननीय मन्त्री महोदय ने जो संशोधन पेश किया, वह इस तरह का संशोधन है कि जो, आज समाजवाद का नारा लगाते हैं, उनको यह संशोधन पेश नहीं करना चाहिये आज के युग में जब कि देश में समाजवाद की पुकार है इस प्रकार का संशोधन आता है तो समाजवाद कब आयेगा हमारे देश में। हम तो इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि जब हिन्दुस्तान में प्रजातन्त्र आयगा उसके बाद समाजवादी समाज की स्थापना होगी। मैं देख रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारी सरकार जिस प्रकार का रवैया बरत रही है उससे तो यह पता चलता है कि हमारी सरकार एक डिक्टेटरशिप सा बर्ताव कर रही है। जैसे जैसे सरकार को अधिकार दिये जाते हैं उन अधिकारों का पालन न करते हुए उसका दुरुपयोग होता जाता है।

(कुछ माननीय सदस्यों के बाधा पहुँचाने पर)

माननीय सदस्य बीच में न बोले तो ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष : आप इधर उधर मत देखिये।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : आंखों से दिखता तो है नहीं फिर कैसे देखते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मेरे लिये इनकी चक्षुयें बड़ी तीखी हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि सरकार को जैसे जैसे अधिकार दिये जाते हैं उन अधिकारों का दुरुपयोग होता है! 'जैसे पहले के ज़माने के अन्दर भी शासकों की तरफ से इस तरह का उपयोग नहीं होता था। लेकिन आज की सरकार अधिकारों का दुरुपयोग करती है। आज जनता उससे बहुत परेशान है। लेकिन आज जिनको इस प्रकार के टैक्स से छूट दे रहे हैं वे टैक्स अवश्य लगने चाहिये। टैक्स आप यदि नहीं लगायेंगे तो समाजवाद कैसे आयगा और जनता आगे किस प्रकार से बढ़ सकेगी। आज इस क्लॉज़ के द्वारा हम राजाओं की प्रोपर्टी उनके घोड़ा गाड़ी मोटर आदि को टैक्स से छूट दे रहे हैं उससे होगा क्या कि म्युनिसिपैलिटी को जो रूपया मिलना चाहिये था वह नहीं मिल पायगा और उसके बिना म्युनिसिपैलिटी का काम नहीं होगा। काम कैसे हो सकता है जब कि सरकार द्वारा ही इस प्रकार का संशोधन लाया जाय कि सरकार की बिल्डिंग सरकारी मोटर सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की बिल्डिंग्ज़ आदि पर यह टैक्स नहीं लगेगा....

श्री उपाध्यक्ष : आप पुनरावृत्ति बहुत कर रहे हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : उपाध्यक्ष जी इस अमेन्डमेन्ट द्वारा उन बिल्डिंग्ज को टैक्स से माफ़ कर रहे हैं। राजाओं के रहने की जो प्रोपर्टी है उन पर टैक्स माफ़ कर दिया अगर उन पर टैक्स लगाया जाय तो मैं समझता हूँ सरकार को जो मदद म्युनिसिपैलिटीज़ को देनी पड़ती है, उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। उपाध्यक्ष महोदय, जिन जिन देशों में समाजवाद कायम है उन देशों में सभी बिल्डिंग्ज पर चाहे वे राज्य की हो या किसी और की हो सब पर टैक्स लगा हुआ है। सरकारी बिल्डिंग्ज पर भी टैक्स लगा हुआ है इसके अलावा म्युनिसिपैलिटीज़ की बिल्डिंगें भी टैक्स से अलग नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : कहां लगा हुआ है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : रशिया के अन्दर है उपाध्यक्ष महोदय, रशिया के अन्दर जितनी भी बिल्डिंग्ज़ हैं उन सब पर टैक्स है, सरकारी बिल्डिंग्ज के अलावा म्युनिसिपल-हाउसेज़ हैं उन पर भी कायदे कानून के मुताबिक टैक्स लगे हुए हैं। टैक्स तो देना ही पड़ता है फिर वे चाहे उसको किसी भी तरह से खर्च कर दें। एक बनिया जो अपनी आमदनी और खर्चे का हिसाब रखता है वह खर्चा यदि अपने घर के लिये भी करेगा तो उसको भी बतायगा। सरकार जब कानून बनाती है तो उसको चाहिये कि सरकारी बिल्डिंगें, राजा महाराजाओं की इमारतों आदि को इस प्रकार के टैक्स से छूट नहीं देनी चाहिये। मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आज के 'राष्ट्रदूत' में जो इन्दिरा का भाषण छपा है 'उसे पढ़ें'....

श्री उपाध्यक्ष : इन्दिरा नेहरू नहीं इन्दिरा गांधी कहिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी : हां उपाध्यक्ष महोदय, इन्दिरा गांधी ने जो भाषण दिया है उसको माननीय मन्त्री महोदय पढ़ें। उन्होंने दलाई लामा के बारे में जो कुछ कहा वह देखने लायक है। आप यहां असेम्बली में बैठे हुए क्या वही स्थिति लाना चाहते हैं। इस तरह के ज़माने में आप इस तरह कानून में प्रोविज़न रखते हैं सरकार को टैक्स माफ़ कर दें, राजाओं को टैक्स माफ़ कर दें, यह कैसे हो सकता है। आज म्युनिसिपैलिटी के पास पहले से ही आमदनी बहुत कम है आपको कर्ज़ा देना पड़ता है। अगर उन पर भी टैक्स लगने लग जाय तो कर्ज़ा देने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। उसी के अन्दर सब चीजें हो सकती है इसलिये राजाओं की इमारतें सरकारी इमारतें, आदि जितनी भी हैं उन सब पर टैक्स लगाना चाहिये। इसके अलावा जब कि आप छोटे मोटे टैक्स लगाकर जनता को परेशान करते हैं बनिस्बत इसके जैसा कि रशिया के अन्दर फैक्टरीज़ पर सबसे ज्यादा टैक्स है। माननीय मन्त्री जी को चाहिये कि जितने टैक्स आप जनता पर लगाते हैं उसको न लगाकर फैक्टरीज़ पर टैक्स लगा दीजिये तो सब घाटे की पूर्ति हो जायगी। लेकिन सरकार ऐसा करेगी नहीं क्योंकि पूंजीपतियों के हाथ में तो सरकार चल रही है। मैं समझता हूं पूंजीपतियों को भी इन्कमटैक्स से बरी कर दिया जाय तो ज्यादा अच्छा होता....

श्री उपाध्यक्ष : आपका मतलब है इन्कम टैक्स भी इसमें मिला देना चाहिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मेरा कहना यह है कि इन्कमटैक्स आदि जो पूंजीपति

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

देते हैं वे भी माफ करदें तो मैं भी इसको मानूंगा। यह तो करेंगे नहीं। उन पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगायेंगे तो राजाओं और सरकारी बिल्डिगों पर भी टैक्स लगाना चाहिये ।

१ म० प०

दूसरी बात, सरकार ने अधिकार अपने हाथ में लिये हैं यह सबसे ज्यादा जुल्म है। क्लॉज़ ५७ में अधिकार दे दिया सरकार को और विकास परिषदें बनेंगी और उनको कि जो म्युनिसिपैलिटी टैक्स लगावेगी वह सरकार की इजाज़त से लगावेगी परन्तु इस संशोधन में यह किया गया है कि सरकार कोई भी टैक्स माफ कर सकती है। इससे यह होगा कि सरकार अपने पक्ष की म्युनिसिपलिटी की तो माफ नहीं करेगी और विरोधी लोगों की म्युनिसिपैलिटियों को माफ कर देगी।

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रश्न पर तो माननीय भैरोंसिंह जी बहुत कुछ कह चुके हैं। आपके लिए कुछ नहीं छोडा है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : महाराज, मैं तो बोला भी नहीं हूँ, बाबा,

(हंसी)

इस हाउस में, अब तो बोलने दो महाराज।

(हंसी)

इस प्रश्न पर तो बोल चुके हैं पर जो असली प्रश्न है आपने बलवन्तराय मेहता की रिपोर्ट मान ली तो जब विकास समितियां और विकास परिषदें बनेंगी और उनकी अधिक अधिकार सरकार देगी और दस हजार की आबादी वाले नगर में म्युनिसिपैलिटी बनावेंगे तो उनसे कम अधिकार म्युनिसिपैलिटी को आप क्यों दे रहे हैं। आप सरकार को यह अधिकार और क्यों देते हैं। सरकार ने क्लॉज ५७ में अधिकार में ले लिए वे ही बहुत हैं। तो सरकार जिस किसी को चाहेगी माफ कर देगी, जिसको नहीं चाहेगी, नहीं करेगी, मैं तो ऐसा मानता हूं। मेरे साथ तो बीती हुई है। मैं कहता हूँ कि इससे तो सरकार खुद तकलीफ पावेगी। दूसरे उनके नीचे के मिनिस्टर हैं वे उनको पूछे बगैर हमेशा इस तरह की कार्यवाहियां कर लेते हैं और बाद में फिर सुधारते रहते हैं। तो मैं प्रार्थना करूंगा कि कम से कम जनता के अधिकार सरकार को लेने चाहिये, जितने कम से कम अधिकार सरकार लेगी उतनी ही अधिक सहूलियत मिलेगी। उसकी परेशानी दूर होगी और उतना ही नीचे वालों को काम करने का अधिक मौका मिलेगा। मेरी आपसे यह प्रार्थना है, कि आप जो संशोधन लाये हैं उस क्लॉज़ को हटा दीजिये। मेरी यही प्रार्थना है ऐसा संशोधन मन्जूर न हो।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय मन्त्री महोदय ने हमारे समक्ष रक्खा है, मैं समझता हूं, उससे बडा दुर्भाग्यपूर्ण और विवेक से हीन संशोधन इस एक्ट के दौरान में हमारे सामने नहीं आया। मैं इसके एक एक शब्द का, कोमा, फुलस्टाप का घोर विरोध करता हूं। इस प्रकार का संशोधन रख कर माननीय मन्त्री महोदय ने इस सदन के किसी सदस्य की भावनाओं का कोई लिहाज़ नहीं रक्खा है ?

(श्री जनार्दनराय नागर)

यह दावा जरूर किया जाता है कि सदन की सम्मति के अनुकूल इस प्रकार का संशोधन रक्खा है। लेकिन हम दूसरा दावा भी कर सकते हैं और वह यह है कि इस प्रकार के संशोधन के लिये यदि किन्हीं माननीय सदस्यों ने मन्त्री महोदय के साथ बैठ कर विचार विमर्श के द्वारा सहमति प्रकट की है तो वह सम्मति, जहां तक सिद्धान्त और व्यवहार का सवाल है और राजस्थान की जनतान्त्रिक प्रगति का सवाल है, एक प्रकार की बिल्कुल अनुत्तरदायित्व से पूर्ण है।

श्री उपाध्यक्ष : वह सहमति हमारे सामने नहीं है।

श्री जनार्दनराय नागर : मेरा अनुमान है कि एक समझौता इस बात के सम्बन्ध में चल रहा है, किनके साथ चल रहा है, यह मैं नहीं कहूंगा, पर उन समझौतों और वार्ता की एक सीमा तक आदर करते हुए भी, इस सन्शोधन के प्रति समर्थन देने में मैं अपने आपको असमर्थ पाता हूं। मेरे मित्रों ने कहा कि म्युनिसिपैलिटी को जो टैक्सेशन लगाने का अधिकार दिया है इस एक्ट के ज़रिये, उसको, मैं समझता हूं, किसी भी प्रकार के व्याघात के बिना लागू होने देना चाहिये।

म्युनिसिपैलिटी टैक्स लगा रही है, सबसे बड़ी बात तो यह हो रही है कि उसको अधिकार है राजाओं की निजी सम्पत्ति पर या सरकारी बिल्डिंगों पर सब पर टैक्स लगाये। जो प्रगतिशील प्रशासन है जो प्रगतिशील समाज है, जो जनतन्त्र की स्पिरिट के अनुकूल अपना विकास करने में विश्वास रखता है उस समाज में मैं समझता हूँ म्युनिसिपैलिटी द्वारा जो टैक्स लगाया जाता है, उसमें कोई भेदभाव बरता नहीं जाता।

इस संशोधन को मन्जूर कर देते हैं तो इसके दो व्यापाक परिणाम होंगे। इससे सार्वजनिक जनतान्त्रिक अधिकृति को काफी हानि पहुँचेगी।

पहली बात तो यह कही गई कि जितना राजकीय सामान होगा, बिल्डिंगें होंगी उन तमाम पर यह टैक्स नहीं लगेगा। इसका मतलब तो यह हुआ कि राजा अपने आप में इस सोसायटी से कोई अलग अधिकृति है। हमारा यह राज्य इसी समाज का अंग है। एक चुना हुआ, इसी समाज के द्वारा चुनी हुई अधिकृति है, एक शासन तन्त्र है। तो इस हिसाब से इसी समाज के एक स्वायत्त संस्था द्वारा लगाये हुए करों से उसका भी सामान, सम्पत्ति, बिल्डिंग और वाहन अलग नहीं किये जा सकते। उल्टी प्रगतिशील बात तो यह होती कि राजकीय सम्पत्ति और वाहन सामान पर भी यह टैक्स रख सकेगी यह इसमें होता। यह बड़ी वज़नी दलील है। ये टैक्स म्युनिसिपैलिटियों की आय बढ़ाने के लिये है, तो अगर आप इनको अलग कर देंगे तो मैं समझता हूं एक और तो यह घाटा नगरपालिका को रहेगा और दूसरी और जनतन्त्रीय प्रगति के सिद्धान्त को मान कर नहीं चलने की बात सामने आवेगी। हम राज्य को राजाओं के समय से एक अलग प्रीविलेज्ड इन्स्टिटयूशन सामान कर चल रहे हैं। जनतन्त्रीय समाज की प्रक्रिया से यह प्रिविलेज्ड संस्था मानकर चलना मेल नहीं खाता। यह जनतन्त्रीय

(श्री जनार्दनराय नागर)

प्रणाली का शासन तो एक सीमा तक जाकर आम जनता के साथ में उनके कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व को साथ लेकर एक रस हो जाता है। तो एक प्रिविलेज्ड इन्स्टिट्यूशन की तरह कल्पना करके इसको पनपाया जाना किसी की हित की दृष्टि से समीचीन नहीं है। हमें यह मानना पड़ेगा कि जनता से ऊपर उठ कर कोई इन्स्टिट्यूशन नही है। जनता ने अपने वोट के ज़रिये समान दरजे की ऑथोरिटी जनता के कामकाज़ को चलाने के लिये इस राज्य को, इस शासन को बनाया है। इसको बनाने का तरीका जनतन्त्रीय तरीका है। इसका मतलब यह हुआ कि वह कोई भोग की दृष्टि से ऐसी सुपर बोडी नहीं हो सकती कि जिसको एग्ज़म्शन दे सकें।

आप एक जगह कहते हैं ये टैक्सेज़ ऑब्लीगेटरी हैं। पर दूसरी ही सांस में कह रहे हैं कि शासन के ये प्रिविलेज़ हैं। तो मुझे बड़ा ताज्जुब है कि यह संशोधन उसी शासन के जरिये रक्खा जा रहा है जो इन को एक ओर ऑब्लीगेटरी टैक्सेज़ की संज्ञा देता है और दूसरी ओर अपने ही हाथ से उसका खंडन करता है। यह भावना बड़ी पुरानी, एक तरह की फ्युडल भावना है कि राजा और राज्य की सम्पत्तिसमाज से जनता से अलग कोई प्रिविलेज्ड क्लॉस की है, प्रिविलेज्ड संस्था की है। यह फ्यूडल ख्याल है। मैं समझता हूँ कि इस बीसवीं सदी के उत्तरार्ध में इस तरह की भावना का किसी भी तरह से समर्थन नहीं किया जा सकता। मैं मानता हूं यह एक पिछड़ा कदम है जो हमारे सामने आया है। यह मानने में आ सकता है कि राज्य की सम्पत्ति पर राज्य स्वयं अगर डाइरेक्ट टैक्स लगाती है तो वह लगावे, न लगावे उसकी अपनी मर्ज़ी है पर। जहां सार्वजनिक मत से चुनी हुए एक स्वायत्त संस्था नगर-पालिका है उसको आप बाध्य करें कि वह भी राज्य की सम्पत्ति पर टैक्स न लगाये, यह बिल्कुल गलत है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि म्युनिसिपल बोर्ड जो कि एक चुनी हुई संस्था है वह एक प्रकार से सामाजिक प्रशासन की दृष्टि से राजकीय प्रशासन से एक मानें में उच्च प्रशासन है। आप यह नहीं कह सकते कि राजकीय अधिकृति कोई म्युनिसिपल बोर्ड की अधिकृति से ऊंची है। यदि राज-कीय अधिकृति ऊंची होती तो आपको इस प्रकार का एक्ट बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक म्युनिसिपल बोर्ड राज्य अपने हुक्म से बना लेता। इसके माने यह हैं कि आपने मान लिया कि जो सार्वजनिक जीवन की नई संस्था कानूनन आप पैदा कर रहे हैं वह राजकीय अधिकृति के समान हैं यानि ऊंची नही है। लेकिन अपने क्षेत्र में मेरी यह मान्यता है कि राजकीय अधिकृति से वह ऊपर है। यदि कहीं का भी म्युनिसिपल बोर्ड एक टैक्स लगाता है, तो वह टैक्स उसके दायरे में रहने वाले तमाम नागरिकों पर लगता है। इसलिए मैं ऐसा कोई कारण नहीं समझता कि राजकीय सामान और सामग्री के ऊपर जो टैक्स म्युनिसिपल बोर्ड लगायेगी उसके लिए एग्ज़म्पशन दे दिया जाये। इसके पक्ष में एक भी दलील हमारी राज्य सरकार ने नहीं दी है कि जो व्यवहार की दृष्टि से ठहर सके और म्युनिसिपल बोर्ड के हित की दृष्टि से ठहर सके। उपाध्यक्ष

(श्री जनार्दनराय नागर)

महोदय, यह एक जरजरी मान्यता है दूसरी कोई बात नहीं है कि राज्य ने अपनी सम्पत्ति के लिए यहां एग्जम्पशन मांगा है। यह बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक है और फ्यूडल है जो फेन्टास्टिक राज्य थे यह ऐसा करते थे। हां, पहले के राज्य में कुछ इस प्रकार के एग्ज़म्पशन थे और प्रिविलेज थे और इसलिए जो विशेषाधिकार का अहंकार उस समय के राजाओं को था उसकी वजह से ऐसा होता गया और इस प्रकार से वह अपना हुवास करते रहे। इसकी वजह से से उन्होंने जनता का पोषण किया। मैं सम-समझता हूं कि उदाहरण हमारी राज्य सरकार के सामने है और वह ऐसा उदाहरण है कि जो राज्य सरकार के द्वारा ऐसा नहीं किया जाना चाहिए....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार जयपुर) : जरा धीरे धीरे बोलिये कोरम घटता जा रहा है।

श्री जनार्दनराय नागर : इसलिए जो एग्ज़म्पशन राज्य सरकार ने अपनी प्रोपर्टी पर मांगा है वह स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

दूसरे उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ताज्जुब है कि राजाओं और उनकी सम्पति और जो उनके खानदान के लोग हैं उनको भी वही के वही अधिकार एग्ज़म्पशन के देने की बात इस कानून में रखी है। यह ठीक है कि उनको कम्पन्सेशन मिलता है और भी दूसरी सहूलियतें मिली हैं, कुछ उनको लिवाज़मा मिलता है लेकिन जहां तक म्युनिसिपैलिटीज़ का सवाल है वहां मुझे समझ में नहीं आता कि वह म्युनिसिपैलिटीज़ के ऊपर प्रिन्सली आॅर्डर किस प्रकार के थोप सकते हैं। जहां तक हमारी सिविक लाइफ़ है उसके जो अधिकार आज प्रत्येक नागरिक में उत्पन्न हो गए हैं उस दृष्टि से प्रिन्सली आॅर्डर को मानकर चलने की जरूरत नहीं है। क्या हमारी सरकार यह बतायेगी हमारे भारत के संविधान में इस प्रकार का प्रोविज़न है कि जीवन के हर स्तर में हर संस्था के द्वारा राजाओं को और उनके खानदान को एग्ज़म्पशन दिया जायगा। मैं मानता हूं कि भारत के काॅनिस्टट्यूशन की जो भावना है और उसमें जो इन राजाओं के लिए सुरक्षा दी गई है उसको बहुत ज्यादा खींचकर यहां लगाने की कोशिश की गई है। मान भी लें कि ऐसी बात होती और म्युनिसिपल बोर्ड को ऐसा कहते तो हमें राजाओं की सम्पत्ति के ऊपर कर लगाने का अधिकार म्युनिसिपल बोर्ड को देना चाहिए। राजा और उनकी सम्पत्ति ऐसी बात नहीं है कि वह किसी कर से महरूम हो। आज डैथ टैक्स लगा है क्या राजा लोग उससे महरूम हैं, क्या आज एक्सपेन्डीचर टैक्स राजाओं पर नहीं लगा ? मुझे समझ में नहीं आता कि म्युनिसिपल बोर्ड जो सिविक लाइफ को चलाने वाली एक संस्था है उसको आप कहें कि राजाओं और उनके खानदान वालों को कर से एग्ज़म्पशन दें। आप जनता से उनके कर्तव्यों के लिए तो बहुत कुछ कहते हैं और जब कोई कर्तव्य आपके ऊपर आ पड़ता है तो आप कहते हैं कि उनके लिए प्रिविलेज़ है। मन्त्री महोदय मुझे कानून के द्वारा साबित करके बता दें कि जो प्रिन्सली आॅर्डर है वह प्रिविलेज्ड आॅर्डर है। मैं समझता हूँ कि पुरुषार्थ की दृष्टि बगैर नाम यह प्रिन्सली आॅर्डर है वह कोई प्रिविलेज्ड

(श्री जनार्दनराय नागर)

ऑर्डर नहीं है। अगर उसके प्रिविलेज्ड ऑर्डर होने के नाते आप उनको एग्ज़म्पशन दें तो मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि यह वैसा ही आर्डर होने है जैसे कि दूसरे जनता के ऑर्डर्स होते हैं। जो यहां पर एग्ज़म्पशन की बात कही है उस से हमें चोट पहुँची है। इस चोट से मेरा मतलब सदन जो राज्य का प्रतिनिधित्व करता है उसको चोट पहुंची है। उल्टे यह होता कि हमारी राज्य सरकार हिम्मत के साथ कहती कि जो कन्वेन्शन राजाओं के मामले में पैदा किया जा रहा है उसको तोड़ने की बात कर रहे हैं। हमारी सरकार ने इस हिम्मत का परिचय तो दिया नहीं और कहा जा रहा है कि हम उनको एग्ज़म्पशन देने जा रहे हैं। राज्य सरकार जिस प्रकार सोच रही है कि उसको एग्ज़म्पशन मिलना चाहिए तो क्या राजाओं को भी उस स्टेटस के अनुकूल मानती है। अगर यह मान लेते तो फिर कई बातों को मान लेते। यदि यह मान लेते हैं तो जो प्रजातंत्र का ढांचा है उसको हम एक प्रकार से नहीं मानते हैं। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट की राजाओं को खुश करने की मनोवृत्ति है इसलिए यह प्रावधान हमारे सामने संशोधन के रूप में आया है। मैं चाहता हूँ कि सरकार हौसले के साथ काम करे। वैसे मुझे कानून का व्यवहारिक ज्ञान नहीं है लेकिन हिन्दुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में राजाओं को प्रिविलेज़ रूप में नहीं लिया गया है, यह मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ। हां, उनको कुछ सहूलियतें दी गई हैं लेकिन यह बात नहीं है कि उनको प्रिविलेज़ मिल गया है कि म्युनिसिपल बोर्ड कोई टैक्स लगाये तो उनको एग्ज़म्पशन दे दे। आज भी राजाओं के पास करोड़ों रुपयों की सम्पति मौजूद है और आज हिन्दुस्तान में बिना किसी सामाजिक उपयोगिता के राजा लोग जी रहे हैं। आज जैसे टैक्स लगाने का सवाल है तो उनकी फैमिली पर एग्ज़म्पशन दे दें, उनके वाहनों पर टैक्स नहीं है, चैरीटेबल चीजों पर टैक्स नहीं लेंगे, मैं समझता हूं कि महलों के अन्दर हर जगह कम से कम दस पन्द्रह ठाकुर जी मिलते हैं और वहां हर जगह के लिए कहेंगे कि यह तो चैरीटेबल पर्पज़ के काम में आता है और इस कारण इस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो एक कोने में तो व्यापार करेंगे और दूसरे महल दूसरे काम के अन्दर लायेंगे। तो इस तरह से तो आप सीधे ही कह दीजिए कि राजा लोग हमारे माई बाप हैं और पहले भी थे। यह सही है कि आज यह किसी भी काम के नहीं है। आज बिजली का कोई मामला है तो उसमें उनको कन्सेशन मिलता है। आज सार्वजनिक आदर का सवाल है तो उनको आदर मिलता है। यह पैरेसाइट की जो भावना है उसको आप कब तक जनता के कन्धों पर उठाते जायेंगे। जो आज आगम की सावधानी है उसको आज हमारी सरकार नहीं समझ पाती है। आज हिन्दुस्तान में वह सवाल आया है जब कि प्रिन्सली ऑर्डर को खत्म करने के लिए कदम उठाने चाहिए। मुझे मालूम है कि कांग्रेस में यह जनमत है लेकिन जबकि हमारे नेता लोग ही उनको आज इस प्रकार के प्रिविलेज़ दें तो क्या हो सकता है।

अन्त में एक बड़ी मजेदार बात रख दी गई है कि सरकार जहां उचित समझेगी वहां टैक्स का एग्ज़म्पशन कर देगी। मेरी समझ में आता है कि आपने इस हाथ से दिया और इस हाथ से सब कुछ ले लिया। ठीक

(श्री जनार्दनराय नागर)

है सरकार सर्वोच्च अधिकारी है लेकिन यह नहीं कि आप कोई निश्चित आधार दिये बिना ही इस प्रकार का प्रावधान अपने लिए बना लें कि कोई टैक्स लेने से किसी को एग्ज़म्पशन कर दें। यह ऐसा प्रावधान है कि जिसको मंजूर कर लिया तो सरकार को ऐसा अधिकार देते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। मैं समझता हूं कि सरकार जहां तक म्युनिसिपैलिटीज़ का सवाल है इस प्रकार का अधिकार लेना चाहती हैं यह सरकार के लिए ठीक नहीं है।

सरकार प्रसंगों को लेकर कह सकती है कि इन इन प्रसंगों पर नहीं लिया जायगा लेकिन एक भी प्रसंग दिया नहीं, आधार दिया नहीं। राजा महाराजा माई बाप है उन पर नहीं लगेगा। फिर कौन उन पर लगा सकता है। इसलिये सारा संशोधन देखने में बड़ा मनोहर है लेकिन अन्दर से बड़ा विकराल है और जो म्युनिसिपल जीवन की प्रगति के लिये अच्छा कानून रखा है उसकी जान लेनेवाला है। इसलिये इसका विरोधडट कर किया जाना चाहिये और हर कीमत पर मैं इसका विरोध करता हूँ।

(करतल ध्वनि)

श्री उपाध्यक्ष रावल श्री नरेन्द्रसिंह

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न इस समय उपस्थित हो रहा है इसके लिये मेरी तरफ से निवेदन है कि जैसा संशोधन मंत्रीजी ने उपस्थित किया है ऐसा सभी मामलों में जिन पर कानून लागू होता है सब के लिये बराबर रहना चाहिये। मैं इसका पूर्णतया अनुमोदन करता हूँ, लेकिन साथ ही निवेदन करूंगा कि जैसे गवर्नमेंट के दूसरे ऑफिसेज़ हैं, दूसरी जगहें हैं, सेन्टर की चीजें हैं उनके लिये जो व्यवस्था है वही रईसों और उनकी फेमिली के लिये होने का सवाल है, उनमें फर्क नहीं होना चाहिये। बड़े जोर से यह प्रश्न यहां पर उपस्थित हुआ है और बड़े जोश के साथ में यहां पर कहा गया है। मैं उसको पूरी तरह से मानता हुआ यह निवेदन करूंगा कि राजाओं को ही सिंगल आउट करने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट के दूसरे ऑफिसेज़ हैं, सब चीजें हैं उनके साथ भी समान बर्ताव करना चाहिये। रईसों के वास्ते छोटी मोटी बात करने का मौका आता है तो उसका विरोध किया जाता है। मैं निवेदन करूंगा कि उनके खास प्रिवलेजेज़ हैं और खास प्रिवलेजेज़ उनको दिये गये हैं इसके बारे में गलत धारणा है उपाध्यक्ष महोदय, मैं अधिक जानता तो नहीं लेकिन थोड़ी सी बात इस वास्ते कहने के लिये उपस्थित हुआ हूं कि लोग यह समझते हैं कि स्टेट्स वगैरह उन लोगों से छुड़ाई गई हैं लेकिन यह बात नहीं है, बल्कि उन्होंने हर्ष के साथ छोड़ी है। जिस समय भारत की स्वतन्त्रता का प्रश्न आया उस समय उन्होंने अपनी तरफ से जो दी जानेवाली चीजें थी उनको बड़े हर्ष के साथ वोलेन्टियर करके त्याग दी। यह बात नहीं थी कि उनको दबाया जाकर उनसे ये चीजें ली गई थी। इस प्रकार की धारणा सदन में बनती है और दूसरी तरफ भी आती है। इसलिये मैं जनता के सेवक के नाते निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की धारणा बनाना ठीक धारणा नहीं है। साथ ही मुझे यह निवेदन करना है कि जैसे इनके ये

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

प्रिवलेजेज़ हैं और राइट्स हैं इनके होते हुए भी जैसे उन्होंने पहले बड़ी बड़ी चीज़ों को छोड़ दिया है। तो इन छोटी चीज़ों के बारे में वे कोई विचार करेंगे ऐसी बात नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ने खुद ने उनको प्रिवलेजेज़ दी है और अपने लिये भी रख छोड़ी और रईसों के लिये भी रख छोड़ी हैं। लेकिन यह प्रश्न आता है जैसा मैं कहूँगा म्युनिसिपैलिटीज़ को किसी के भी कारण से असुविधा नहीं रहनी चाहिये, यह मैं मानता हूं। लेकिन साथ ही जैसी गवर्नमेंट की चीजें हैं, दूसरी चीजें हैं बिल्डिंगज़ और चीजें हैं उनके लिये राज्य का बज़ट है, सेन्टर का भी बज़ट है उससे मीट करेंगे इनका भार म्युनिसिपैलिटीज़ पर क्यों पड़े और डिफरेन्सियेशन की बात क्यों होनी चाहिये। इसके लिये बर्दाश्त करने का सवाल है तो गवर्नमेंट अपने बजट से करे। रईसों के लिये सवाल भी बराबर इसी तरह का है। मैं निवेदन करूंगा उस तबके से जो ज्यादा खींचकर बात उठाते हैं कि रईसों में और दूसरों में डिफरेन्सियेशन क्यों हो रहा है, राजाओं ने जिस समय अपना राज्य छोड़ा था उस समय कॉन्स्टिट्युशन के द्वारा उनको जो प्रिविलेजेज़ मिली थी उनके ऊपर कुठाराघात करने का यदि यह प्रश्न आयगा तो मुझे भय है कि शायद वह समय भी दूर नहीं होगा, और उसके लिये दो दफा सोचने की आवश्यकता होगी, जब रईस यह कह सकते हैं कि यदि इस प्रकार से गवर्नमेंट तय हुई चीज़ को वापिस लेना चाहती है तो हम उसको क्यों न वापिस लें और उस समय भयंकर स्थिति पैदा होगी। इसके लिये आपको दो दफा सोचने की आवश्यकता हो सकती है। जो प्रिविलेजेज़ कान्स्टिट्युशन के द्वारा उनको मिले हुए हैं उनको ध्यान में रख कर चलना चाहिये। लेकिन इस समय म्युनिसिपैलिटी का प्रश्न है। यदि गवर्नमेंट की चीज़ों के लिये म्युनिसिपैलिटी के ऊपर भार न डाला जाय और उसका भार गवर्नमेंट खुद बर्दाश्त करे। गवर्नमेंट की चीज़ का यह हो सकता है कि यदि उनके काम में लाई जायगी तो बड़ी दिक्कत हो सकती है डिपार्टमेंट पर ज्यादा बोझ पड़ेगा और गवर्नमेंट के फाइनेन्स डिपार्टमेंट से व्यवधान होना चाहिये। गवर्नमेंट की चीज़ के लिये, सेन्टर की चीज़ के लिये और राजाओं की चीज़ के लिये एक ही तरह का प्रावधान होना आवश्यक है। इसमें यदि दो तरह का हिसाब रहा तो कानून का ज़रिया लेने का प्रश्न पैदा होगा। रईसों के प्रिविलेजेज़ पर कुठाराघात होता है तो उसको नये सिरे से क्यों नहीं लिया जाय। कॉन्स्टिट्यूशन और नियमावली की चीज़ है, उस पर बवंडर उपस्थित हो जायगा जिसको रोकने के लिये शायद आपको दो दफा सोचने की आवश्यकता होगी। तो मेरा निवेदन है कि इस प्रकार का प्रश्न भावना से कह दिया जाय, कि रईसों के साथ रियायत नहीं बरती जाय तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस समय जो नये रईस बन रहे हैं, मैं रईसों का रिप्रेजेन्टेटिव बन कर नहीं कह रहा हूं लेकिन हो सकता है कि रईस ऐसी छोटी बात पर विचार नहीं करें लेकिन जो दूसरा तबका आज रईस बन रहा है उनका इससे अहित होगा शायद ऐसा सोचना पड़े। इसलिये लिये ऐसी चीज़ पर अच्छी तरह से विचार करना होगा।

श्री दया कृष्ण विजय (छबड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ की सब-क्लॉज

(श्री दयाकृष्ण विजय)

दो के अन्तर्गत एग्जेम्पसन रखा गया है टैक्सेशन से, इसके विषय में मैंनें प्रारम्भ में भी बताया था कि इस उप खंड दो के अन्दर जो एग्जेम्पसन रखा गया है, वह इतनी सरकार के हाथ में ताकत दे देताहै कि सारे क्लॉज को रखने का, इस प्रकार के टैक्सेज़ लगाने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। जब टैक्स लगा ने की ताकत नगरपालिकाओं को देते हैं तब आप यह सोचते हैं कि नगरपालिकायें अपने स्वायत शासन को चलाने के लिये किस प्रकार से अर्थ संग्रह कर सकती हैं, उनके पास एक ही साधन है और वह है किसी प्रकार के टैक्सेशन करने का। जब आप टैक्स लगा ते हैं तो टैक्स लगाते वक्त सरकार की और नगरपालिका की समान दृष्टि सब लोगों के प्रति होनी चाहिए। उनमें न तो सरकार के पास इस प्रकार की ताकत होनी चाहिए कि वह जिसे चाहे जिस टैक्स से चाहे माफ कर सकती है, न नगरपालिका के पास इस प्रकार की ताकत होनी चाहिए कि वह जिस टैक्स को चाहे, उसको वसूल करे या न करे। इस तरह की बात को जब हमदेखते हैं और जब टैक्स के लगाने पर जोर देते हैं तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि नगरपालिका का काम कैसे चलेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सरकार को यह इस बिल में आबलीगेट्री टैक्स लगाने का प्रवधान रख लेती है तो उस वक्त सरकार को यह देखना पड़ेगा····

श्री गिरधारी लाल (नोखा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोरम की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूं गा।

श्री उपाध्यक्ष : आप बड़े सतर्क रहते हैं इस प्रश्न पर।

(गण पूरक घंटी के पश्चात् पुनः)

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं निवेदन कर रहा था कि हम नगरपालिका को टैक्स लगाने के लिए मजबूर करते हैं और कुछ ऑबलीगेट्री टैक्सेज़, कुछ आवश्यक टैक्सेज़ हमने इस बिल में रखे हैं। जहां तक टैक्स लगाने का और कर लगाने का सिद्धान्त है, वह बहुत ही स्पष्ट है कि हम नगरपालिका के काम को सुचारु रूप से चलाने के लिए टैक्स लगाते हैं। नगरपालिका के टैक्स इस प्रकार के टैक्स नहीं हैकि जिससे बड़े बड़े आदमियों को कहा जाय कि हम समाजवादी व्यवस्था लाना चाह ते हैं, इस लिए बड़े बड़े आदमियों पर टैक्स लगाना चाहते हैं और गरीब आदमियों को यह कहा जाय कि क्यों कि तुम गरीब हो इसलिए तुम्हें इस टैक्स से छोड़ना चाहते हैं। टैक्स लगाते वक्त जिस बात को ध्यान में रखना चाहिए, उसके लिए मैंने पहले निवेदन किया था कि हम दो प्रकार के टैक्स लगाते हैं, एक तो डाइरेक्ट टैक्स होते हैं और दूसरे इनडाइरेक्ट टैक्स होते हैं जहां तक इन डाइरेक्ट टैक्स का सवाल है, यह सामान्य जनता पर असर करता है, उसका गरीब जनता पर असर होता है क्योंकि हर एक व्यक्ति को जीवन की आवश्यक वस्तुओं के लिए चुंगी चुकानी पड़ती है, हर व्यक्ति को, चूंगी टैक्स चुकाना पड़ता है। हर गरीब व्यक्ति को हर मजदूर को और छोटे छोटे आदमियों को यह टैक्स देना पड़ता है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमें टैक्स लगाते वक्त गम्भीरता से विचार करना चाहिए कि इनडाइरेक्ट टैक्सेज़ इतने भारी न हो जाय कि सामान्य जनता के उपर बड़ा भारी बोझ होजाय। हम डाइरेक्ट टैक्स लगा सकते हैं। और वह टैक्स भी ऐसा

(श्री दयाकृष्ण विजय)

होना चाहिए जिससे जो असर हो, वह ऐसे समाज पर असर हो जो काफ़ी पैसे वाला तबका है, जो व्यापारी कम्युनिटी है उन पर यह टैक्स लगाना चाहिए। मैं निवेदन करता हूं कि जो टैक्सेज का प्रावधान हम इस-बिल में रखते हैं, इसके सम्बन्ध में मेरा सरकार के उपर आरोप है कि सरकार उन टैक्सेज का नगरपालिका किस प्रकार दुरूपयोग करती है, इस विषय में ध्यान नहीं देती। में कोटा नगरपालिका के कुछ उदाहरण सदन के सामने रखूंगा और यह बताना चहता हूं कि किस प्रकार कोटा नगरपालिका का चेयर-मैन धन का दुरूपयोग कर रहा है। इस पर माननीय मंत्री जी ध्यान देगें तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं निवेदन करूंगा कि आप बातचीत बन्द करेगें और सुनेंगे तो अच्छा होगा। तो मैं बताना चाहता हूं कि नगरपा-लिका टैक्स वसूल कर रही हैं। उनका किस प्रकार चेयरमैन और नगर पालिका दुरुप-योग कर रहीहै। मैं कोटा नगर पालिका के दो चार उदाहरण रखते हुए निवेदन करूंगा कि जिस समय केवल नगरपालिका में १८ सदस्य रह गये हैं और जब यह बोर्ड काम कर रहाहै, वहां के चेयर मैन समझते हैं कि नगर पालिका की सारी सत्ता उनके हाथ में है, किसी काम में बोर्ड की संक्शन नहीं ली जाती है। चेयरमैन को जिस प्रकार टैक्स को खर्च करने की पावर्स नहीं हैं, उस प्रकार चेयरमैन उसको बराबर खर्च कर रहेहैं। वहां की नगरपालिका का ६०हजार का टट्टियों का कान्ट्रेक्ट देने का प्रश्न था, वह कॉन्ट्रेक्ट उस व्यक्ति ने दे दिया है जब कि चेयरमैन को इस प्रकार का कॉन्ट्रेक्ट देने का, जब तक कि बोर्ड की संक्शन नहीं हो जाती है, अधिकार नहीं है। इसी प्रकार टेक्टर्स खरीदे गये हैं, एक साढ़े नो हजार रुपये में और दूसरा ११ हजार रुपये में खरीदा गया है। चेयरमैन को इतना पैसा खर्च करने का अधिकार नहीं है, उनको १ हजार रुपये देने का है।उन्होंने एक, एक हजार के चेक इश्यू कर दिये हैं और इस प्रकार ६ हज़ार रुपये का पेमेन्ट कर दिया। अभी वहां पर यज्ञ हो रहा है, उसके लिए ढ़ाई हज़ार रुपये नगरपालिका दे रही है यद्यपि यह एक धार्मिक मामला है और यदि नगरपालिका एक मज़हब के साथ रियायत करती है तो दूसरे मज़हब वाले आपत्ति कर सकते हैं। तो यदि इस प्रकार रुपये देने हैं तो कम से कम बोर्ड की संक्शन लेने की आवश्यकता है, यह मेरी विशेष आपत्ति है...

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble Shri Nagar please, not to disturb the House. Will not talk across the table.

श्री दयाकृष्ण विजय : यदि हम टैक्स लगाना चाहते हैं और ऑब्लीगेट्री टैक्सेज़ लगाना चाहते हैं तो सरकार का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि उन टैक्सेज़ का सदुपयोग हो, इस पर सरकार ध्यान दे। यदि सारी नगर-पालिकाओं के उदाहरण दिये जाय तो हज़ारों उदाहरण देखने को मिलते हैं। मैं निवेदन करूं कि टैक्स असेस करने के लिए आपने असेसर नियुक्त करने का अधिकार गवर्नमेंट के हाथ में दिया है। जब कि कोटा नगर पालिका के चेयरमैन ने, यह कह कर कि बोर्ड ने असेसर रखा है, असेसर रख लिया है, जब कि बोर्ड की स्वीकृति नहीं है। मैं इस का मैम्बर होने के नाते कह सकता हूं कि इस प्रकार की स्वीकृति नहीं दी थी और चेयर-मैन ने जो असेसर रखा है, उसको रखने की पॉवर उसके पास नहीं थी। इस प्रकार

Page No.50

(श्री दयाकृष्ण विजय)

आज टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है। यह दुरुपयोग इसलिए हो रहा है कि बजट जो था, उसकी रकम बाकी नहीं बचनी चाहिए और वे समझते हैं कि बोर्ड की सैंक्शन लेने की जरूरत नहीं है। जब गवर्नमेंट पूछती है तो वह कह देते हैं कि बोर्ड की मंजूरी ले ली है। यदि वहां की इन्क्वायरी कराई जायगी तो मालूम पड़ेगा। आप बोर्ड की मीटिंग की प्रोसीडिंग्स उठा कर देख लीजिये, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बोर्ड की बिना इज़ाजत के ये जितने काम हैं, ६० हज़ार का कॉन्ट्रेक्ट देने का, ट्रेक्टर खरीदने का, यज्ञ के लिए पैसा देने का, असेसर की नियुक्ति करने का, इनके लिए बोर्ड की पर्मीशन नहीं ली गई है। वहां के चेयरमैन इस प्रकार की ज्यादतियां करते हैं, वह चेयरमैन नगरपालिका में जम कर बैठा रहे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि क्योंकि वह कांग्रेसी चेयरमैन है, इसलिए सरकार आंख मूंद कर बैठी है। यदि विरोधी दल का चेयरमैन होता तो सरकार की ओर से अब तक फरमान निकल जाता कि इस चेयरमैन को निकाल दिया जाय। सरकार की ओर से इस प्रकार का पक्षपात किया जाता है और जहां इस प्रकार एक चेयरमैन ज्यादतियां करता है और ऐसे काम करता है जो उसके पॉवर में नहीं है, और ये चीजें नज़र अन्दाज की जाती है तो इनको देख कर मैं कह सकता हूं कि सरकार जब टैक्स लगाने का अधिकार लेना चाहती है और उन पर निरीक्षण नहीं रखती है तो सरकार को किसी प्रकार ऐसे अधिकार लेने का हक नहीं है। जनता के ऊपर जो चेयरमैन कठोर से कठोर कर लगा सकता है, उस चेयरमैन के हाथ में यह निरंकुश सत्ता दी जाय और सरकार उस तरफ देखती नहीं है तो मैं कह सकता हूं कि जो जनता का पैसा है, जो जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है, जो खून पसीना एक कर के वे टैक्स देते हैं, उस टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा है, इसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और हमारी सरकार उसे आंख मूंद कर देखती है, तो मैं बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार का सरकार की ओर से संशोधन रखा है, इसके पहले जो सदन की भावना थी, उनमें एक बात मानी जाती है और जिस पर कई भाषण भी हुये हैं कि कर से राजाओं को मुक्त किया जाना चाहिए। मुझे इस बात को देख कर दुःख होता है। हम पुरानी भावनाओं को भूल गये हैं। १९४२-४३ के ज़माने की बात है कि कोटा में और स्टेट्स में प्रजा-मंडल बने हुए थे। उस समय रियासती शासन के खिलाफ बगावत की गई थी और जनता का शासन ज़माने के लिए आन्दोलन किया था, उस समय बहुत व्यक्ति जेल में भी गये थे। उनका कहना था कि राजाशाही खत्म होकर जनता का राज्य आना चाहिए। उस समय किसी प्रिविलेज़ का क्वेश्चन नहीं था, उस समय प्रिवीपर्स का प्रश्न नहीं था। उस समय इस प्रकार का आन्दोलन हर जगह चला था, इस प्रकार के आन्दोलन में भाग लिया जिन्होंने, उनमें से कुछ उधर बैठने वालों में भी मौजूद हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि उन सिद्धान्तों को बलाये ताक रख कर एग्रीमेंट की बात कही जाती है कि क्योंकि भारत सरकार ने एग्रीमेंट किया है, आखिर यह एग्रीमेंट कितने वर्ष तक चलेगा। आज़ादी के मिलने के बाद, स्टेट्स को मर्ज हुए काफी समय हो गया है। आज जब हम इस प्रकार के कानून को बनाते हैं तो निश्चित रूप से

(श्री दयाकृष्ण विजय)

देखना पड़ेगा कि जिस प्रकार के टैक्स लगाये जाते हैं वे कम से कम इस प्रकार के हों कि जो प्रिविलेजेज़ है राजा महाराजाओं के, वे समाप्त होने चाहिए। मैंने उस दिन भी बातें बताई थीं कि नगरपालिका का शासन स्वायत्त शासन है, जिसको वहां की नगरपालिका मिल कर चलाती है और यह शासन नागरिकों के हित के लिये होता है। राजा हो या गरीब, सेठ हो या उसका कर्मचारी, मुनीम हो सकता है पर सारे के सारे नगर के साथी हैं। उन सब के हित का समान रुप से नगरपालिका पर दायित्व है। फिर इस प्रकार की शर्तें रखना और यह कहना कि भारत सरकार का इन राजाओं के साथ एग्रीमेंट है, उसके लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कोई नई चीज़ लाई जाती है उसके लिये इस प्रकार की दलील का देना समझ में नही आता। नगरपालिका जो पैसे का कलेक्शन करती है उस पैसे को सब लोगों के हित के लिये समान रूप से, पेशाबघर, टट्टी आदि बनवाने के लिये खर्च करती है और सफाई आदि का प्रबन्ध करती है। तो फिर इस प्रकार की दलील का दिया जाना कहां तक उचित और युक्ति संगत कहा जा सकता है। मेरा सबसे बड़ा विरोध यह है कि उन राजाओं से जिनके कामर्शियल बेसिस पर होटल्स चलते हैं, बिज़नैस चलते हैं, उन पर टैक्स लगायेंगे पर सरकार ने सारी चीजें, सारे पॉवर्स अपने हाथ में रख लिये हैं। सरकार के हाथों में सत्ता रहती है तो पक्षपात करती है, इस प्रकार के हज़ारों उदाहरण दिये जा सकते हैं। इस प्रकार की सत्ता सरकार के हाथों में रहने के कारण एक नहीं अनेकों निर्णय पक्षपातपूर्ण तरीके से दिये गये हैं।

मैं स्वयं सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में रहा हूं। सरकार को अधिकार नहीं है कि ओटोनोमस बोडी के अधिकारों में हस्तक्षेप करे, ओटोनोमस संस्था के ऊपर निर्णय दे। पर यहां के मिनिस्टर महोदय इस पर निर्णय दे देते हैं। कलेक्टर किसी सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का चेयरमैन होता है, इस कारण उसको मानना पड़ता है। और मामलों में भी इस प्रकार के निर्णय दिये जाते हैं, ज़मीन बेचने का प्रश्न आता है तो कहीं ७ रुपया फुट में ज़मीन बेची जाती है और कहीं ५ रुपया फुट में बेची जाती है। सरकार द्वारा जो निर्णय दिये जाते हैं सब पक्षपातपूर्ण निर्णय दिये जाते हैं। इसलिये इन सारी बातों को ध्यान में रख कर हम कह सकते हैं कि इस प्रकार का क्लॉज़ रखने से भ्रष्टाचार बढ़ेगा और कुनबा परस्ती करने के लिये सरकार को मौका दिया जायगा। इस प्रकार के लेकुना, इस प्रकार की कमियां कानून के अन्दर नहीं रखनी चाहिये जिससे कि सरकार के हाथों में इस प्रकार की सत्ता चली जाय कि सरकार मन माने ढंग से मनमानी कर सके। जिन कानूनों में खामियां होंगी, कमजोरियां होंगी तो उन खामियों और कमजोरियों का दुरुपयोग होगा। मनुष्य कमजोरियों से भरा पड़ा है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई पार्टी मैम्बर हो सकता है, कुछ आंख की शर्म होती है, पास में रहने वाले का भी लिहाज़ हो सकता है, उसके कारण उसके साथ पक्षपात और जनता के साथ अन्याय करना पड़ता है। तो मैं यह बात नहीं चाहता कि कानून के अन्दर इस प्रकार का लेकूना रखा जाय, इस प्रकार की कमजोरी रखी जाय।

जहां 'रीज़नेबल ग्राउन्डस' रखा है उसके स्थान पर यदि 'पब्लिक पर्पज' ये शब्द रखते

(श्री दयाकृष्ण विजय)

तो ज्यादा अच्छा होता। एक रीज़नेबल बात आपकी निगाह में क्या हो सकती है और जनता की निगाह में क्या हो सकती है, इसमें बड़ा मतभेद और विवाद हो सकता है। मिनिस्टर साहब की निगाह में, पार्टी के हित में जो निर्णय हो वह रीज़नेबल हो सकता है और जनता के हित में जो निर्णय हो वह जनता के हित में रीज़नेबल ग्राउन्ड हो सकता है। इसलिये रीज़नेबल ग्राउन्ड इन शब्दों के स्थान पर पब्लिक पर्पज़, सार्वजनिक हित ये शब्द होते तो बात समझ में आ सकती थी।

मैं तो यह कहता हूँ कि इस प्रकार यह रखने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? जब आपने लिख दिया है कि कोई वर्शिप की प्लेस हो, चेरीटेबल और पब्लिक पर्पज़ के लिये हो यह रखा है:

"(c) any property used solely for public purposes or as a place of public worship or for a charitable or religious use or purpose...."

जब सारी चीजें कम्प्लीटली मुक्त कर दी हैं तो 'रीज़नेबल ग्राउन्ड्स' ये शब्द रखने की क्यों आवश्यकता महसूस हुई। यह तो पुनरावृत्ति है, पुनरावृत्ति ही नहीं बल्कि सरकार अपने हाथ में ऐसी ताकत लेना चाहती है कि जिस व्यक्ति को चाहे उसी तरह मुक्त कर दे। जब चैरीटेबल और सार्वजनिक पर्पज सब रखे हैं और इनके उपरान्त यह इस प्रकार की सत्ता सरकार अपने हाथ में रखना चाहती है तो मुझे सरकार की गलत धारणा के प्रति निश्चित धारणा हो जाती है कि सरकार इस प्रकार के लेकूनाज़ कानून में रखती है वह अपने आदमियों को लाभ पहुँचाने के लिये रखती है।

इसलिये मैं तो चाहता हूँ कि इस ५ सब-क्लॉज़ को समाप्त कर दिया जाना चाहिये। यदि क्लॉज़ रखा गया तो कुनबा परस्ती की जायगी, पार्टीबाजी होगी और इस तरह जनता के साथ अन्याय और विश्वासघात होगा।

इन सारी बातों को देखते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि पब्लिक पर्पज, चैरीटेबल वगैरह सब आ चुके हैं तो इस क्लॉज़ की आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमसेन।

श्री **भीमसेन** (लूनकरणसर) : माननीय उपाध्यक्ष; संशोधित क्लॉज़ पर बहस चल रही है। राजस्थान सरकार तथा केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति पर म्युनिसिपल टैक्स नहीं लगाना किसी हद तक समझ में आ सकता है, पर राजाओं की सम्पत्ति पर इस प्रकार का टैक्स न लगाना, उचित नहीं है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : वह क्यों कर?

श्री उपाध्यक्ष : आप आरम्भ रखिये....

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : वह यों कि राजाओं का हिन्दुस्तान नहीं है।

श्री भीमसेन : इसके लिये यह कहा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के

(श्री भीमसेन)

अनुसार हम राजाओं पर टैक्स नहीं लगा सकते । जहां तक मेरी जानकारी है, कॉन्स्टीट्यूशन की धारा ३६२ है । उसके तहत राजाओं के साथ कोवोनेन्ट हुआ है उसकी रक्षा की गई है । उसके बाद राजाओं पर गिफ्ट टैक्स लगा, एक्स्पेन्डीचर टैक्स राजाओं पर लगा, तो यह कहना कि कोवोनेन्ट के अनुसार जो शर्तें हैं, वे हमें इज़ाज़त नहीं देती कि राजाओं पर किसी भी प्रकार का टैक्स लगायें, यह उचित नहीं है । राजाओं को उन्हीं टैक्सेज़ से मुक्त किया गया है कि जिस दिन कोवोनेन्ट हुआ उस दिन उन पर जो नहीं लग रहे थे, इसी चीज़ का कानून में प्रावधान है, ऐसी बात नहीं है कि फ्यूचर में भी जो कानून लगें उनसे भी राजाओं को मुक्त रखा जाय । उनकी विहिकल्स पर, एनिमल्स पर, प्रोपर्टी पर, सम्पत्ति पर लगाना चाहिये । मन्त्री महोदय कहते हैं कि कोवोनेन्ट इज़ाज़त नहीं देता, यह मेरी समझ में नहीं आता । अभी अभी बजट अधिवेशन के समय यह भी कहा गया कि जयपुर, बीकानेर और जोधपुर के राजाओं को एक लाख रुपया सालाना का पानी और बिजली देते हैं, जो बहुत बड़ा कंसेशन है, जयपुर के महाराजा को दो लाख रुपया सालाना दान देने के लिये देते हैं, यह जनता के पैसे का दुरुपयोग होता ।

श्री जनार्दनराय : बड़े गरीब हैं ये राजा लोग । बड़े गरीब हैं इसलिये इनको दिया जाता है...

श्री. उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य को बड़ी वेदना हो रही है इसी में जो इस प्रकार के एक्सप्रेशन कर रहे हैं ।

श्री जनार्दनराय नागर : इस राजाओं को स्वर्ग में भेजना है ।

श्री उपाध्यक्ष : Yes you will continue pleasee ?

श्री भीमसेन : हम मानते हैं कि राजाओं ने पर्सनली बड़ा त्याग किया है

श्री जनार्दनराय नागर : बड़े गरीब हैं ये राजा लोग...

श्री भैरोंसिंह : वह वेदना अब बढ़ रही है। तो उस वेदना का इलाज़ कराने के लिये या तो माननीय सदस्य को डाक्टर के पास भेजना चाहिये या माननीय सदस्य चुप रहें ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : वह वेदना पीड़ा में परिवर्तित हो रही है ।

(हंसी)

श्री भीमसेन : इस कारण उनको दे रहे हैं कि हमने उनके साथ इस बात की गारन्टी ली है, हमने यह शर्त मन्जूर की है कि माननीय उपाध्यक्ष, मैं समझता हूं कि राजाओं ने बहुत बड़ा त्याग किया है और अगर हम राजाओं के पास पर्सनल एप्रोच करें और पब्लिक की भावना क्या है उसको कहें तो मैं समझता हूं कि राजालोग जिन्होंने बहुत कुछ त्याग किया है इ, स त्याग को भी कर सकेंगे । तो माननीय उपाध्यक्ष, मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूगा कि म्युनिसि-

(श्री भीमसेन)

पैलिटी एक्ट में उनको टैक्स से मुक्त किया जा रहा है वह बिल्कुल उपयुक्त नहीं है।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसका समर्थन करता हूँ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Why to disturb? Let us see what he advocates.

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : सरकारी केस को एडवोकेट....

श्री सोहनलाल भटनागर : उपाध्यक्ष महोदय, पहले जो म्युनिसिपल एक्ट बने हुए हैं उनको देखें और इस एक्ट को भी देखें तो दोनों को देखने के बाद निश्चित तौर से यह कहा जा सकता है कि निश्चित तौर से इसमें सुधार किया गया है और माननीय सदस्यों ने जो बातें कही हैं उनका समाधान किया गया है।

एग्जेम्पशन को हम पांच भागों में बांट सकते है।

(१) सेन्ट्रल गवर्नमेंट को

(२) स्टेट गवर्नमेंट को

(३) राजाओं को

(४) पब्लिक प्लेसेज़ ऑफ वर्शिप

(५) जनरल एग्जेम्पशन ।

उपाध्यक्ष महोदय, सेन्ट्रल गवर्नमेंट के बिल्डिंग्ज हैं उनके बारे में कई माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार प्रगट किये हैं। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि हम देखें तो आपको मालूम होगा कि जो कुछ खर्च म्युनिसिपैलिटी प्राप्त करती है वह गवर्नमेंट से या सेन्ट्रल गवर्नमेंट से, उससे उसको ज्यादा कोई मदद नहीं प्राप्त होती। ऐसी सूरत में हम कहें कि जो कुछ सरकार चाहती है वही हम उसको दे रहे हैं और इसलिये सर्वभौम सत्ता तो प्रान्तीय सरकार के हाथ में है। ऐसी सूरत में हम कोई भी टैक्स लगाते हैं, एग्साइज़ टैक्स या कोई दूसरा टैक्स लगाते है अगर वह सरकार की चीज़ पर नहीं लगाते हैं तो मेरे ख्याल से यह उचित ही होगा कि जो बिल्डिंग्ज़ भारत सरकार के या केन्द्रीय सरकार के या प्रान्तीय सरकार के हैं उन पर किसी प्रकार से टैक्स लगाया जावे। ये बिल्डिंग्ज सारे समाज के हैं। यदि इन पर टैक्स लगता है तो सारे समाज पर यह टैक्स पड़ता है। इसके बारे में उपाध्यक्ष महोदय आप देखें तो आपको मालूम होगा कि प्रान्तीय सरकार से म्युनिसिपैलिटीज़ कई तरह का अर्थ लाभ प्राप्त करती है और जहां पर म्युनिसिपैलिटी के जीफंक्शन्स होते हैं उसे प्रान्तीय सरकार या केन्द्रीय सरकार करती है।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : सरकार क्या ध्यान देती है।

श्री उपाध्यक्ष : He is not yielding the floor, Hon'ble Member.

श्री सोहनलाल भटनागर : कहीं सड़कें बनाती है और इसी तरह से लाइटिंग आदि का भी प्रबन्ध करती है।

श्री जनार्दनराय नागर : म्युनिसिपैलिटी करती हैं ....

श्री सोहनलाल भटनागर : प्रान्तीय सरकार करती है । मैं आपको एग्जेम्पल के तौर पर बताता हूं इसलिये ऐसी सूरत में इस प्रकार के बिल्डिंग्ज़ हैं जो प्रान्तीय सरकार के हो या केन्द्रीय सरकार के हो उनको एग्जेम्पशन दिया जावे । दूसरा एग्जेम्पशन दिया गया है इससे भी काफी सुधार होगा । आज सरकार ट्रेड में घुस रही है । अगर वह पब्लिक पर्पज के लिये नहीं होगा और लाभ की दृष्टि से होगा तो उसके लिये यह उचित होगा । तीसरी बात राजाओं के लिये कहा गया है । कोई भी माननीय सदस्य ने नहीं कहा और नहीं कहेगा....

श्री जनार्दनराय नागर : हमतो जरूर कहेंगे । क्योंकि राजाओं ने काफी त्याग किया और इसी कारण सारे देश और प्रांत की हालत को देखते हुए हमें सभी काम करने हैं । कुछ वर्ष पहले कोवेनेन्ट बनाया गया और संविधान में इसके लिये प्रावधान रखा गया और हमारे देश के नेताओं ने इस प्रकार का प्रावधान रखा है । इसका मतलब यह नहीं है कि हम एग्जेम्पशन को I challenge the Government they must convince us......... कोवेनेन्ट में कोई ऐसा अधिकार राजाओं को नहीं दिया गया है । We want to be convinced. We are not going to believe in this. We want....

श्री उपाध्यक्ष : Yes, that is more than enough. The hon'ble Member has taken your idea.

श्री जनार्दनराय नागर : As a member of this august House, Sir, I want to know whether it is provided in the Constitution or covenants that the princely order will be exempt from Municipal taxes. This is the point Sir.

श्री सोहनलाल भटनागर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बिल्कुल सही है । राजाशाही और जागीरदारी समाप्त करनी थी और शांति से समाप्त करना था इसलिये मुआवज़ा और प्रीवीपर्स आदि राजाओं और जागीरदारों को दिये गये । क्योंकि समय के परिवर्तन को देखते हुए हमारे नेताओं ने और विद्वानों ने इसको विधान में रखा ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सीटी) : कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है ।

श्री सोहनलाल भटनागर : ३६२ में ।

श्री जनार्दनराय नागर : मैं आपको बताना चाहता हूं कि नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble Member ! You will please give him a chance to speak. Let him have a chance.

श्री सोहनलाल भटनागर : ३६२ में है ।

"362. In the exercise of the power of Parliament or of the Legislature of a State to make laws or in the exercise of the executive power of the Union or of a State, due regard shall be had to the gurantee or assurance given under any such covenant

(श्री सोहनलाल भटनागर)

or agreement as is referred to in clause (1) of Article 291 with respect to the personal rights, privileges and dignities of the Ruler of an Indian State."

It says further:-

The use of this expression to mean 'agreements entered into before commencement of the Constitution' has not been happy and has given rise to confusion. Thus in a Nagpur case it has been held that it refers only to agreements relating to privy purse of the Rulers..,:

श्री जनार्दनराय नागर : इसका क्या मतलब है ?

श्री उपाध्यक्ष : आप बहुत धैर्य खोते जा रहे है I appeal to the hon'ble Member to have little patience and not so impatient.

श्री जनार्दनराय नागर : Sir it is irrelevant reading.

श्री उपाध्यक्ष : No, it is not irrelevant. He is rightly throwing light on the subject.

श्री सोहनलाल भटनागर : "..of the Rulers which are dealt within Article 291 (1) and does not accordingly save any other rights or privileges of the Rulers.

It is submitted that the contrary view taken by the Bombay High Court is correct, viz. that Article 362 refers to any agreement entered into by a Ruler with the Government of India prior to the commencement of the Constitution and is intended to safeguard the rights and privileges granted by such agreements."

तो माननीय उपाध्यक्ष मेरा निवेदन करने का मतलब यह था कि पहले मैंने जैसा कमेटी में निवेदन किया कि नागपुर हाईकोर्ट का फैसला हैं, प्रिवीपर्स का ताल्लुक है उसको मानना चाहिये। बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट और उसके बाद सेन्टर ने कोवोनेन्ट और संविधान बनाया उसमें इसको माना है।

श्री भीमसेन : कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है आप उसको जरा बतायें।

(कुछ माननीय सदस्यों के साथ बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : One at a time please.

श्री उपाध्यक्ष : Probaly, Mr. Satish Chandra, you are mistaken. I am on the Chair.

श्री जनार्दनराय नागर : Moreover, Sir, this Bombay High Court decision, is it binding on Rajasthan ?

श्री उपाध्यक्ष : If it is a ruling, it has a binding force.

श्री जनार्दनराय नागर : No Sir, there should be a Supreme Court decision to be binding for Rajasthan.

श्री उपाध्यक्ष : Still, it has to be considered If it is a ruling by the High Court of Bombay, it has to be considered and..

श्री जनार्दनराय नागर : Sir, I appeal to be convinced and I want to be convinced methodically ...

श्री उपाध्यक्ष : Provided the Hon-ble Member chooses to convince you. The chair cannot force him. And then if even after lengthy arguments you don't want to be convinced then there is no other course.

श्री जनार्दनराय नागर : No Sir,.

श्री उपाध्यक्ष : Order please. You will resume your seat.

श्री सोहनलाल भटनागर : तो माननीय उपाध्यक्ष, व्यक्तिगत मेरी राय है कि मावली से आने वाले माननीय सदस्य अपनी प्रगतिशीलता का आचरण बताना चाहते हैं मगर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि वैसे ही विचार मैं भी रखता हूँ ।

श्री जनार्दनराय नागर : What does he mean ? I am convinced about my own views.

श्री उपाध्यक्ष : आचरण शब्द थोड़ा सा अनुपयुक्त था ।

एक माननीय सदस्य : सदाचरण कह दीजिये ।

श्री सोहनलाल भटनागर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि जो भी प्रावधान चतुराई से राज्य सरकार ने रखा है वह ठीक है । जो कुछ उनके पर्सनल ऑक्युपेशन के लिये होगा उसके लिये यह लागू नहीं होगा ।

"(a) any land or any building or part of a building exclusively used and meant for the personal occupation of Ruler."

तो पर्सनल ऑक्युपेशन कितना होगा यह देखना है । मानलें किसी के सैंकड़ों मकान हैं वे सब पर्सनल ही हैं । जैसे आज जयपुर महाराज के बहुत से मकान हैं । उन्होंने होटल भी खोल रखा है और त्रिपोलिया में भी दुकानें हैं इन पर टैक्स नहीं लगता है ।

श्री जनार्दनराय नागर : On a point of order, Sir. It is all contradictory. मैं निवेदन करूंगा कि कोवीनेन्ट में यह नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : Why should you feel so disturbed ?

श्री जनार्दनराय नागर : I submit Sir that this is very....

श्री उपाध्यक्ष : I hope the Hon'ble Member will not disturb the debate. If he has got...

श्री जनार्दनराय नागर : If the Government is trying...

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble Member will not disturb the debate while it is in progress.

२ म० प०

श्री सोहनलाल भटनागर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि सरकार ने यह बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य किया है। सरकार ने कोवेनेन्ट का पालन किया है पर्सनल ऑक्युपेशन की चीज़ को एग्ज़म्पट करते हुए। आज जो प्रावधान है और पहले जो प्रावधान थे उनमें अन्तर है। इस दृष्टि से अब सारी जायदादें एग्जम्प्ट नहीं होगी। जैसे राजाओं के होटल हैं, दूकानें हैं और दूसरी व्यापार की चीजें हैं उनको टैक्स के नीचे लाया गया है। यह एक प्रगतिशील कदम है और जैसा मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने....

श्री उपाध्यक्ष : What are the observations made in Bombay ruling ?

श्री सोहनलाल भटनागर : मैंने पढ़ कर निवेदन कर दिया था।

श्री उपाध्यक्ष : No, the observations so made in the Bombay ruling which you just now referred to in your speech.

श्री भीमसेन (लूनकरणसर) : That only refers to agreements Sir.

श्री सोहनलाल भटनागर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से जो एक प्रगतिशील कदम लाया गया है वह एक पहला कदम कहा जा सकता है। और सदन के माननीय सदस्य....

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सीटी) : प्रगतिशील शब्द ही हटा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : आपके भाषण में दो शब्द खटक रहे हैं, एक तो 'बुद्धिमत्तापूर्ण' और दूसरा 'प्रगतिशील'।

श्री भैरोंसिंह : आचरण शब्द के ऊपर भी माननीय सदस्य की आपत्ति थी।

श्री सोहनलाल भटनागर : माननीय सदस्य इस प्रकार बोल रहे थे बीच में उठ उठ कर जैसे डिमोन्स्ट्रेशन दे रहे हों, उनके व्यवहार से और शब्दों से जो प्रकट कर रहे थे....

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह ऑब्जेक्शनेबिल है शब्द कि डिमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे। यह मावली से आने वाले माननीय सदस्य के भाषण के सम्बन्ध में कहा गया जो सदन में इस प्रकार का कोई का कोई डिमोन्स्ट्रेशन नहीं दिया जाता है इसलिए मेरा निवेदन है कि यह 'डिमोन्स्ट्रेशन' शब्द वे वापस ले लें तो अच्छा है क्योंकि यह अनपार्लियामेन्टरी है।

श्री उपाध्यक्ष : You will not misconstrue the issue.

श्री सोहनलाल भटनागर : बार बार इन्टरप्ट करके....

श्री भैरोंसिंह : On a point of explanation, Sir. It was not a demonstration.

श्री सोहनलाल भटनागर : अच्छा माफी चाहता हूं ।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : यह तो अन्डरग्राउन्ड माफी है ।

श्री सोहनलाल भटनागर : तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि इस तरह से राज्य सरकार ने यह प्रगतिशील पहला कदम उठाया है । वह दिन भी शीघ्र ही आवे कि जब इसमें अमेंडमेंट करना पड़े, सारी ही जायदाद को एग्ज़म्प्शन से निकाल दें तो ठीक है ।

दूसरा मैं निवेदन करूंगा कि वरशिप की जो चीजें हैं वे तो पहले से ही मुस्तसना की हुई थी । जहां मूर्ति है, सेवा होती है वे तो चीजें पहले से ही मुस्तसना थी । लेकिन अन्य चीजों से जो रेन्ट लिया जा रहा है, जैसे नाथद्वारा मन्दिर और दूसरे मन्दिरों की दूकानें हैं और कुछ हैं और उनका रेन्ट आता है तो वे मुस्तसना नहीं होंगे । यह भी काफी प्रगतिशील कदम है ।

आखीर में मैं जनरल एग्ज़म्पशन्स के लिए निवेदन करना चाहता हूं । एक राइडर क्लॉज़ है "The State Government may, if in its opinion reasonable grounds exist...such exemptions in exceptional cases.,...."

केवल रीज़नेबल ग्राउन्डस पर राज्य सरकार एक्सप्शनल केसेज़ में एग्जम्प्टर कर सकेगी । एक तो रीज़नेबल कॉज और दूसरा एक्सप्शनल कॉज़ होना चाहिये । हजारों में कोई एक केस ऐसा हो सकता है । इसलिए सरकार जो अधिकार ले रही है उनका दुरुपयोग होने का सवाल नहीं है । सरकार के पास इमरजेन्सी के वक्त वह कोई कदम उठा सके इसलिए ऐसे पॉवर्स रखने चाहिये ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री) : उपाध्यक्ष महादय....

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : मैं बोलना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री उपाध्यक्ष : Your time is lost now.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री) : आज डेफर्ड क्लॉजेज़ पर सदन में वाद-विवाद हो रहा है । इस क्लॉज़ पर पहले भी वाद-विवाद हुआ था और माननीय सदस्यों ने अपनी राय प्रकट की थी । उसमें यह प्रकट किया गया था कि राजाओं की पोपर्टी उसको यदि वे प्रोफिट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उससे किसी तरह की इनकम ड्रा करते हैं, उनको टैक्स से एग्ज़म्प्ट नहीं करना चाहिये । आज दो बातों को लेकर जो अमेंन्डेड क्लॉज़ पेश किया गया है उसका विरोध किया गया है । एक बात तो यह है कि कोवोनेन्ट और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कोई एग्ज़म्पशन नहीं मिल सकता है और इसमें दिया गया इसलिए गलत है और दूसरी बात जिसका विरोध किया गया वह पहले का जो सब क्लॉज़ २ था उसके सम्बन्ध में है, अमेन्डेड क्लॉज़ में सब सेक्शन ५ में उसको वैसा का वैसा रखा है । जहां तक दूसरे का सवाल है मैं अर्ज करूंगा कि दफा सब क्लॉज़ २ में पहले यह प्रोविज़न था कि स्टेट गवर्नमेंट रीजनेबल

Page No.60

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

ग्राउन्ड हो और एक्सेप्शनल केसेज़ में...

"The State Government may, if in its opinion reasonable grounds exist for so doing, grant and define, by notification in the official gazette, such exemptions in exceptional cases from payment of a tax leviable under section 97..." इनके बारे में यह गलतफहमी होना कि राजाओं की प्रोपर्टी, स्टेट की प्रोपर्टी से सम्बन्ध है और बाकी के टैक्सेज़ से सम्बन्धित नहीं है, यह बात उचित नहीं होगी। रीज़नेबल ग्राउन्ड और एक्सेप्शन केसेज़ में ऐसी कोई बात हो गवर्नमेंट एग्ज़ेम्पशन दे सकती हैं।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : वही तो हम जानना चाहते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं बहुत ही अदब से निवेदन करूंगा कि मुझे पहले सुनलें Rajasthan Town Municipalities Act की यह क्लॉज़ ५६ के 'डी' में है :

"(d). The Government may by order grant and define other exemptional cases from payment of tolls or other taxes imposed under this Act." मैं बड़े अदब के साथ अर्ज़ करना चाहता हूं कि सन् ५१ से यह प्रॉविज़न मौजूद है और आज तक कभी माननीय सदस्यों ने कोई ऐसी मिसाल नहीं बतायी और न बता सकते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से इसको मिसयूज किया गया है।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : ऑब्लीगेटरी टैक्सेज़ नहीं थे, अब हैं, इसलिए ऐसा है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह तो ऑल-रेडी प्रोवाइड कर रखा है और उसके लिए यहां सवाल पैदा नहीं होता है। इससे गवर्नमेन्ट या उसके चाहने वालों को एग्ज़म्प्ट कर देगी, ऐसा नहीं है। न ऐसा सोचना ही चाहिये।

श्री जनार्दनराय नागर : That is not my point Sir. I submit Sir that this is not my angle that these are....

श्री उपाध्यक्ष : It is not your angle only which is being replied to.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं सारी डिबेट का उत्तर दे रहा हूँ, आप मुझे पहले सुन लें।

श्री जनार्दनराय नागर : But you should convince....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : I am not here to convince one Hon'ble Member only. I am here to convince the whole House and I am replying to the whole debate here.

मैं अर्ज कर रहा था कि माननीय सदस्य ने दलील रखी है कि गवर्नमेंट मिसयूज़ करने जा रही है। इस दलील के सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करूंगा कि इस क्लॉज़ का कहीं पर भी मिसयूज़ नहीं होगा। एक्सेप्शनल केसेज में सारे राजस्थान में कोई ऐसा केस हुआ हो, मान लीजिये कि स्कूल भवन के लिए बाहर से मेटिरियल आया हो और उसको एग्ज़म्प्ट कर दिया हो, एक

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

आप केस में ऐसा किया होगा बाकी नहीं किया गया और इसको मिसयूज़ करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वरना मिसयूज़ करने का सवाल पैदा नहीं होता इसलिये मैं समझता हूं जिन केसेज़ को यह कवर करने के लिये रखा हुआ है उसमें माननीय सदस्यों को आपत्ति नहीं होनी चाहिये। पहले जो अमेन्डिंग क्लॉज़ था उसमें भी ऐसा ही प्रोवाइड किया हुआ है।

केवोनेन्ट के खिलाफ, राजाओं को एग्जेम्प्शन किया जा रहा है इस सम्बन्ध में बम्बई हाईकोर्ट का फैसला भी रखा गया। यह कहा गया म्युनिसिपल टैक्सों से उनको एग्जेम्प्ट क्यों किया जाता है। क्लॉज़ ३६२ में प्रोवाइड है कि पार्लियामेन्ट कोई भी कानून बनायगी राजाओं के जो प्रिविलेजेज़ १५ अगस्त १६४७ के पहले जो भी थे, उनके राइट्स डिगनिटी जो भी रही हैं उनका समावेश उसमें होगा। अब सवाल यह है कि कोवेनेन्ट में क्या बात कही गई जिसके बारे में ज्यादा आपत्ति की गई है, उसमें साफ लिखा गया है "The Ruler of each Covenanting State, as also the members of his family, shall be entitled to all the personal privileges, dignities and titles enjoyed by them, whether within or outside the territories of the State, immediately before the 15th Augnst, 1947" यह सवाल है कि सन् १६४७ के १५ अगस्त के पहले राजाओं को जो भी राइट थे जो डिगनिटी राइट्स भी मिले हुये थे वही डिगनिटी कोवेनेन्ट में प्रोवाइड की गई है, जैसा कि क्लॉज़ ३६२ में दर्ज है। गवर्नमेंट चाहे वह सेन्ट्रल गवर्नमेंट हो पार्लियामेंट्री हो या स्टेट लेजिस्लेचर हो, कोई भी कानून बनायेंगे उनके प्रिविलेजेज़ उनके राइट्स जो भी मिले हुये थे उनका ध्यान रखा जायगा। आज हम म्युनिसिपल बिल बना रहे हैं वहां हमें ३६२ में जो प्रोविज़न है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। कोवेनेन्ट के सम्बन्ध में भी थोड़ा अर्ज कर दूँ। १५ अगस्त सन् ४७ से पहले राजाओं को क्या डिगनिटी और क्या प्रिविलेजेज़ थे। हमारे यहां म्युनिसिपल एक्ट मौजूद है २५, २६ स्टेटों के एक्ट मौजूद हैं उन सब एक्टस के अन्दर राजा महाराजाओं की प्रोपर्टी को टैक्स से एग्जेम्प्शन दे रखा है। आप मुझे बतलाइये किसी भी म्युनिसिपैलिटी द्वारा राजाओं से किसी भी प्रकार का टैक्स लिया जाता था क्या? उन्हीं कानूनों में वे एग्जेम्प्ट हैं। सन् ४७ के पहले के कानूनों को मान्यता देते हुए और कोवोनेन्ट को, क्लॉज़ ३६२ के अन्तर्गत हमें उनको एक्जेम्प्ट करना पड़ता है।

श्री जनार्दनराय नागर : आप वेल्थ टैक्स क्यों लगा रहे हैं, जब कि पहले यह टैक्स लागू नहीं था। वेल्थ टैस भी आपको नहीं लगाना चाहिये।

श्री भीमसेन, (लूणकरणसर) : बीकानेर म्युनिसिपल एक्ट में यह क्लॉज़ नहीं है कि राजाओं पर हाउस टैक्स लागू न किया जाय वह भी तो आप नया टैक्स लगा रहे हैं। It is a new tax.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : म्युनिसिपल टैक्सेज़ जो सन् ४७ के पहिले एग्जेम्प्टेड थे। कहीं लगते हों तो बता दीजिये।

श्री जनार्दनराय नागर : The House tax is also a new tax.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : I am so advised that जितने भी म्युनिसिपल कानून ऑलरेडी स्टेट्स में मौजूद थे उन उन कानूनों के अन्तर्गत राजाओं की प्रोपर्टी इन टैक्सों से एग्जेम्प्टेड थी। कानून में जो प्रोवाइड़ किया गया है वह काफी है। हमने जो प्रावधान किया है उसके अनुसार राजा लोग अपनी प्रोपर्टी से किसी प्रकार फायदा उठाते हैं किराये पर होटल आदि चलाते हैं उस पर हमने टैक्स रखा है। इसी तरह से हाउस टैक्स जयपुर में लगा हुआ था लेकिन राजाओं की प्रोपर्टी पर टैक्स नहीं था। जयपुर के अन्दर जो भी राजाओं की प्रोपर्टी है कॉन्स्टिटयूशन के मुताबिक हम उन पर टैक्स नहीं लगा सकते। मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि माननीय सदस्यों की जो राय थी उस पर मैंने भी इसमें प्रावधान कर दिया किन्तु मुझे अभी तक शंका है कि जो हमने इस कानून में प्रावधान रखा है कि जो प्रोपर्टी से प्रोफिट कमाते हैं उस पर टैक्स रखा है I am so advised कि इस पर हम टैक्स लगा सकते हैं फिर भी अभी तक सन्देहास्पद बात है। इसको हाईकोर्ट साफ करेगा। कोवेनेन्ट द्वारा जो प्रिविलेजेज़ दिये गये हैं उसके होते हुए भी हमने प्रॉवधान रखा है। प्रोफिट के लिये जो प्रोपर्टी काम में लग जायेगी उस पर टैक्स लगेगा अभी तक मुझे यह डाउटेबल पॉइन्ट लग रहा है। यह भी वहां तय हो जायगा। जो वस्तुस्थिति थी वह मैंने आपके सामने रख दी अब मैं सदन से आशा करता हूँ कि अमेन्डेड क्लॉज़ है उसे स्वीकार किया जायगा।

एक बात और आखिर में अर्ज कर दूं कि मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने मेरे अमेन्डमेंट का विरोध किया और कहा कि राजाओं को टैक्स से एग्जेम्प्ट नहीं किया जाना चाहिये दफा १०० के अन्तर्गत सारी प्रोपर्टी चाहे वह मूवेबल हो सारी की सारी एग्जेम्प्टेड है। मैंने जो अमेन्डमेन्ट पेश किया है....

श्री जनार्दनराय नागर : मेरी आपत्ति राजाओं को एग्जेम्प्शन देने से है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपने तो मेरे अमेन्डमेन्ट का विरोध किया। मेरा अमेन्डमेन्ट था कि राजाओं की जो प्रोपर्टी किराये पर चलती है उस पर टैक्स लागू कर दिया जाय, मगर आपने क्लॉज़ १०० का विरोध करने के बजाय मेरे अमेन्डमेन्ट का विरोध किया। आप क्लॉज़ १०० को गौर से पढ़ लेते तो आपको यह दिक्कत नहीं आती। मेरा अमेन्डमेन्ट बहुत प्रोग्रेसिव है। इसलिये माननीय सदस्य मेरा अमेन्डेड क्लॉज़ पास करने का कष्ट करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १०० को स्वीकार किया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : Let us accept the amendments first.

श्री उपाध्यक्ष : It is taken as amended.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : We shall have to accept the amendments first.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : The whole clause is amended.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १०० संशोधित रूप से स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १०० संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना।

Now we come to clause 133.

क्लॉज़ १३३

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ १३३ में जो प्रोवाइडेड था उसमें सिर्फ इतनी बात थी कि अगर सेशन जज़ अपीलेट ऑथोरिटी चाहे तो कन्डीशन वेव करके भी अपील दर्ज कर सकता है इसको देखते हुए मैंने अपना अमेन्डमेन्ट रखा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार जयपुर) : On a point of information, Sir. There were certain amendments which were moved to clause 100 by the Hon'ble members of this House. What about those amendments? They have not been put to vote. Either they should have been withdrawn or...

श्री उपाध्यक्ष : Because the other proposal has been accepted by the House, therefore, they should be treated as with drawn.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : क्लॉज़ १३३ में मेरा इतना सा अमेन्डमेन्ट है "Add the following proviso :—

"Provided that the appellate authority may, for reason to be recorded in writing and on such terms and conditions as it may impose, entertain an appeal without deposit of the amount mentioned in clause (b) or on deposit of such smaller amount as the said authority may direct" इसमें यह प्रोविज़न था कि अमाउन्ट डिपोज़िट हो जाने पर ही अपील दाखिल हो सकेगी। इस कन्डीशन को वेव करके दूसरी कन्डीशन लागू की है इसमें कोई मटेरियल बात नहीं है। आशा है इसे आप स्वीकार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १३३ पर जो संशोधन श्री जगदीश प्रसाद माथुर ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १३३ पर जो संशोधन श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १३३ को संशोधित रूप से स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

संशोधित क्लॉज़ १३३ विधेयक का अंग बना।

क्लॉज़ १६७

श्री उपाध्यक्ष : Now we come to Clause 167.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : मान लिया अपने अमेन्डमेन्ट।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री) : कौन सा ?

श्री उपाध्यक्ष : amendment.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसमें कोई अमेन्डमेन्ट नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अमेन्डमेन्ट नहीं है तो डेफर किया गया था उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ १६७ में। हैडिंग दिया है 'एम्प्रूवमेन्ट आफ हट्स Improvement of Huts.'

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : डिबेट तो पहले हो चुकी थी।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर आप ही बोले थे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं तो इस पर नहीं बोला था।

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Satish Chandra, I also happen to remember specially your debate on this clause.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : On this clause ?

श्री उपाध्यक्ष : Yes.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Let us be sure, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : I ascertain, and I am sure you have spoken.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : If I have already spoken on it, Sir, then I will not take the time of the House.

श्री उपाध्यक्ष : Yes, you have

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १६७ को स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १६७ विधेयक का अंग बना।

क्लॉज़ १६७

श्री श्रीराम सोतिया (नवलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है।

(गणपूरक घन्टी के पश्चात् पुनः)

श्री उपाध्यक्ष : क्लॉज़ १६७

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १६७ को स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

क्लॉज़ १९७ विधेयक का अंग बना।

क्लॉज़ २१८

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I think, I have not spoken on this clause.

श्री उपाध्यक्ष : You have not spoken on 197 also.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पर वह छोड़ दिया साहब उपाध्यक्ष महोदय....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इस क्लॉज़ को ओमिट कर दिया जावे साहब।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस क्लॉज़ के खिलाफ हैं न, २१८ के ?

श्री उपाध्यक्ष : I mean you are opposing clause 218.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Yes, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : It is already omitted. The amendment is about ommission, so there is no use speaking on this clause.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : If the Hon'ble Minister has accepted my suggestion as such, and this has been admitted, it is very good. I am glad.

श्री उपाध्यक्ष : So the debate is not necessary.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : If it is to be omitted.

श्री उपाध्यक्ष : Yes, is that the move ?

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २१८ को डिलीट किया जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २१८ विलोपित किया गया।

क्लॉज़ २३४

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : You snatch a chance some how or other.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या करूं तो ? क्लॉज़ २३४ की बात भी मान जाइये आप। इसको भी डिलीट कर दीजिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि जो पहला क्लॉज़ मन्त्री महोदय ने डिलीट करने के बारे में मेरा सुझाव स्वीकार किया था वे अगर इस क्लॉज़ के बारे में भी स्वीकार करते तो ज्यादा सुन्दर होता। क्यों कि जहां तक इस क्लॉज़ का ताल्लुक है उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ में व्यवस्था है कि :

" Proceedings to abate the over-crowding of the interiors of buildings. (1) Whenever, the board considers, the interior of a building is so over crowded as to be or to be likely to

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

become dangerous or prejudicial to the health of the inhabitants of that or of ony neighbouring, जान रहे हैं कि मकानात में ओवरक्राउडिंग होगी, जिन मकानों में तादाद से ज्यादा लोग रहते होंगे उन मकानात को खाली कराने के बारे में बोर्ड को पॉवर दिये हैं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर इस क्लॉज़ को ढंग से पढ़ा जावे और इस के सारे प्रोविजन्स को देखा जावे तो मैं निवेदन करूंगा कि इसके सब–क्लॉज़ १ में लिखा है :

(1) Whenever, the board considers, the interior of a building is so over-crowded as to be or to be likely to become dangerous or prejudicial to the health of the inhabitants of that or of any neighbouring building the board may cause proceedings to be taken before a magistrate of the first class for the purpose of obtaining an order to prevent such overcrowding.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके द्वारा हमने यह व्यवस्था की है कि अगर कोई मकान रहने के काबिल न रहे, अगर किसी मकान में इतने ज्यादा लोग रहते हों, वह मकान रहने के लिये डेन्जरस हो जावे, स्वास्थ्य को हानिकर हो जावे तो उसके बारे में फर्स्ट क्लॉस मैजिस्ट्रेट के यहां पर दर्ख्वास्त देकर ऑर्डर हॉसिल किया जा सकता है कि यह मकान खाली किया जावे ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि हमारे यहां पर राजस्थान में एक इजेक्टमेन्ट के बारे में या इविक्शन के बारे में कानून बना हुआ है जिसके द्वारा कोई मकान खाली कराना हो तो केवल उस कानून के द्वारा खाली कराया जा सकता है । मैं समझता हूं दूसरे जो क्लॉजेज़ हमने पास किये, उनमें हमने यह व्यवस्था की थी कि कहीं कोई मकान फिल्दी कन्डीशन में है, अनफिट फोर ह्यूमन हैबिटेशन है, तो उनके साथ कैसा सुलूक किया जावेगा । मैं समझता हूँ इससे जब उनको सन्तोष नहीं हुआ तो क्लॉज़ २१७ पास किया, क्लॉज़ २१८ ओमिट किया । उन्होंने प्रोविजन रखना चाहा कि नगरपालिका को अधिकार देने चाहिये कि उस कानून के अन्तर्गत जिन मकानों को खाली नहीं कराया जा सकता, कोई म्युनिसिपल बोर्ड इस कानून के द्वारा खाली नहीं करा सकती, तो उसे इस प्रकार के अधिकार देने चाहिये । उपाध्यक्ष महोदय, नगरपालिका के अन्दर नगरपालिका के अधिकारी या सदस्य यदि अपने कृपापात्र या मित्र लोगों के लिये मकान खाली कराना चाहें, वे कोई मकान खरीदना चाहें और किरायेदार उसको खाली नहीं कर रहे हैं और कानून में जब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जिसका सहारा लेकर उनको मकान से निकाला जा सके, तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं इस कानून के अन्दर जो इजेक्टमेन्ट और इविक्शन का अधिकार दिया है वह उपयुक्त नहीं है, इसका इस तरह से दुरुपयोग होगा, और फिर उस कानून की धारा १३ के अन्तर्गत कुछ ऐसे प्रोविज़न हैं जिनके आधार पर सिविल कोर्ट में दावा दायर किया जा सकता है । उस कानून में सिविल कोर्ट को यह तै करने का अधिकार दिया है कि आया यह मकान खाली किया जा सकता है या नहीं, पर हमने इसमें प्रोवीजन रक्खा है कि फर्स्ट

(श्री सतीचन्द्र अग्रवाल)

क्लॉस मजिस्ट्रेट को । अब सवाल खड़ा होता है कौनसे वे मकानात होंगे जो लोगों के लिये हानिकर होंगे, उसके बारे में मैडिकल ऑफिसर की रिपोर्ट या सर्टीफिकेट चाहिये। एक तरफ आता है मैडिकल ऑफिसर, दूसरी ओर आता है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और तीसरी तरफ आता है मकान की हालत खस्ता। अगर इन हालतों को ध्यान में रख कर विचार किया जावे तो इन तीनों के स्टेन्डर्ड की बातें साफ साफ नज़र आवेंगी। इस क्लॉज़ के अनुसार तूफान खड़ा हो जावेगा राजस्थान में। जो टिनेन्ट हैं और जिन से मकान मालिक मकान खाली नहीं करा सकता किसी कानून के अन्तर्गत जिनसे मकान का कब्जा नहीं लिया जा सकता कानून के अन्तर्गत, जो किसी आदमी ने इस नीयत से कि किराया अधिक आवेगा मकान खरीद कर इस कानून की आड़ में खाली कराना चाहे तो नहीं करा सकता, उन सबको सहूलियत देने के लिये आज इस कानून के अन्तर्गत विधान सभा में कानून में प्रोविजन किया जा रहा है। यह राजस्थान में रहने वाले किरायेदारों के खिलाफ जावेगा। किरायेदार को मकान मालिक के जुल्म से बचाने के लिये, किरायेदार किराय के मकान में रह सके सुरक्षित रूप से रह सकें, इस के लिये हमने पहले एक कानून पास किया है। उसके अन्दर जो व्यवस्थाएं दी हैं उन सबकी आप इसमें अव्यवस्था करना चाहते हैं। पहले भी २१८ में इस तरह का प्रावधान रक्खा था तो इस ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया था। जिसके द्वारा एक बहुत बड़े व्यक्ति ने कोई मकान किसी से खरीदा वह उस मकान को खाली कराना चाहता था। पर मकान वह खाली नहीं करा सकता, कानून के अन्तर्गत नहीं करा सकता, कानून के अन्तर्गत किराया भी नहीं बढ़ा सकता, किरायेदार को निकाल नहीं सकता, जब यह सब नहीं कर सकता तो मकान खरीदना बेकार था। कोई लाभ नहीं हुआ उसको। इसलिये उसने क्या किया कि म्युनिसिपैलिटी के कर्मचारियों से मिलकर, उसके अधिकारियों से मिलकर मकान के किरायेदारों को नोटिस दिलवाया गया कि यह मकान खस्ता हालत में है। यह मकान बुरी हालत में है और २४ घंटे के नोटिस के दिये बिना ही उस मकान को तोड़फोड़ कर दिया गया। इस प्रकार की घटना एक नहीं बल्कि अनेकानेक हमारे इस सदन में दी गई हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की अवस्था इस क्लॉज़ के अन्तर्गत पैदा हो सकती है। कोई बड़ा अधिकारी है, कोई प्रभावी सदस्य है वह कोई मकान खरीदे और उसमें किरायेदार रहते हैं, मैं समझता हूं आज मकानों की समस्या जितनी जटिल है मकान रहने के लिए आज नहीं मिलते। एक एक कमरे में पाच पांच और सात सात लोगों के परिवार पड़े हैं उसी कमरे में खाना, उसी कमरे में पीना, उसी में सोना और उसी में शौचालय वगैरह की सारी व्यवस्था जिसमें हो। ऐसे एक नहीं हजारों परिवार जयपुर में नहीं बल्कि सारे राजस्थान में देखने को मिलेंगे। राजस्थान सरकार हमारी हाउसिंग प्रोब्लम सोल्व नहीं कर पाई, उसे सोल्व करने में वह असफल रही। क्या आप फिर यह चाहते हैं कि लोग मकानों में न रहें। मैं तो चाहता हूं कि लोग अनहैल्दी कन्डीशन्स में न रहें। मैं चाहता हूं कि लोग स्वस्थ वातावरण में रहें। कौन आज चाहेगा कि वह अनहैल्दी कन्डीशन्स में रहे। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय प्रश्न यह खड़ा होता है कि

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

मकानों की कमी है और जब रहने के लिए मकान नहीं मिलते तो एक एक हवेली में एक साथ दस पन्द्रह परिवार रहते है तो ऐसी अवस्था में आप ही बताइये कि आप किस आधार पर उनको उनके मकानों में से निकालना चाहते हैं। नतीजा यह होगा कि मकान मालिक अपने प्रभाव को नगरपालिका में काम में लायेंगे । अब क्योंकि उन्होंने वोट दिये हैं और जिन लोगों ने वोट प्राप्त किये हैं और जो अब सदस्य बन गये हैं वह उनके दबाव में रहते हैं इसलिए यह स्वाभाविक है कि मकान को खाली कराने के लिए धारा २१८ की मदद ली जायेगी । उनको नोटिस दिया जायेगा कि जिस मकान में किरायेदार रहते हैं उस मकान में बीमारी फैलने का अन्देशा है, उस मकान की अनहैल्दी कन्डीशन्स हैं और इसलिए किरायेदारों को कम कर देना चाहिए और निकाल देना चाहिए । अगर वह व्यक्ति किरायेदारों को निकालने में असफल रहा तो इसमें यह व्यवस्था की है कि उस पर जुर्माना किया जायेगा और मजिस्ट्रेट को इस प्रकार का अधिकार होगा कि वह इस प्रकार के आदेश निकाल सकता है कि किरायेदारों को पुलिस की मदद से जबरदस्ती निकालकर सामान फुटपाथ पर फेंक दिया जाये। आप जब किरायेदारों को मकान में से निकालेंगे तो मैं चाहता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय सदन को आश्वासन देंगे कि अगर किसी किरायेदार को निकाला जायेगा तो उसके लिए मकान की दूसरी व्यवस्था होगी। लोग कहते हैं कि रिक्शा चलाना अच्छा नहीं है। रिक्शा चलाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन जब बेकारी की हमारी समस्या हल नहीं होती और आप लोगों को रिक्शा चलाना बंद कराते हैं तो उनको कोई दूसरा काम देना चाहिए। लेकिन आप लोगों को धंधा नहीं दे सकते तो मैं समझता हूँ कि सरकार को कोई हक नहीं है कि इस प्रकार की पाबंदी लगाये कि किसी को रिक्शा नही चलाने दे। सरकार को चाहिए कि वह उन लोगों से कहे कि यहां आपके लिए अच्छी कन्डीशन्स के मकान हैं और यह सरकारी मकान आपके लिए उपलब्ध हैं यहां आ कर रहो। लेकिन इस तरह से उनको बिना आॅल्टरनेटिव जगह की व्यवस्था किए क्या सरकार चाहती है कि वह फुटपाथ पर रहेंगे। वेह टेम्प्रेरी शैड्स बनायेंगे। जिस प्रकार से हमारे यहां के बंजारे, भील और कन्जर फुटपाथ पर पड़े रहते हैं छोटी छोटी झौंपड़ियां डालकर सड़क के किनारे पर पड़े रहते हैं क्या आप चाहते हैं कि उनकी संख्या बढ़ाई जाये। एम० आई० रोड, हाईकोर्ट के सामने और दूसरी जगह पर जिस प्रकार से कुछ लोग टेम्प्रेरी शैड्स बनाकर रहते हैं उसी तरह से और आदमी रहें, क्या आप यह चाहते हैं ? अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो फिर आपको इसका ऑलटरनेटिव अरेंजमेन्ट करना चाहिए। यह पाबन्दी लगाना चाहिए कि इस प्रकार से मकान खाली कराना अगर नगरपालिका चाहेगी तो नगरपालिका की यह ड्यूटी होगी कि वह ऑलटरनेटिव व्यवस्था करे। अगर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं कर पायेगी तो फिर मकान खाली कराने के लिए इस प्रकार के ऑर्डर्स देने की जरूरत नहीं है।

मजिस्ट्रेसी की हालत और आज के मेडीकल ऑफिसर्स के सर्टिफिकेट के बारे में हम सब जानते हैं। आपने यह नहीं बताया

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कि मेडीकल सर्टिफिकेट कौन देगा। मेडीकल ऑफिसर्स एल० एम० पी० भी होते हैं, एम० बी० बी० एस० भी होते हैं, दूसरी क्वालिफिकेशन्स भी होती हैं। आप लिखते कि जो फर्स्ट क्लास मेडीकल प्रेक्टीशनर होगा वह इस प्रकार के सर्टिफिकेट दे सकेगा। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय मेडीकल ऑफिसर्स से भली भांति परिचित होंगे कि एक व्यक्ति ने वहां पर १०० दर्ख्वास्तें दी और हर बार जो उसने तार दिया उसमें यही लिखा कि ग्रांड मदर एक्सपायर्ड ग्रान्ट मी सेवन डेज़ लीव। तो उसकी सारी पिछली दर्ख्वास्तें निकाली गई तो सौवीं बार उसकी ग्राण्ड मदर एक्सपायर्ड हुई। तो उपाध्यक्ष महोदय, आप अन्दाज़ा लगायें कि जिसकी ग्राण्ड मदर सौ बार एक्सपायर हो और उसके बिना पर वह हमेशा छुट्टी लेता रहे, कितनी आश्चर्यजनक बात है। आपके दफ्तरों में छुट्टी लेने के लिए मेडीकल सर्टिफिकेट देना जरूरी होता है। वह किसी को भी पांच रुपये में मिल जाता है और कह देते हैं कि तबियत खराब है और उधर ज्यौनार में पूड़ी और कचौरी उड़ाते हैं। तो मैंने कहने का मतलब यह है कि मेडीकल सर्टिफिकेट इतनी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है कि सर्टिफिकेट की कीमत दो रुपये है। आप हज़ारों घर वालों को बेघर-बार करना चाहें इसके बाद में मेडीकल ऑफिसर किसी भी मकान को अनहेल्दी डिक्लेयर करेगा और उसके बाद में मजिस्ट्रेट के यहां केस जायेगा। मैं समझता हूं कि मजिस्ट्रेसी के बारे में हमारे यहां सदन में कई बार प्रश्न आ चुके हैं। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार के ऑर्डर्स सिविल कोर्टस से प्राप्त किये जायें और मेजिस्ट्रेसी से नहीं। हमने कई आन्दोलनों में, आये दिन के मुकदमों में, कई तरह के व्यक्तिगत मामले होते हैं उनमें हमने देखा है कि हुकूमत किस प्रकार से मेजिस्ट्रेटों के काम में दखलन्दाज़ी करती है। मैं आपका ध्यान राजसमन्द की घटना की ओर दिलाना चाहता हूं। वहां के केस में मेजिस्ट्रेट ने ज़मानत ले ली और पी० पी० नहीं चाहता था, एस० पी० वहां का नहीं चाहता था इसलिए कलेक्टर को शिकायत की गई कि मेजिस्ट्रेट ने जो भी ऑर्डर्स दिये हैं और जमानत ली है वह वाज़िब नहीं थी। इसका मतलब यह है कि भविष्य में ज़मानत नहीं ली जाये। बजाय इसके कि कलेक्टर एस० पी० एक्सप्लेशन लेता, एस० पी० को वार्निंग देता दूसरी ओर वहां के मेजिस्ट्रेट से एक्सप्लेनेशन मांगते हैं और उससे उसका तीन दिन में ही जवाब मांगते हैं। जहां कि कलेक्टरों का मेजिस्ट्रेटी में इस प्रकार का इन्टरफियरेंस का स्टेन्डर्ड है तो ऐसी आशा करना कि हमारे यहां के मेजिस्ट्रेट न्याय कर सकेंगे, हमारे यहां के मेजिस्ट्रेट न्याय दे सकेंगे एक भूल है। आज स्थिति यह है कि राजस्थान की आम जनता का विश्वास मेजिस्ट्रेटी से उठ चुका है। इसलिए यहां पर इस सदन में राजस्थान की जनता के प्रतिनिधियों ने मांग की और जोरदार शब्दों में मांग की कि जुडीशियरी से एग्ज़ीक्यूटिव सैपरेट होनी चाहिए। मेजिस्ट्रेट्स को हाईकोर्ट के अन्डर में रहना चाहिए। क्योंकि हमने ऐसे उदाहरण देखे हैं कि जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि राज्य सरकार केवल अपने रहनुमा लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए मजिस्ट्रेसी के काम में किस प्रकार से दखलन्दाज़ी करती है। इसलिए मैं समझता हूं कि मेडीकल ऑफिसर का सर्टि-

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

फिकेट, मेजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स और यह क्लॉज़ २१८ यह तीनों चीजें ऐसी हैं कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय जो कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति होगा, कोई भी इनफ्लुयेन्शल आदमी होगा वह यह तीनों चीजें मैन्युपुलेट कर सकता है और नगरपालिका पर अपना असर डाल सकता है। मैडीकल ऑफिसर और मजिस्ट्रेट के ऊपर असर डाल सकता है और इस बात की कोशिश कर सकता है कि जिस मकान में लाख कोशिश करने के बाद में सिविल कोर्ट से इजेक्शन नहीं करा सके उनको नगरपालिका के द्वारा करायेंगे। या तो फिर आप राजस्थान कन्ट्रोल आफ रेन्ट एण्ड इविक्शन एक्ट में एक यह ग्राउन्ड और बढ़ा दीजिए कि अगर किसी मकान की अन्हेल्दी कन्डीशन्स होगी और उसके कारण वगैरह स्पेसिफाई होंगे तो इन ग्राउन्ड्स पर इजेक्शन कराया जा सकता है। लेकिन इस सारे अमेन्डमेंट को, संशोधन को म्युनिसिपल बिल के अंदर लाने से इसका अधिकार नगरपालिका को देना होगा कि मेडिकल ऑफिसर के सर्टिफ़िकेट के आधार पर मकान खाली कराया जा सकता है, यह किसी भी प्रकार से न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता। मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का प्रोविज़न आपको कानून में लाना चाहिये था, लेकिन आप नहीं लाये, भूल गये। शायद आपने कानून बनाते समय इसे पढ़ा नहीं होगा। आप इसे शान्ति से पढ़ लीजिये। मैंने सुझाव रखा है कि ये सारे प्रोविज़न और क्लॉज़ म्युनिसिपल बिल में नहीं होने चाहिये। आप इजेक्टमेन्ट और एविक्शन के प्रोविज़न को बढ़ा दीजिये। यदि इनफेक्शस डिज़ीज फैलती है, या स्वास्थ्य की दृष्टि से मकान हानिकारक है तो मकान खाली कराया जा सकता है, मुन्सिफ और सिविल कोर्ट में इसके लिये दर्ख्वास्त दी जा सकती है। इसको यहां लाना किसी भी प्रकार से न्यायसंगत नही कहा जा सकता। इसलिये इस प्रकार का क्लॉज़ यदि यहां रखा तो आये दिन नगरपालिका के अध्यक्षों द्वारा इस प्रकार के इल्लीगल ऑर्डर्स और आदेश दिये जाते हैं उनकी पुनरावृत्ति होगी और इससे लोगों में हाहाकार मच जायगा। लोग कहेंगे यह कैसा तमाशा है, किस प्रकार का कानून पास किया है किसी भी मकान मालिक ने दर्ख्वास्त दी कि मेरे मकान में किरायेदार ज्यादा हैं इसलिये बीमारी फैलने का अंदेशा है इसलिये मकान खाली कराया जाय। जाय। आपने इसमें डिफाइन तो किया नहीं कि कितने किरायेदार ज्यादा समझे जायेंगे और मैडिकल ऑफिसर के डिस्क्रीशन पर छोड़ दिया। राज्य सरकार भी जुडिशियल डिस्क्रीशन को काम में नहीं ला सकती। फिर मेडिकल ऑफिसर की क्वालीफिकेशन भी आपने नहो रखी। इन सारी बातों को देखते हुए कैसे कहा जा सकता है कि जुडिशियल डिस्क्रीशन होगा। मुझे आशंका है कि इस क्लॉज़ से जनता के अधिकारों का हनन होगा और उसके साथ न्याय नहीं होगा - और डिस्क्रीशन का जुडिशियल उपयोग नहीं होगा। लोग अपने पक्ष के लोगों को खुश करने की दृष्टि से इसका उपयोग करेंगे। इस क्लॉज़ २३४ का सहारा लेकर सारी बातें लोग करेंगे। इसलिये मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस पर गंभीरता से विचार करें और खुले दिल से विचार करें। जिस खुले दिल से आपने बाकी संशोधनों को मंजूर किया है, क्लॉजेज़ डिलीट की हैं, डेफर की हैं, उसी भावना से निवेदन करूंगा कि यह प्रतिष्ठा

Page No.71

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

का सवाल नहीं है, और प्रतिष्ठा का सवाल आप बनाते भी नहीं है, इसलिये निवेदन करूंगा कि क्लॉज़ २३४ के बारे में आप पुनः विचार करेंगे और इसको डिलीट करेंगे। इतना कहता हुआ मैं अपना आसन ग्रहण करता हूं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बड़ी अच्छी दलील जो दी गई, नगरपालिका का पहला काम क्या हो, जहां कहीं बीमारी फैले उस हालत में। २३४ क्लॉज़ पर कुछ कहने के पहले क्लॉज़ २३३ और २३२ को एग्ज़ामिन करते। मेरे से पहले बोलने वाले सज्जन से मालूम होता कि क्लॉज़ २३४ को ओमिट करने की गुंजायश नहीं रहती। क्लॉज़ २३३ में साफ है :

"Duties of board in respect of diseases among horses, camels, dogs, cattle, sheep or goats. और उसके पहले क्लॉज़ २३२ में है : "Powers which may be exercised for preventing dangerous diseases." तो जो चेप्टर है उसमें ही प्रिवेन्शन ऑफ डिजीजेज़ के बारे में साफ लिखा है। आप यदि इसकी पूरी क्लॉजेज़ को पढ़ते तो पूरी क्लॉजेज़ को पढ़ने के बाद आप यह नहीं कह सकते थे कि क्लॉज़ २३४ अनावश्यक है या अनुचित है। आपने कहां तक इसको खींचा है और किस आधार पर खींचा है यह समझ में नहीं आया। केवल इसकी आड़ में कई बातें आपने कही हैं। लेकिन एक बात अर्ज़ करूं कि एविक्शन एक्ट को इस क्लॉज़ में लाना चाहते हैं तो मकान मालिक कह देगा कि इसकी हालत खराब है, बीमारी फैल जाने का अंदेशा है इसको खाली कराया जाय तो यह बिल्कुल अनुचित सी बात है। यदि आप चाहते हैं कि एक क्लॉज़ ऐसी रखी जाय जिसके अन्तर्गत मकान मालिक खुद दरख्वास्त देकर, सिविल कोर्ट में तो दरख्वास्त होती नहीं लेकिन उसको दावा करना होगा इस बात का कि वहां रहने वालों में बीमारी फैल सकती है, वहां पर रहना स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक है तो मकान खाली कराया जा सकता है। यह मालूम नहीं होता कि आप इसको कहां रखना चाहते हैं। एविक्शन कानून की धारा १३ के अन्तर्गत (ए) से लेकर (एफ) तक कहां रखना चाहते है। ऐसा कोई मकान नहीं होगा जिसमें बहुत से किरायेदार रहते हों और मकान मालिक दरख्वास्त पेश करें कि मकान खाली कराया जाय। मेरे ख्याल से मकान मालिक तो यह चाहेगा कि लोग हर हालत में उसके मकान में रहें।

क्लॉज़ २३४ में यह रखा है कि बोर्ड मीटिंग काल करेगा और उसमें विचार करेगा कि हमारे शहर के इस कोने में बीमारी फैल चुकी है और उसका इलाज़ करना जरूरी है। और आप यहां तक पहुँच गये कि कोई सर्टिफिकेट देगा। "Whenever, the Board considers, the interior of the building is so." यह क्वेश्चन नहीं है डॉक्टर की ओपीनियन का। सारे बोर्ड की बैठक होगी और बोर्ड निर्णय करेगा या निश्चय पर पहुँचता है कि पर्टिकुलर हिस्से में बीमारी फैल चुकी है और उस बीमारी में लोगों का वहां रहना उचित नहीं है। उस हालत में बोर्ड के द्वारा अपने एक्सपर्ट डॉक्टर्स की राय लेना उचित समझा है और यदि इस पर आप कहें कि मेजिस्ट्रेट को अधिकार

(श्री मूलचन्द डागा)

दिया जाय। आपने सारे समाजवाद की बात कहदी, फुट पाथ पर लोगों को रहना होगा। मैं समझता हूं बीमारी की जगह पर रहने के बजाय तो अच्छा है फुट पाथ पर खुली हवा में आवें। लेकिन इसमें लिखा है कि बोर्ड चाहे तो और भी इन्तजाम कर सकता है। मान लीजिये ५,७ घरों में ही बीमारी फैल गई तो उन घरों में रहनेवालों को दूसरी जगह बसाना है तो मेरी समझ में सारा बोर्ड उनको वहां से हटा कर दूसरी जगह रखने का इन्तज़ाम करेगा। आपने कहा कि कहां रखेगा फुट पाथ पर रखेंगे। मेडिकल ओपिनियन के बाद कोई निर्णय लिया जायगा। मेजिस्ट्रेट इस काम को आसानी से करा सकता है। लेकिन इससे पहले वह नोटिस सर्व करेगा। इतना साफ क्लॉज़ है: "Whenever, the board considers, the interior of a building is so over-crowded as to be or to be likely to become dangerous or prejudicial to the health of the inhabitants." आप कहते हैं कि किसी मकान में बीमारी फैल जाय, लोग बीमारी के शिकार बनें लेकिन हमारी बहस के आधार पर आप उनको मकान से नहीं हटा सकते। कोई बीमारी में मरे क्योंकि कानून में ऐसा है कि उनके लिये दूसरे मकान का प्रोविज़न नहीं हो तो क्या होगा? लेकिन जब बीमारी फैल गई है तो उनको खुले स्थान पर रखना ज्यादा अच्छा होगा बनिस्बत इसके कि बीमारी फैल चुकी है, डॉक्टर ने राय दे दी हैं, उस स्थान पर रहा जाय। यह सीधा सा क्लॉज़ है उस पर जो बहस हो रही है वह मेरी समझ में नहीं आई। जिस बीमारी से बहुत से लोगों को हानि पहुँचती हो, मोहल्ले को हानि पहुँचती हो, तो उनको वहां से हटा देना चाहिए, इस प्रकार की कोई बात कहीं नहीं है कि उनको खुली हवा में, अच्छी जगह में, चाहे झोंपड़ियों में रखा जाय, तो बेहतर है, बनिस्बत उन जगहों के जहां कि बीमारी फैली हुई है।

डॉ० **बहादुरसिंह** (धौलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, यह जो २३४ क्लॉज़ है, यह विशेष कर भयानक बीमारियों के सम्बन्ध में है। मेरा निवेदन है कि अगर हम इस क्लॉज़ को इस प्रकार पास कर दें तो मैं समझता हूं कि जयपुर शहर को एक दम साफ़ कर देना चाहिए। मैं जयपुर शहर की प्रत्यक्ष नज़ीर रखूंगा कि जयपुर शहर इतना क्राउडी है। अगर जयपुर शहर के अन्दर आप जायं तो निश्चित तौर पर मानेंगे कि छोटी छोटी कोठरियों में बहुत से लोग रहते हैं, उन लोगों के स्वास्थ्य के बारे में, मैं समझता हूं, कि जो मेडीकल एक्सपर्ट हैं, उनकी स्पष्ट ओपिनियन है कि ये कोठरियां मानवों के रहने लायक नहीं हैं लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है इस प्रकार के मकान मौजूद हैं, उन मकानों को हम किस प्रकार करेंगे, किस प्रकार उन्हें हटायेंगे। लेकिन एक सवाल सामने आया है कि देश के अन्दर दिन रात बराबर प्रगति हो रही है, गोया आबादी को बढ़ाने के अन्दर। एक मकान, जो स्त्री और पुरुष का परिवार था, उसके रहने के लायक उपयुक्त था लेकिन १० साल के अन्दर बच्चों से वह क्राउडी हो गया। आप अन्दाज़ कीजिये कि उनकी आर्थिक स्थिति इस प्रकार की है नहीं कि उस मकान का एक्सटेन्शन कर सकें, फिर आप क्या व्यवस्था करेंगे। यह अधिकार आपका है कि शहर के अन्दर कोई

(डॉ० बहादुरसिंह)

बीमारी फैलती है, जिस वक्त कोई बीमारी फैले, उस समय एपेडेमिक डिसीजेज़ एक्ट के अनुसार आइसोलेशन वार्ड बनाते और उस वार्ड में बीमारों को रखते। फिर मैं समझता हूं इस क्लॉज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती। उन बीमारों को ले जाकर के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर सकते थे लेकिन जो मकान खाली कराने वाली बात है, वह समझ में नहीं आती है। अगर यह स्थिति हो जाय और म्यूनीसिपल बोर्ड इस लायक हो कि शहर के निवासियों को रहने लायक घरों की सुविधा दे, तो ठीक है। मैं समझता हूँ कि जयपुर शहर में जो सर्विस क्लास के लोग रहते हैं, माननीय सदस्यों को छोड़ कर क्योंकि गवर्नमेंट होस्टल में काफी सुविधायें हैं, पर आप गन्दी गलियों में जायं, जिन्हें गलियों में जाकर अपने मित्रों से मिलने का मौका मिला हो, वे जानते हैं कि दरअसल में एक नरकीय जीवन है। उस नरकीय जीवन के सुधार के लिए आप कुछ करें, इसके लिए आपके पास साधन है नहीं कि आपकी नगरपालिकायें इस प्रकार की व्यवस्था कर सकेगी। आप कह सकते हैं कि यह भयानक बीमारियां जब फैलें तब इलाज़ करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने उन भयानक बीमारियों को रोकने के लिए क्या व्यवस्था की है। आप ऐसी स्थिति लाइये अपनी नगरपालिकाओं के अन्दर कि नागरिकों का जीवन इस प्रकार का हो कि भयानक बीमारियां फैले ही नहीं तो आपको इस बात के लिए मज़बूर होना नहीं पड़ेगा। इस प्रकार की व्यवस्था करते आप क्लॉज़ में कि नगरपालिका जितने मकान बनाने की इज़ाजत देगी, वह किस प्रकार की इज़ाजत देगी कि जितने व्यक्ति इस मकान में रह सकते हैं, उतने व्यक्तियों से ज्यादा रखने की पर्मीशन नहीं दी जायगी और अगर उनकी फेमिली एक्सटेन्ड होती है तो उसके लिए नगरपालिका अपनी तरफ से मकान प्रोवाइड करेगी, घरों की व्यवस्था करेगी, इस प्रकार के आवास बनायेंगे जिसमें वे व्यक्ति अच्छी प्रकार रह सकें और स्वास्थ्य लाभ कर सकें बजाय इसके कि आपने अधिकार दे दिया बोर्ड को। आज बोर्ड किस प्रकार बनते हैं, यह मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और आप भी जानते हैं। आज बोर्ड का जो चेयरमैन वह बनता है किसी प्रकार तिकड़म लगा कर। बोर्ड में जो चार मेम्बर होते हैं, चेयरमैन के दल के या अपोज़ीशन के, वे प्रभाव शाली होते हैं। जो बोर्ड में चार मेम्बर होते हैं, वे जब चाहे तब बोर्ड की मीटिंग होती है, उसमें इस प्रकार का प्रस्ताव पास हो कि फलां मोहल्ले के अन्दर फलां मकान में रहने वाले ज्यादा क्राउडी हो गये हैं। यही सही है कि शहर में मकान इतने करीब होते हैं, उसका कारण यह है कि हिन्दुस्तान के जो निवासी हैं वे मालदार हुआ करते थे, मालदार होने के कारण यहां के लोग जेवर रखते थे। जेवर रखने का और पीतल के बर्तन रखने का, आर्थिक स्थिति बनाने का भारतीय रिवाज़ है और चोरी के डर के कारण चारों तरफ से बाउन्डरी बना कर मकान को एक डिब्बा सा बना कर रहते हैं। आज सिविल लाइन्स के मकान अच्छे बने हुए हैं, बड़ी बड़ी कोठियां बनी हुई हैं, वे काफी स्वास्थ्यप्रद हैं क्योंकि हमने एक ज्ञान प्राप्त किया कि जब तक मकान रहने का हवादार न हो, क्रोस वेन्टीलेटेड न हो, तक तक लोग

(डॉ० बाहदुरसिंह)

स्वास्थ्य लाभ नहीं कर सकते। इसलिए इस प्रकार के रहने की मकानों की व्यवस्था हो। हम व्यवस्था कर रहे हैं कि जिस मकान के अन्दर ज्यादा भीड़ हो जायगी, जब रोग फैल जायगा, यानि रोग के फैलने के पूर्व की व्यवस्था नहीं है, जब रोग फैल जायेगा, तब कहेंगे उन नागरिकों से कि इस मकान को खाली करके जाओ। लेकिन आखिर जायेंगे कहा आपके शहर में धर्मशाला होती नहीं, होटलों में वे रह नहीं सकते क्यों कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, फिर वे मकान कहां लें। इसके लिए व्यवस्था करने के लिए आपको क्लॉज़ रखना पड़ेगा कि नगरपालिका इस प्रकार हटाये गये लोगों के लिए उनके आवास की व्यवस्था करेगी। इस प्रकार की व्यवस्था इसके अन्दर करें और नगरपालिकाओं को इसके लिए बाध्य करें। जहां तक भयानक रोगों का सवाल है, जब भयानक रोग फैल जाते हैं तो एपेडेमिक डिसीजेज़ एक्ट के अन्तर्गत आइसोलेशन वार्ड में बीमार व्यक्तियों को रखने का अधिकार है। फिर मेरी समझ में नहीं आता कि आप इस प्रकार का क्लॉज़ क्यों रख रहे हैं, या तो इसमें संशोधन करिये या इसे पूरी तरह से हटा दीजिये।

श्री हीरा भाई, (कुशलगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस क्लॉज़ का विरोध करता हूं क्योंकि यह जो कानून बना रहे हैं, उसमें स्पष्ट रूप से कोई बात नहीं रखी जाती है, तो कई तरह के भ्रष्टाचार के फैलने की हमें संभावना रहती है। यह अधिकार फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को दिया जा रहा है। एक मेडीकल सर्टिफिकेट के आधार पर, जो जनता के मकान हैं, उन्हें नष्ट कराया जा सकता है, तो एक तरफ सरकार लोगों को आवारा बनाये और आवारा बना कर उनकी गिनती करके उन्हें सजा देती है, उनकी जमानत लेती है और दूसरी तरफ सरकार कानून बनाती है जिससे कि मकान में किसी रिश्तेदार को रखना हो, पार्टीबाजी हो तो लोगों से मिल कर मकान खाली करवाया जा सकता है, इसके लिए मकान में तोड़ फोड़ कर देते हैं। तो जो लोग उस मकान में से निकलेंगे वे आवारा की गिनती में आयेंगे। आवाराओं के लिए सरकार का कानून है, उसके लिए सरकार की व्यवस्था है। अगर सरकार इनके रहने की व्यवस्था कर दे और बाद में कानून पासकर दिया जाता है और उस कानून को लागू कर दिया जाय, तो हम समझते हैं कि यह अच्छा होगा। मैं जानता हूं कि इसका गलत ढंग से उपयोग होगा, हर एक आदमी एक सर्टीफिकेट करा लेगा और गरीब आदमियों को निकाल देगा। अगर किसी मकान मालिक के रिश्तेदार को मकान मिलता नहीं होगा तो गलत सर्टिफिकेट लेकर लोगों को निकाल देगा। इस प्रकार गरीबों को नष्ट करने के लिए यह क्लाज़ है। कुछ दिनों पहले ऐसा कानून निकला था कि आपकी बिना मर्जी के देहाती लोग मकान नहीं बना सकते। इसके साथ साथ यह भी था कि मवेशियों को अच्छी तरह रखने के लिए खुले में मकान बनाया जायगा। उसमें यह स्पष्ट था कि अगर मकान बना लिया जाता है तो उसमें मवेशियों का प्रबन्ध जरूर किया जाय परन्तु मनुष्यों के लिए कुछ नहीं था। इसी प्रकार की हालत नगरपालिकाओं की हो रही है। इससे जनता पिछड़ जायगी, जैसे रेवेन्यू से

(श्री हीरा भाई)

काश्तकारों को पिछड़ा जा रहा है। कई लोगों के मुकदमें बनाये जाते है, कई बने बनाये मकान जिसमें पांच सौ रुपया नीवें डालने में खर्च करके मकान बनाये हैं, नीवें भर दी है, कई मकान बनाये हैं उनको पटवारी लोगों ने रोक कर तोड़फोड़ करवा दिया है, इसकी जांच करने वाला कोई नहीं है। गरीब इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि जांच करवा सकें, पटवारी गिरदावर आगये और बोर्ड से आदेश निकलेगा, इस तरह होता है। तो इस तरह जितनी प्रोपर्टी इन गरीब लोगों ने खड़ी की, वह उन्हें परेशान होकर वापिस उठा लेनी पड़ेगी। इसकी फरियाद करने जाते हैं तो किसके पास जाते हैं, उसके पास फरियाद करने जाते हैं जिसके हाथ में प्रशासन भी है, न्याय भी है, उस मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ता है। आज सब जगह कांग्रेस और मजिस्ट्रेटों का गठबन्धन हो रखा है, इनका आपस में सम्बन्ध रहता है, जो आदमी कांग्रेस की मदद नहीं करेगा उसको तुरन्त बहुमत के बल पर नष्ट कर देंगे और जो कांग्रेस की मदद करता है उसको बढ़ा देंगे। कांग्रेस का ही मैं नहीं कहता कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट को ही मान लीजिये, पर ऐसा सिलसिला पैदा हो जायगा। जिस मोहल्ले में गरीब जनता है वह इन पार्टियों को मदद नहीं देती है तो पार्टीबाज लोगों की निगाह उन पर ऐसी रहती है कि गुस्से भरी आंख उसकी तरफ रहती है कि कैसे इसको खत्म करें।

तो जनता को कुचल कर अपने साथियों को आगे बढ़ाना है तब तो ऐसा कानून बनाइये नहीं तो इसको बदल देना चाहिये। न तो अपील कर सकते हैं, तो फिर आप ही बताइये कि वे गरीब कहां जायेंगे, गलियों में भटकते रहेंगे? कहां तो हम समाजवाद का नारा लगा रहे हैं कि सबको समान बनाया जाय और समान अधिकार दिये जायं। और दूसरी तरफ ऐसा कानून बनाते हैं कि उनको ठंडी छुरी से हलाल कर दें। यह तो समाजवाद नहीं। जिनके हाथ में हुकूमत है, बहुमत है, उनके लिये समाजवाद का नारा लगाना और अपना मतलब सिद्ध करना है जो सत्तारूढ़ दल है वह इससे नाजायज़ फायदा उठायेगा...

श्री उपाध्यक्ष : वह तो बार बार कह दिया और कोई नया सुझाव दीजिये इस क्लॉज़ पर।

श्री हीराभाई : लोगों के सामने इतनी प्रतिष्ठा की जा रही है, उसके बारे में फिर कहना चाहता हूं, तो इस तरह से भ्रष्टाचार चलेगा और वजीर की कहावत कही जा रही थी कि वजीर को बाहर निकाल दिया तो बाहर रह कर राजा से मुलाकात की और आमदनी करने के लिये रास्ता निकाला था, कि बड़ा डोरा लेकर जमीन को नापता हुआ बड़े बड़े रईसों के मकानों की तरफ गया और उन लोगों को कहा कि यहां से एक सीधी सड़क निकाली जायगी और ये ये मकान जो इस सड़क के रास्ते में आते हैं, इसलिये इन मकानों को गिराना पड़ेगा, इस तरह खूब आमदनी की और फिर दरबार के साथ मिल गया, यह एक बहुत बड़ी कहानी है, तो इसी प्रकार की कहानी हमारे राज्यों में भी पैदा करनी है तो ऐसा कानून पास करना लाज़िमी हो जाता है। बीमारी फैल गई तो बीमारी को रोकने के लिये दवाई की आवश्यकता है, जयपुर इतना बड़ा शहर है जहां मिनिस्टर और दूसरे बड़े लोग निकलते

Page No.76

(श्री हीराभाई)

हैं, वहां अच्छी अच्छी सड़कें हैं पर गरीबों के यहां रास्तों में मकानों के पास बड़े-बड़े गड्ढे हैं। यह क्या राज्य है, यह तो मखौल है। आज कांग्रेस पार्टी का बहुमत है इसलिये दूसरों को कुचलने के लिये यह रवैया अख्त्यार कर रखा है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

धीरे धीरे धरती बंट कर रहेगी। १०,५ साल किसी को मकान में रहते हो गया तो वह नहीं निकलता है तो म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन डाक्टर से मिल कर निकलवा देंगे, यह तरीका अपनाया है तो मैं इसका समर्थन करूं, नहीं तो मैं इसका विरोध करता हूँ कि यह नहीं होनी चाहिये। किरायेदारों के लिये तो ऐसी व्यवस्था की जाय कि भविष्य में अच्छा मकान मिल जायें।

(कुछ माननीय सदस्यों के बोलने हेतु खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): यह क्लॉज़ २३४ है, इसको मैंने देखा है तो ऐसा मालूम होता है कि कुछ क्लॉज़ तो इसमें ऐसी रख दी हैं कि बड़े-बड़े शहरों के म्युनिसिपल कानून बने, उनके अन्दर जो धाराएं हैं वे इस कानून में भी रख दी हैं। बड़े बड़े शहर, कंजेस्टेड सिटीज़ हैं, उनको कानूनों के अन्दर रक्खे तो इस प्रकार की धाराएं रख दी हैं तो ठीक है पर राजस्थान की क्या स्थिति है, यहां की आबोहवा किस प्रकार की है, किस प्रकार के मकान हैं, और किस प्रकार इस तरह की बीमारियां फैल सकती हैं ? राजस्थान एक सूखा मुल्क है, यहां की ड्राई क्लाइमेट है। यहां बहुत क्राउड हो जाने से बीमारी हो जाय ऐसी बात यहां पर नहीं है। जहां तक मकानों का सवाल है। जयपुर. बीकानेर उदयपुर, जोधपुर को देखें तो जो मकान बने हुए हैं, हजारों मकान एक दूसरे से लगे हुए हैं, उनको या तो यह मान लिया जायगा कि ये क्राउडेड बने हुए हैं और इस तरह उनको हटाया जा सकता है, तो यह क्लॉज़ २३४ का मौके पर उपयोग किया जा सके, तो सदुपयोग नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति से मतभेद है और इस धारा से लाभ उठाना चाहे तो उस व्यक्ति को म्युनिसिपल बोर्ड दुख दे सकता है, इससे लाभ नहीं पहुँच सकता। तो इस धारा को समूल हटा दिया जाय तो अच्छा है। यदि आपने इसको रखा और कहा कि एक प्रगतिशील धारा जोड़ी है, इससे लोगों को लाभ होगा तो इससे किसी को लाभ मिलने वाला नहीं है, लाभ के स्थान पर इससे दिक्कत बढ़ सकती है। इसलिये मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि या तो इस बात की दलील देकर प्रमाणित करें कि इस प्रकार से बीमारी बढ़ जायगी और उसको दूर करने के लिये यह रख रहे हैं। आप कहेंगे कि मेडिकल ऑफिसर की राय लेंगे, पर जहां मेडिकल ऑफिसर की राय का सवाल आयेगा तो मेडिकल ऑफिसर तो कह देगा कि ठीक है ओवरक्राउडेड है हटा दिया जाना चाहिये। तो मंत्री महोदय इस बात की ठोस दलील दें कि वस्तुस्थिति क्या है ? राजस्थान की ओर यह क्लॉज़ जोड़ने से कौन सी विशेष स्थिति पैदा होने की संभावना है, ऐसी दलील देकर प्रमाणित करेंगे तो हम समझेंगे कि ठीक है। पर क्लॉज़ २३४ में

Page No.77

(श्री मुरलीधर व्यास)

कोई इस तरह की संभावना नहीं है। इसको बिल्कुल हटा दिया जाय तो अच्छा होगा।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसका विरोध करता हूं और इसलिए करता हूं कि मैं यह मानता हूं कि यह क्लॉज़ आज हमारे देश में जो स्थिति है उसको देखते हुए, इस क्लॉज़ की यहां पर कोई उपयोगिता नहीं है बल्कि मैं तो यह समझता हूं कि इस क्लॉज का यहां पर मिसयूज़ ही हो सकता है। जहां तक शहरों में ओवर क्राउडिंग का प्रश्न है आज शहरों में ओवर क्राउडिंग है। आज आपको एक भी इन्डस्ट्रीयल शहर ऐसा नहीं मिलेगा जो ओवर क्राउडेड न हो।

३.१० म० प०

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन)

चाहे आप दिल्ली को देख लें चाहे बम्बई को, सभी जगह मकानों पर ओवर क्राउडिंग रहता है और इसको हटाने का तरीका यह नहीं है कि किसी प्रकार से कानून पास कर दें और लोगों को इजेक्ट करें और न गवर्नमेंट के लिये यह प्रोब्लम को सोल्व करने का तरीका हो सकता है। आप कानून पास कर सकते हैं और दुनिया को बता सकते हैं कि हमने मोडर्न कानून बना दिये हैं और हिन्दुस्तान के बाहर के लोग तो इसको मान सकेंगे कि जयपुर और राजस्थान में म्युनि-सिपेलिटीज ओवर क्राउडेड नहीं हैं। लेकिन जो लोग इस देश में रहते हैं वे लोग अच्छी तरह से समझ सकेंगे कि इस कानून की युटिलिटी क्या है। वे यही समझेंगे कि इसकी युटिलिटी का मिसयूज होगा। यदि कोई व्यक्ति चाहे वह म्युनिसिपल कौंसलर हो या दूसरा अधिकारी हो या कोई पर्टिकुलर ऑफिसर हो या लैंडलोर्ड या मकान मालिक हो, जो टीनेन्ट से नाराज़ है और उसको मकान से निकालना चाहता है वह इस कानून के तहत किसी को भी मकान से निकालने के लिए इस क्लॉज़ की मदद ले सकता है। मैं यह कहता हूं कि इसके लिए आपने टिनेन्सी एक्ट, रेन्ट कन्ट्रोल कानून आदि बनाये हैं। मगर उस कानून के ज़रिये आप उनको मकानों के बाहर नहीं निकाल सकते हैं। मगर इस कानून के होने से मकानदार यह कहेगा कि मेरा मकान ओवर क्राउडेड हो गया है और उसको इस प्रकार का एक हथियार मिल जावेगा, जिसके जरिये से वह मजिस्ट्रेट से कह कर टिनेन्ट को निकाल सकता है। सभापति महोदय, मेरा यह नम्र निवेदन है और मैं आपके जरिये सदन से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो यह कानून बना रहे हैं वह उसी हालत में लागू होता है जब आपके शहर में एक्सेप्शन हो but actualy over-crowding is the rule of the day. ओवर क्राउडिंग को रीमूव करने की बात ठीक है, You want to create healthy conditions, that is good. लेकिन जहां एक मकान में आपको ओवर क्राउडिंग मिलेगा। ओवर क्राउडिंग को मिटाने के लिए दूसरा सोल्यूशन है और वह यह कि आप ज्यादा से ज्यादा मकान बनाइये। किसी को तकलीफ उठाने में आनन्द नहीं आता है। मुझे कोई आनन्द नहीं मिलता है कि मैं किसी ओवर क्राउडेड मकान में रहूं और तकलीफ उठाऊं। क्योंकि कोई व्यक्ति तकलीफ उठाना मंजूर नहीं

(श्री पी. के. चौधरी)

करता। कोई लोजिंग हाउस में या होटल में जाकर रहता है क्यों रहता है। इसीलिए कि आपके यहां पर अच्छा एकोमोडेशन उसको नहीं मिलता है। आपके इम्पीरियल होटल या स्टेट गेस्ट हाउस में कोई रहना चाहे तो रह सकता है। लेकिन उसके पास पैसा नहीं है कि वह उसमें जा कर रहे he has not got the economic resources इसलिए आज जो हमारी टेन्डेन्सी है कि हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम ओवर क्राउडिंग को मिटाने जा रहे हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि आप लोगों की सेहत को ठीक रखना चाहते हैं मगर वह ऐसे कानूनों से ठीक नहीं होती है। यह तो वहां हो सकता है जहां स्टेप और ओवर क्राउडेड न हो और इसके लिए यही सोल्यूशन है कि आप ज्यादा से ज्यादा मकान बनाइये। आप अच्छी कोलोनी बनाइये और मैं यह आपको निश्चय पूर्वक कह सकता हूं कि फिर कोई भी व्यक्ति जा कर वहां नहीं रहेगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से सिर्फ यही पूछना चाहता हूं कि आप इसका उपयोग कहां करेंगे। आपका कानून है जयपुर शहर के लिए और उसका उपयोग होना चाहिये but you have given a law without any intention of using it. मगर फिर भी आपका इन्टेन्शन यूज करने का नहीं होता है। आप खुद इस चीज़ को महसूस करते हैं कि इस कानून को यूज नहीं करना पड़ेगा तो फिर इस कानून का क्या फायदा होगा। यह तो शारदा एक्ट की तरह से यों ही पड़ा रहेगा। उस एक्ट को भी पास हुए बहुत अर्सा हुआ मगर फिर भी उसका मिसयूज़ होता ही है। मैं समझता हूं कि कोई शिकायत नहीं होगी और यह इन्इफेक्टिव रह जावेगा। मगर मुझे शिकायत इस बात की है कि यह जो प्रोविजन आपने रखी है वह ऐसा है जिसका मिसयूज़ होगा और वह not in the favour of Heunder-dog, but against the under-dog इसका नतीजा बिल्कुल खिलाफ होगा। आपने कह दिया कि किसी को नोटिस देकर लैन्ड लोर्ड या लोजर निकाल देगा, जब उसको निकाल दिया जाएगा तो क्या आप उसको एकोमोडेशन प्रोवाइड करेंगे? मैं कहूँगा कि आप उसको कोई एकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे। आप उसे मकान से निकाल दीजिये मगर उसको रहने के लिये एकोमोडेशन तो प्रोवाइड करें। ठीक है आप किसी को मकान से निकालना चाहते हैं और उसके लिए इस क्लॉज़ को आप प्रोवाइड करना चाहते हैं, करें। लेकिन जो इन्मेट्स रहते हैं उसकी रेस्पोन्सीबिलिटी the Government must take the responsibility of finding alternative accommodation for them. जब तक आप नहीं लेते तब तक आपको यह कानून लगाने का कोई अधिकार नहीं है। यह कानून है उसी जगह पास हो सकता है जहां Overcrowding is not a general rule. जहां काफी एकोमोडेशन हो और जहां दो चार लोग आउट ऑफ प्रोफिट हो किसी को यह कह कर कि यहां ओवर क्राउडिंग होता है अपने टिनेन्ट को निकाल देता है और इसकी वजह से मकान मालिक को कुछ फायदा पहुंच सकता है। टिनेन्ट और इनमेट्स हैं उनको it is an economic compulsion for them. They don't stay there for the pleasure of staying. किसी को इस बात का मजा नहीं आता है कि एक कमरे

Page No.79

(श्री पी. के. चौधरी)

में दो आदमी रहें। मगर मजबूर होकर रहना पड़ता है क्योंकि इसके सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं। इसलिये वे रहते हैं। इसलिये मैं मानता हूं कि यह इनओपरेटिव है। आउट ऑफ प्लेस है। जब तक गवर्नमेंट ने हाउसिंग प्रोब्लम को सोल्व नहीं किया तब तक यह प्रोब्लम रहेगी। You have not yet solved the five percent of the housing problem. जब तक आपने इस प्रोब्लम को हल नहीं किया, तो आपको कोई हक नहीं है इस प्रकार के कानून को लाने का। इसका उपयोग होगा हमेशा against the under-dog जो अच्छे मकान में नहीं रह सकता बुरे हालत में रहता है because of their economic poverty. आप ऐसा करके उसको और भी ज्यादा हालत बुरी में डालेंगे। यह जो रेमिडी आपने दी है the remedy is worse than the disease itself. यह दवाई जो आपने प्रिसक्राइब्ड की है it will be worse than the disease itself. It will put the people into inconvenience. इससे यह होगा कि आज जैसे बंबई में फुटपाथ पर लाखों आदमी रहते हैं, यहां पर भी रहने लगेंगे और वहां पर वे लोग एक ६ बाई १० का कमरा किराये पर ले लेते हैं जिसमें २५ आदमी अपना सामान रख देते हैं और फुटपाथ पर रहते हैं। जब आपका यह कानून पास होगा तो रास्ते में यहां पर भी लोग सोने लगेंगे और स्ट्रीट स्लीपर्स की तरह से रहने लगेंगे। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि इस क्लॉज़ को आपको अच्छी तरह से समझ कर पास करना चाहिये। उसके बाद समाजवाद की बात को एडवोकेट करना चाहिये।

मैं चाहूंगा जो माननीय मन्त्री महोदय रिप्लाई में इस बात को समझा दें कि ऐसी कौनसी परिस्थिति देश में पैदा हो गई है। जिस कारण से यह कानून लाने की आवश्यकता पड़ी है और उसका उपयोग कहां करेंगे। ओवर क्राउडिंग को कम करने के लिए करेंगे तो देखूंगा कि कानून पास करने के बाद चलता कितना है, शर्त कर के जहां लेजाऊं वहां चलेंगे तो तीन दिन में बता दूंगा कि आपका कानून नहीं चल सकता है। ओवर क्राउडिंग को कम करने के लिए करेंगे Make that commitment in the House and I will show you that the entire city population वर्किंग क्लास पापुलेशन सारे के सारे इस कानून को ब्रेक करेंगे, रिवोल्ट करेंगे। एक आध जगह करेंगे तो यह डिस्क्रिमिनेट्री होगा और सरकार के अधिकारियों के मर्ज़ी माफिक होगा। आप कानून बना रहे हैं, जहां जहां ओवर क्राउडिंग होगी इसका उपयोग करेंगे, यदि इसका उपयोग एक मकान में उपयोग किया तो सीमिलर कन्डीशन्स के मकान होंगे तो इसका उपयोग वहां करेंगे या नहीं यह आप हाउस में बता दें। यदि सिन्सियरिटी पर्पज़ होता है, यह नहीं है... Then I will doubt your sincerity of purpose and your honesty of purpose. और जब इस कानून में सप्लाई करेंगे then you will see that it is an impractical law. और जो कुछ इस सदन में कर सकें तो ठीक है। But it will be an impractical legislation which will never be enforced. और एन्फोर्स करेंगे तो यूनिफोर्म एन्फोर्स करेंगे Then you will fail in it. बस इतना ही निवेदन करना था।

श्री दयाकृष्ण विजय : सभापति महोदय....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इस पर काफी डिबेट हो चुकी है।

श्री सभापति : श्री दयाकृष्ण विजय।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : नई बात बता रहा हूं।

सभापति महोदय, यदि ताश के पत्ते के भवन बनाये जांय, कागज के फूलों का बनाया जाय और उनमें खुशबू लायी जाय तो कहां से आ सकती है, लेकिन सरकार यह करने जा रही है। भारतवर्ष बहुत प्राचीन बसा हुआ है, यहां का जीवन स्तर लोगों का गिरा हुआ है, लोगबाग बड़े २ शहरों में मेहनत मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, हम कहते हैं कि प्रथम पंच वर्षीय योजना बना ली द्वितीय भी बना ली और दूसरी में जीवन स्तर को ऊंचा उठा देने की बात करते हैं लेकिन इन घोषणाओं और मधुर संदेशों के बाद भी हम देखते हैं कि बड़े २ शहरों में यदि हरिजनों की बस्ती में, रेगरों की बस्ती में जाकर देखें तो पता लगता है कि क्या स्लम्स नज़र आते हैं, खंडहर दिखाई देते हैं जिनको लीप पोत कर छाया करके लोगबाग अपना जीवन बसर करते हैं। यदि आप हिन्दुस्तान और राजस्थान की सारी आर्थिक परिस्थिति और जीवन स्तर पर विचार करेंगे तब हम समझेंगे। लेकिन आज इस प्रकार का जो कानून बनाया जाता है वह केवल किताबों में रखने के लिए है। हम यह नहीं समझ पाते हैं कि इस कानून के बन जाने पर इसका किन पर डाइरेक्ट अटेक होगा ? उनके उपर होगा जो निर्धन हैं, गरीब हैं, जो फुट पाथ पर रहने वाले हैं, स्लम्स में, बस्तियों में रह कर, अपने झोंपड़े खड़े करके अपनी इज्जत छिपा करके रहते हैं, इन स्लम्स में जो रात दिन काट देते हैं, मैं समझता हूं कि इस कानून के द्वारा राज्य सरकार उनको इन स्लम्स में भी अपने दिन नहीं काटने देना चाहती। देश में जो आज भूखमरी दिखाई देती है, अच्छे कपड़े और मकान नहीं है और जो किराया देकर मकान में शरण लेते हैं। सरकार कहती है कि ओवर क्राउडिंग से बीमारी फैलती है, इसलिए मकान खाली करायेगी उदारता और न्याय की बात को जाने दीजिये। कानून बनाने से पहले आप जो आज एक करुणाजनक स्थिति है उनकी, उन पर तो विचार कीजिये। एक कोठरी में पांच छः परिवार रह रहे हैं। एक ही मकान में चूल्हा है, उसी में उसका ड्राइंग रूम है, उसी में बेहिंग रूम है और उसी में उसका किचन है। सारी चीजें कमरों में आजाती हैं। इस प्रकार की मजदूरों की बस्तियां हैं, हरिजनों की बस्तियां हैं, रेगरों की बस्तियां हैं और इसी प्रकार से राजस्थान के हर बड़े कस्बों की स्थिति है। वे लोग उनमें अपना जीवन बिता रहे हैं। छोटे २ कस्बों को तो जाने दीजिये, आज उन लोगों की बड़ी ही दयनीय स्थिति है और यदि उसका चित्रण किया जाय तो रोना आ जायगा वह चित्रण भी आपसे छिपा हुआ नहीं है। उनकी कठिनाइयों को जानते हुए, उनके जीवन स्तर को जानते हुए कि उनका जीवन स्तर कितना गिरा हुआ है कि वे अलग से मकान नहीं बना सकते, इस प्रकार का सरकार कानून बनाना चाहती है उस हालत में भी। सरकार कह सकती है कि सरकार लो इनकम ग्रुप हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत रुपया लोन देती हैं। लेकिन वह तो उनको मिलता है जिनके पास सिफारिश है, एप्रोच है, जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो सरकार के द्वारा अंग्रेजी में निकलने वाले कानून को पढ़ कर

(श्री दयाकृष्ण विजय)

लाभ उठा लेते हैं किन्तु वे गरीब आदमी न तो लोन ही ले सकते हैं, लेकिन यदि हिम्मत भी करे तो सरकार का जो नियम है कि लोन उसी को मिल सकता है कि जो पहले १।४ हिस्सा पहले बना ले। नकशा सैन्कशन हो जाय नगरपालिका से और १।४ पहले इन्वेस्ट कर दे तब जाकर गवर्नमेन्ट से लोन मिलेगा और उसका वह सेपरेट हाऊस होगा। लेकिन उस गरीब की जेब में क्या है? सुबह मेहनत करता है और रात को खाता है। आप उनको कहते हैं कि आपके अधिक हो जाने से, बढ़ जाने से, रोग फैलने की आशंका है "likely to become dangerous or prejudicial to the health of inhabitants..." ऐसी आशंका प्रकट की है। नागरिकों के लिए बड़ी भारी दिक्कत हो जायगी। आप आज जो कागज़ के फूल बनाते हैं और उनमें खुशबू ढूंढने जाते है वह कहां मिलेगी। ताश के पत्तों से मकान की कल्पना केवल कल्पना मात्र होगी। इस प्रकार की कल्पना करना की बीमारी फैल जायगी और आप उसको बढोत्तरी को कम करना चाहते हैं उससे पहले तो यह अच्छा होता कि गरीबों के लिए सबसिडी देकर उनके लिए क्वाटर्स बनाये होते, मकान मोहैया किये होते। बेचारे गरीब लोग हैं, छोटे से मकान में, सर्दी की रातें काट देते हैं, बरसात में कड़कती बौछारों में जो अपना जीवन बसर कर रहे हैं, उनको दबाना चाहते हैं, बेचारे गरीब हैं, उनके दुख दर्दों को सुनने वाला कोई नहीं इसलिए उनको हटाया जाता है। एक तरफ आप जमीन के लिए आवाज़ उठाते हैं कि अब जमीन उसकी होगी जो उस जमीन को खुद जोतेगा और दूसरी तरफ आवाज उठाते हैं कि समाजवादी व्यवस्था द्वारा छोटे बड़ों का जो भेद है उसको खत्म करना चाहते हैं। लेकिन किसी मकान में कुछ लोग रहते हैं, जीवन बसर करते हैं तो उनको वहां रहने का अधिकार नहीं है, आप उनको वहां से निकालना चाहते हैं। इस प्रकार की बातों से और अधिक भ्रष्टाचार फैलने की बात आती है। म्युनिसिपैलिटी के सिपाही का किसी मकान वाले से झगड़ा हो गया। उसने देखा कि म्युनिसिपैलिटी के कानून में ऐसी बात लिखी है कि किसी मकान में ज्यादा लोग रहते हैं, गन्दा मकान है और उससे बीमारी फैलने की आशंका है इसलिए वह एक प्रकार से झूंठी रिपोर्ट करेगा केवल दुश्मनी निकालने के लिए। म्युनिसिपल बोर्ड में रहने वाला डॉक्टर सिफ़ारिश कर देगा। म्युनिसिपैलिटी की ओर से एक डॉक्टर रहता है। म्युनिसिपैलिटी का कर्मचारी जावेगा, नहीं हटाया जावेगा उनके द्वारा तो मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन पहुँचेगी, तो उस पर जुर्माना होगा। इन सारी बातों से हमें देखने को मिलता है कि भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए यह कानून बनाने जा रहे हैं। हम यह विचार नहीं रखते कि उन लोगों के लिए मकान बनाये। म्युनिसिपैलिटी देखेगी कि कुछ लोग रह रहे हैं और ऐसी लोकेलिटी है जहां भीड़ है और बीमारी फैलने की आशंका है, उनको दूसरी जगह शिफ्ट करेगी और गवर्नमेन्ट सबसिडी देगी, इस प्रकार का प्रावधान होता तो माननीय सदस्यों द्वारा इसका विरोध नहीं किया जाता। लेकिन आप हटाने की बात करते हैं जोड़ने की बात नहीं करते आप उजाड़ना चाहते हैं आप बसाने की बात नहीं कर सकते। आप ध्वंस की ओर जा रहे हैं सृजन की ओर जाने की आवश्यकता महसूस नहीं करते। आखिर जो कानून आप बनाने जा रहे हैं उससे

(श्री दयाकृष्ण विजय)

चाहते हैं कि लोगों में अशान्ति की भावना पैदा हो। जो शहर के अन्दर लोग कुछ इज़्ज़त के साथ अपना गुज़र बसर कर रहे हैं, किसी झोंपड़े में सिर छिपाकर रह रहे हैं उनको आप फुटपाथ पर लाना चाहते हैं, उनको भी आप बेघरबार बना देना चाहते हैं। ये सारी मिसालें हमारे सामने हैं आज हम हिन्दुस्तान के पर व्यक्ति की आमदनी को देखें तो वह २५०) रुपया सालाना एक औसत आदमी की आमदनी है जिससे न तो वह कभी भी अपना निजी मकान बना सकता है और न खुली हवा में ही रह सकता है। वह तो किराये के मकान में ही रहेगा और मकानों की हालत यह है कि लोगों को किराया देने पर भी मकान रहने को नहीं मिलते सबलेट करा कर मकान मिल जाय इसमें बड़ी गनीमत है। बड़ी मुश्किल से किरायेदार से मिलते हैं और उसके हिस्से में रहते हैं। आज मकानों की समस्या जो बड़े कस्बों और शहरों में बनी हुई है उसका एक कारण और भी है जो आदमी किराया अच्छा दे सकते हैं उनको भी अच्छा मकान रहने के लिये मिलता नहीं। पढ़े लिखे आदमियों को भी रहने के लिये मकान नहीं मिल रहा है। वैसी हालत में होता क्या है? लोग गन्दी बस्तियों में रहते हैं, और किसी भी तरह से शहर के वातावरण में रह कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। जब तक आप उनके लिये कोई ऑलटरनेटिव अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करते, उसके लिये सबसिडी नहीं देते, नये क्वाटर नहीं बनवाते इस प्रकार से लोगों को निकालना बीमारी के नाम पर, गन्दगी के नाम पर निकालना उनके साथ अन्याय होगा।

आप इस क्लॉज़ में इस बात को रखिये कि नगरपालिका प्लाट्स अलॉट करेगी और मकान बनाने के लिये सबसिडी देगी और उसमें यह भी रख दें कि इतने समय में मकान बना लें और उसके बनने के तुरन्त बाद ही शिफ्ट कर दें। ऐसा प्रावधान आप रख देते हैं तो किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। जब तक आप इस प्रकार का प्रावधान नहीं रखते आपको किसी को भी किसी के मकान से निकालने का अधिकार नहीं, वह किरायेदार के रूप में रह सकता है। आपको बीमारी फैलने की आशंका है तो आप उसको दूसरा स्थान तो बतायेंगे, यह तो हो नहीं सकता कि आप उसको ले जाकर जंगल में छोड़ देंगे या बरगद के पेड़ के नीचे रहने के लिये बाध्य करेंगे या नदी के किनारे रहने को कहेंगे। वह बेचारा ऐसी जगहों पर रह कर हवा को फांक कर अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकता। आपके सामने है पाकिस्तान से जितने भी शरणार्थी आये, उनके लिये नई लोकेलिटी बनाकर उनको बसाया नहीं गया बल्कि वे लोग शहरों में आकर जहां कहीं भी जगह मिली रहने लग गये। ऐसी ऐसी जगह आज भी शरणार्थी भाई रह रहे हैं, जिसको स्लम की कन्डीशन कह सकते हैं। वहां रहकर भी अपना गुज़र बसर कर रहे हैं। आप उनकी दुविधा को देखें अपने देश को जो छोड़ कर आये हैं, जिनके रहने का ठिकाना नहीं। सरकार ने पुनर्वास की व्यवस्था की है लेकिन सरकार भी सारे शरणार्थी बसाने में असफल रही है। सब को रहने के लिये मकान नहीं मिल पाये हैं। वैसी हालत में उनको स्लम या दूसरी गन्दी जगहों पर गुज़र बसर करना पड़ रहा है। क्योंकि वे शहरों में रहकर कमायी करना चाहते हैं क्योंकि शहर ही उनकी कमायी का साधन हो सकता है।

(श्री दयाकृष्ण विजय)

आज हमारे सामने यह बड़ी विकट समस्या है। एक तरफ आप किसानों से ज़मीन छीनते जा रहे हैं और किसान बेकार होते जा रहे हैं और आज किसान गांवों को छोड़कर शहरों की ओर बढ़ रहे हैं क्योंकि आज जितने बल्ब ट्यूब लाइट्स और बिजली की जो जगमगाहट शहरों में दिखाई देती है, उस तरफ उसका आकर्षण स्वाभाविक है उसी आकर्षण के परिणामस्वरूप हर आदमी शहर की ओर बढ़ता चला आ रहा है जिसके कारण भी आबादी बढ़ रही है, आज हम उनको मकान प्रोवाइड नहीं कर सकते। उनके लिये नई लोकेलिटीज़ नहीं बना सकते, उसमें हम असफल रहते हैं और चाहते यह कि जो स्लम्स में रहते हैं उनको हटाना चाहते हैं, उनसे खाली कराना चाहते हैं, यह निश्चित है कि उनकी आबादी बढ़ी हुई है क्योंकि शहर की ओर आदमी बढ़ते चले आ रहे हैं। क्योंकि गांव में लोगों के लिये अपना जीवन एक समस्या बना हुआ है, वैसी हालत में जब वे लोग शहर की ओर आ रहे हैं। तो उनके रहने के लिये मकान की व्यवस्था एक समस्या है। उनको इसके सिवाय ऑल्टरनेटिव अकमोडेशन नहीं मिलती है, सरकार भी इसके लिये सबसिडी नहीं देती है,रहने का जो तरीका है वह बड़ा गन्दा है। वैसी हालत में जब कि वे अपने लिये साफ सुथरा मकान नहीं बना सकते बंगला नहीं बना सकते क्योंकि आप देखते हैं इन दिनों सब चीज़ों का भाव महंगा हो रहा है आज चूना महंगा है पत्थर महंगा है चीनी और गेहूं का भाव बढ़ा हुआ है। जीवन की हर आवश्यक सामग्री की कीमतें बढ़ी हुई हैं। ऐसी परिस्थिति के अन्दर जब कि एक आदमी की औसत आमदनी २३०) रुपया है वहां आप यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वह इतनी स्वल्प आमदनी में अपना घर का मकान बनाकर रह सके। निजी मकान वह नहीं बना सकता और न खुली वायु में ही वह रह सकता है। अगर उसको सबसिडी मिलने का प्रावधान होता है तो फिर भी मान सकते हैं। लेकिन जब तब वह इस प्रकार की बस्तियों में रहता है, वह बीमारी से बच नहीं सकता किसी प्रकार की गन्दगी से नहीं बच सकता। हर आदमी चाहता है कि वह अच्छी और खुली हवा में रहे। लेकिन उसके लिये जब तक आपके पास कोन्क्रीट प्लान नहीं तब तक आप उसको जहां भी वह रहता है उसको हटा नहीं सकते। इसके लिये जब तक आप निश्चित योजना लेकर सामने नहीं आयेंगे लोगों का जीवन स्तर ऊंचा नहीं उठेगा। हम जिस प्रकार से कानून बना रहे हैं, चाहे इस प्रकार के कानून से कितनी ही किताबें रंग दें सफेद कागज़ों को काला करदें इस समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। जिस दिन आप उनको मकानों से निकाल देंगे उसी दिन आप देखेंगे कि विधानसभा भवन के सामने वे प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे कि हमें रहने के लिये मकान दो। वह सरकार निकम्मी है जो रहने के लिये मकान न दे सके। इस प्रकार नारे आपको सुनने को मिलेंगे आप चाहते भी यही हैं कि बेघरबार होकर लोग इस प्रकार के नारे लगायें। आप कानून ही इस प्रकार का बना रहे हैं। जिससे निश्चित रूप से इस प्रकार के आधार पैदा होंगे और रहने के लिये मकान नहीं दे सकेंगे अच्छे मकानों की व्यवस्था नहीं कर सकते, उनसे खाली करायेंगे बीमारी फैलने का अन्देशा है। उनको बीमारी की ज्यादा चिन्ता है लेकिन अब जो आदमी इज़्ज़त के साथ सर छुपाकर

(श्री दयाकृष्ण विजय)

रहना चाहता है उसको आप रहने नहीं देते। आप चाहते हैं इस प्रकार के आदमी फुटपाथ पर आकर पड़े रहे, धरती को अपना सिंहासन या शैया समझे और आकाश को छत। पवन चलती हुई रहे इस प्रकार का जो संशोधन आप चाहते हैं उससे देश के अंदर शान्ति व्यवस्था नहीं रह सकती है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जब तक आप ऑलटरनेटिव हाउस उनको प्रोवाइड न कर दें निकालने की बात मत रखिये।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार का प्रावधान माननीय मंत्री महोदय ने इस क्लॉज़ में रखा है और इस क्लॉज़ का जो अर्थ वे निकालना चाहते हैं वह नहीं निकलता शहर वैसे ही ओवर क्राउडेड है। इसमें दो राय नहीं हो सकती। जयपुर शहर की जो पहले आबादी थी उससे काफी आबादी बढ़ी है और ज्यों ज्यों आबादी बढ़ती जा रही है रहने के लिए मकानों की समस्या बढ़ती जा रही है। इस क्लॉज़ को हटाकर हम उस मन्शा को पूरा कर सकते हैं इस क्लॉज़ की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि इस क्लॉज़ में लिखा है :—

"(1) Whenever the board considers the interior of a building is so over-crowded as to be likely to become dangerous or prejudicial to the health of the inhabitants..." यानि हमें इस प्रकार की शंका होगी कि कोई संक्रामक रोग फैलने वाला है या इस प्रकार की कोई डिजीज़ होने वाली है, मकान में गन्दगी है इस कारण लोगों को हटाना आवश्यक है इस प्रकार निर्णय करने का अधिकार दिया गया है। क्लॉज़ २१७ में प्रोवीज़न रखा है इस प्रकार का कोई गन्दा मकान है जो मनुष्यों के रहने के लायक नहीं है उस मकान से लोगों को हटा सकते हैं।

"(a) becoming a resort of idle and disorderly persons or of persons who have no ostensible means of subsistence or who cannot give a satisfactory account of themselves, or

(b) coming into use for any insanitary or immoral purposes;

उसके अन्दर आता है। इसका भी प्रोविज़न रख दिया है। इस तरह का प्रोवीज़न २१७ में रक्खा है पर धारा २३५ में फिर प्रोवीजन रक्खा है। इस प्रकार का अधिकार दिया है :—

"Special powers which may be conferred by Government in respect of over-crowded arear notified by the Government :-

तो हमने इस प्रकार का प्रोविजन दिया है कि जहां पर स्टेट गवर्नमेन्ट यह देखती है कि यहां पर ओवर क्राउडेड ज्यादा हो रहा है उस सारे क्षेत्र को स्पेशल एरिया घोषित करके, सरकार उसमें कम आदमियों को बसा सकती है। इस प्रकार का प्रोविज़न २३५ में दिया है। २१७ और २३५ के बाद यह धारा जरूरी नहीं रह जाती है।

संक्रामक रोग निरोधक विधेयक को भी साथ में देखें तो स्पष्ट हो जावेगा कि जहा पर भी इस प्रकार की बीमारी फैलने का अन्देशा न हो वहां पर डी. एम. को या any

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

officer appointed by the Government को अधिकार दिया है कि वहां भी बीमारी फैलने वाली होने की अशंका हो तो उसमें प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए कोई भी कदम उस रोग की रोकथाम के लिये ले सकता है, मकान को खाली करवा सकता है, शहर की सफाई करवा सकता है, मकान तुड़वा सकता है। फिर भी २३५ के अनुसार भी स्टेट गवर्नमेन्ट ने अपने अधिकारियों को पॉवर देने का प्रावधान रक्खा है।

तो इन सारी बातों को मिलाकर देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि २३४ धारा का केवल दुरुपयोग होगा। एक मकान है जिसमें २० परिवार रहते हैं। जब मैडिकल ऑफिसर ने रिपोर्ट दी कि आधे ही रह सकते हैं, अधिक लोगों को यहां से हटाया जावे। अब समस्या आवेगी कि किसको हटाया जावे ? अगर बीस को ही हटा देते हैं तो फिर तो रहेगा कौन ? अब या तो उसको हटावेंगे जिसकी सिफारिशें नहीं, या तो मैडिकल ऑफिसर की सिफ़ारिश होगी या म्युनिसिपल बोर्ड के किसी सदस्य की या कर्मचारी या अधिकारी की सिफारिश होगी। तो बोर्ड उस वक्त यह देखेगा कि जिसकी कोई सिफारिश न हो उसको हटा दिया जावे और इसके बाद में पहले जो हट्स को रिमूव करने की बात आई थी कि उसका मुआवज़ा देंगे और माननीय मन्त्री महोदय ने स्पष्टीकरण करते हुए कहा था कि मुआवजे का अर्थ सब कुछ है, ज़मीन भी दी जावेगी, बसने के लिये सामान भी दिया जावेगा मलबा वगैरह जो हटाया गया उसके लिये पैसा भी दिया जावेगा। वहां यह प्रोविजन है। पर अब यदि दस परिवारों को हटाते हैं। और जयपुर जैसा शहर है, जयपुर जैसे शहर में भी विश्वेश्वरजी की चौकड़ी या मोदीखाना चौकड़ी के किसी मकान में से किसी परिवार को हटाना है तो क्या फिर आप उनको कोई मकान दिलवायेंगे, आज शहर में तो कोई चौकड़ी ऐसी नहीं दिखाई पड़ती जो गन्दी न हो। एक एक मकान आज तो यहां ओवर क्राउडेड हैं। आप हटावें, कोई इन्कार नहीं, पर उनको अलग स्थान भी दें, हट्स में तो आपके पास ज़मीन है, मान सकते हैं, आप दे सकते हैं, पर मकान की समस्या जो आज सभी शहरों में है उसको देखते हुए आप इस को कैसे कम्पन्सेट करेंगे यह सोचने की बात है। आप नये मकान बना सकते हैं पर आज आपके पास इतने साधन और रिसोर्सेज़ नहीं हैं। आपके पास कोई गुंज़ाइश नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सीटी) : कोरम नहीं है।

(गणपूरक घंटी के पश्चात् पुनः)

श्री सभापति : This housing problem has made a problem to the House also, but we are not over-crowded here.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (जारी) : जहां तक हाउसिंग का प्रोब्लेम है हमारे केन्द्रीय मन्त्री ने भी स्वीकार किया था कि आज हम हाउसिंग की समस्या को हल नहीं कर पाये हैं। हमारे प्रान्त में भी आप देखें, लो इन्कम ग्रुप हाउसिंग की स्कीम के लिए हरएक डिस्ट्रिक्ट में कितनी एप्लीकेशनें पड़ी हैं, मुश्किल से सौ में से २५ को सेंक्शन दे पाये हैं। तो यह समस्या है हमारे सामने। अब आप उन

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

मकानों को देखें कि जिनमें शरणार्थी रहते हैं तो वे कितने ओवर क्राउडेड अभी भी हैं। जब वे आये थे तो सिर ढकने के लिये जहां जैसा स्थान मिला घुसने के लिये वे घुस गये। अभी थोड़ों को फतेहटीबा पर बसाया है। पर फिर भी स्टेन्डिंग प्रोब्लम है। ऐसी स्थिति के आज होते हुए आप जब ऐसे अधिकार देने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से इसका दुरुपयोग होगा। कुछ लोग इससे अपना बदला निकाल सकेंगे या जो सेठ साहूकार हैं और अपना मकान खाली कराना चाहता हैं तो वह नगरपालिका के अधिकारियों से मिलकर उनके साथ ज्यादती करेगा। इसके अतिरिक्त इस धारा का आज की परिस्थितियों में कोई फायदा नहीं है अगर आप ऐसे लोगों को सेटिसफेक्टरी रूप से जवाब दे सकें या उनको रिहैबिलिटेट कर सकें, कम्पेन्सेशन दे सकें, तो इसका विरोध नहीं होगा। क्योंकि सब चाहते है कि यह समस्या हल हो तो अच्छा है। हर एक चाहता है कि अच्छे मकान मिलें। कोई भी इस प्रकार के स्लम में रहना पसन्द नहीं करता। पर मज़बूर हैं आज वे। तो उन व्यक्तियों की मजबूरियों का दुरुपयोग करने के लिये इस क्लॉज का उपयोग होगा। इसके सिवाय और कोई उपयोग इसका आज नहीं है। यह मेरी मान्यता है। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर): सभापति महोदय, २३४ के अन्दर जो भावना निहित है उसका मैं आदर करती हूं। लेकिन कोरी भावना काम नहीं दे सकती है। हमारा आदर्श उच्च है, यह बात ठीक है लेकिन उसके साथ साथ वास्तविक व्यवहार भी होना चाहिये यह भी जरूरी है। उसमें इस क्लाज़ को देखकर हम देखते हैं कि हमारे सामने कलकत्ता और बम्बई जैसे बड़े बड़े शहर हैं। जहां एक मकान के अन्दर बहुत परिवार रहते है। मैं नहीं समझती कि राजस्थान में भी ऐसी कोई नगरपालिका हो सकती है जहां केवल बहुत से आदमी एक मकान में रहते हों और जिसके कारण स्वास्थ को खतरा हो। इसलिये इसकी आवश्यकता आज प्रतीत नहीं होती। भविष्य में कभी उसकी उपयुक्तता मालूम पड़ेगी ऐसा मालूम नहीं पड़ता।

हम जनता के स्वास्थ्य की रक्षा करना चाहते हैं। लेकिन मकानों में से भीड़ हटाने के पहले हमें देखना पड़ेगा कि जनता का स्वास्थ्य खतरे में किन कारणों से है? अब ऐसा मालूम होता है कि सरकार ने जितने खतरे थे उन के कारणों को तो दूर कर लिया, और अब केवल एक ओवरक्राउडिंग और बचा है और इस कानून की इस क्लॉज़ से वह इस ओवरक्राउडिंग को दूर करना चाहती है। ठीक है, हम सब चाहते है कि हमारी जनता स्वस्थ रहे और यही हमारी सरकार का प्रयत्न भी है। यहां तक तो मैं सहमत हूं लेकिन स्वास्थ्य के दूसरे साधन तो हम काम में लाते नहीं है। जयपुर शहर की आज जो सफाई की हालत है, उसको देखते हुये जरूरी है कि हमें ओवरक्राउडिंग को यहां दूर करने के पहले इस चीज की आवश्यकता है कि हम शहर को कैसे साफ रखें। यहां पर ओवरक्राउडिंग का कोई सवाल नहीं है। सवाल यह है कि हमारी नगरपालिका और हमारी सरकार थोड़ी सी सक्रिय हो और सबसे पहले गंदगी जो अस्वस्थता का सबसे बड़ा कारण है, जो हमारी जनता के स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है, उसकी ओर ध्यान नहीं

Page No.87

(डॉ० चन्द्रकला)

देते हैं और ओवर क्राउडिंग की बात हम पहले सोचते हैं। आज वस्तुत: ओवरक्राउडिंग की समस्या नहीं है और मेरा ख्याल है कि आगे के सौ पचास सालों में यह समस्या तो पैदा होने वाली भी नहीं है। क्योंकि हम ही लोग बस्तियां बनाने वाले हैं, हम ऐसी अवस्था को लाने ही नहीं देंगे कि जिससे ओवरक्राउडिंग हो जाये। यह बातें केवल जयपुर शहर में चार दिवारी के भीतर भीतर हो सकती हैं। बाहर की बस्तियां तो बहुत अच्छी बनी हुई हैं। उनमें तो ओवरक्राउडिंग का सवाल ही नहीं है। मुझे तो आवश्यकता इस बात की लगती है कि सबसे पहले हमें सफाई की ओर ध्यान देना चाहिए। होता यह है कि हम अनियोजित ढंग से काम करते चले जा रहे हैं। हमारे सामने कोई भी समस्या आती है उसको छोटे रूप में, जैसे छोटी बातें हल कर लेते हैं, दूसरे दिन दूसरी समस्या हमारे सामने आती है तो समझ में नहीं आता कि क्या करें ? हम लोगों के देखते देखते जयपुर शहर का विकास हो रहा है। जो जयपुर चारदिवारी के भीतर भीतर बसा हुआ था वह आगे आगे बढ़ता चला जा रहा हैं। लेकिन हमारा अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड, हमारी नगर-पालिका और हमारे राजस्थान का स्वायत्त शासन विभाग जैसे नींद से उठता है, चौंकता है, थोड़ासा काम करता है और फिर समझ में नहीं आता कि क्या करें। फिर खुद जनता के लिए और अपने लिए समस्या पैदा करता है। आज हम मकान खाली कराने की बात करते हैं। उन मकानों में ओवरक्राउडिंग कौन करता है ? गरीब लोग करते हैं, साधन-हीन लोग करते हैं, जो अपने स्वयं के मकान नहीं बना सकते, वह किसी तरह से गुजर करते हैं। हमारा कर्त्तव्य है कि उनको भी घरों की सुविधायें दें, इसलिए सोचना पड़ेगा कि हम उनको कैसे बसायें ? हम मास्टर प्लान की कल्पना करते हैं। हमने मास्टर प्लान शब्द को केवल सुन लिया है लेकिन वह हमारे लिए आज केवल स्वप्न की चीज़ बनी हुई है। वह व्यवहार में कब आयेगा यह पता नहीं है। शहर के आसपास जब कोई भी जमीन नहीं बचेगी, जब हमारा मास्टर प्लान आयेगा और फिर उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं बच रहेगी। इसलिए हमें यह चाहिए कि न केवल जयपुर शहर बल्कि हर राजस्थान के हर नगर को किस तरह से बसाना है और किस तरह से उसका विकास करना है। इसकी योजना हम बना लें और उसके अन्तर्गत ही हम काम करें। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है। मैं एक जगह के लिए देखती हूं कि हमारी सरकार की ओर से एक प्रस्ताव आता है हमारा अर्बन-इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड एक योजना बनाता है और दूसरे दिन उससे उस योजना के बारे में बात करते हैं। तो ऐसा मालूम होता है कि वह योजना ही बदल गई। एक बस्ती की बात पूछते है, वहां पर सारी योजना बन जाती है कि यह बस्ती तैयार हो रही है और दो चार दिन के बाद पूछते हैं तो मालूम होता है कि यहा तो इन्डस्ट्रियल हाउसिंग होने वाला है। इसलिए यहां यह योजना काम में नहीं आयेगी, दूसरी योजना आयेगी। गरीबों के साथ इस तरह का खिलवाड़ होता है। बेचारों को किसी तरह से जगह मिलती है तो कोई न कोई नई योजना आती है। तो ओवरक्राउडिंग का तो कोई सवाल नहीं है। पहले तो यह कोई सवाल ही नहीं है और बिना सवाल के सरकार उसके हल

(डॉ० चन्द्रकला)

निकालने में समय लगाये तो यह बात ठीक नहीं है । हमारे सामने दूसरे जाग्रत सवाल हैं उनकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए । सभापति महोदय, मैं तो बहुत ताज्जुब में रहती हूं कि जयपुर शहर में एक ओर तो स्लम क्लियरेन्स की योजना बनाते हैं और वह कार्यान्वित नहीं होती है । जब कि पूरे राजस्थान में जहां भी बड़े बड़े शहरों में स्लम हैं, उनकी योजना बनानी चाहिए उसको कार्यान्वित करना चाहिए । उसकी ओर आज कोई ध्यान नहीं है । लेकिन जहां मकान में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, उनकी संख्या कम करने की फ़िक्र पहले सरकार को पड़ती है । इसलिए मैं कहूंगी कि जो हमारे सामने सवाल बहुत छोटे रूप में है उसको बड़ा सवाल बनाने की कोशिश नहीं करें और उसके मुकाबिले में जो बड़ी बड़ी समस्यायें हैं, जनता के स्वास्थ्य को खतरे में डालने वाली उनको पहले दूर करें । इसके साथ ही साथ हमने इस क्लॉज़ में मजिस्ट्रेट को अधिकार दे रखे हैं और स्वास्थ्य अधिकारी को अधिकार दे रखे हैं कि वह प्रमाणित करेंगे कि यह मकान ओवरक्राउडेड है और यह मकान जनता के स्वास्थ्य के लिए खतरे का है, इसलिए इसको खाली कर देना चाहिए । सभापति महोदय, मैं बड़ी नम्रता के साथ निवेदन करती हूं कि इस क्लॉज़ को पास करके हम जनता को सताने का अच्छा तरीका सरकार के हाथ में देंगे । आज देखती हूं कि म्युनिसिपैलिटी के मामूली सिपाही, हमारी नगरपालिका के स्वास्थ्य अधिकारी चले जाते हैं या कौन हैं पता नहीं वह आज किस तरह से जयपुर की जनता को परेशान करते है इसको यदि मैं रोज माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री महोदय को बताना शुरू करूं तो पता नहीं क्या हो जायेगा । हमारी समझ में नहीं आता है, म्युनिसिपल बोर्ड का पता नहीं वह क्या तरीका है, जमादार है वह जाता है और जयपुर की बहुत सारी आबादी कच्चे घरों में रहती है । कई हजारों की संख्या में लोग कच्चे मकानों मे रह रहे हैं । यह हम जानते हैं कि उनको वहां रहने का अधिकार नहीं हैं और उनके लिए जिस दिन सरकार एक नोटीफिकेशन निकालेगी उनको हटाया जायेगा । यदि वह सीधेसादे नहीं हटेंगे, राजी खुशी से नहीं हटेंगे तो जोर जबरदस्ती के साथ उनको हटाया जायगा । लेकिन कच्चे मकानों में रहने वाले लोग कच्ची मिट्टी की दीवारें खड़ी कर लेते हैं तो नगरपालिका के सिपाही वहां पहुँचते हैं और उन पर जुर्माना करते हैं पचास-पचास और साठ साठ रुपया । यदि कोई चुपके से सोचता है कि आगे कौन दिक्कत उठायेगा तो दो चार रुपया उनको दे देते हैं और देवता खुश होकर चले जाते हैं । यदि किसी ने उसका थोड़ा भी विरोध किया तो उनको मजिस्ट्रेट के सामने जाना पड़ता है और एक ही मकान बनाने के लिए दो चार बार तक जुर्माना देना पड़ता है । बरसात आती है । मकानों की मरम्मत की जाती है, उस पर भी यही दण्ड मिलता है । उनको इस तरह से तंग किया जाता है । मैं तो देखती हूं कि जयपुर शहर की खास करके उन क्षेत्रों में कि जो कच्चों में रहते हैं उनको किस तरह से म्युनिसिपैलिटी के इन्स्पेक्टर लोग तंग करते हैं । जब हम यह धारा पास कर देते हैं और हैल्थ ऑफिसर को अधिकार दे देते तो हम क्या कसौटी पर रखने वाले हैं।

(डॉ० चन्द्रकला)

४ म० प०

(श्री अनोपसिंह, सभापति, पदासीन)

जो कृपा पात्र होंगे उनका घर चाहे कितनी ही अस्वास्थ्यप्रद हो उसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं जायेगी और जहां हम सोचेंगे कि अच्छे से अच्छा मकान है और उसको खाली कराना है तो स्वास्थ्य अधिकारी इस प्रकार का प्रमाण दे देगा। तो हमें आशा है कि माननीय मन्त्री महोदय इस तरह का जनता के शोषण का मौका नहीं देंगे।

दूसरी चीज़ मैं यह कहना चाहती हूं कि हम लोग स्वास्थ्य के आधार पर ओवर-क्राउडिंग को कम करना चाहते हैं लेकिन इस जयपुर की नगरपालिका में और हमारे मन्त्री महोदय को बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि बस्तियों के बीच में कली के भट्टे लगे हुए हैं। कम से कम पन्द्रह भट्टे इस जयपुर शहर की अलग अलग बस्तियों में लगे हुए हैं। उनके लिए माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाया जाता है, म्युनिसिपैलिटी का और सरकार को ध्यान दिलाया जाता है परन्तु कोई कार्यवाही नहीं होती है। वह पत्थर के कोयलों का गैस लोगों के २४ घन्टे सास के साथ शरीर में जाता है तो हमारी सरकार सोती है। तब उनको नींद आती रहती है, इस ओर ध्यान नहीं देते है। लेकिन ओवरक्राउडिंग खराब चीज़ है, जनता को उससे खतरा पहुँचता है इससे सुरक्षा करना चाहते हैं। और तो और हमारी चहार दीवारी में आरे की मशीन से लकड़ी काटते हैं। इसके चार चार फुट के फासले पर लोगों के घर हैं। वहां पर १५ होर्स पोवर की मशीन चलती है और उसके कारण से मकान की नींव डगमगाती है, वहां पर लोग रह नहीं सकते। आवाज की बात तो जाने दीजिये। इससे जो धूल उड़ती है वह लोगों की आंखो को बर्बाद करती है। लेकिन हमारी सरकार है जो उनको रक्षा देती है, सुरक्षा देती है और उनको प्रमाणित करती है और जब वहां की जनता शिकायत करती है तो कहते हैं कि मशीन तो वहीं रहने वाली है। और इस तरह की बातें बनाते है कि यहां ओवरक्राउडिंग का सवाल है। ओवरक्राउडिंग का सवाल पैदा क्यों होता है। कोई भी मनुष्य इस तरह से ओवरक्राउडिंग में रहना पसन्द नहीं करता है। लोग चाहते हैं कि हमको अच्छी हवा और रोशनी मिले और आनन्द से रहें। लेकिन उनकी मजबूरियां हैं जो उनको ऐसे स्थानों पर रहने के लिये बाध्य करती हैं। उनकी मज़बूरियों को तो छुडाते नहीं हैं और हम कानून बनाना चाहते हैं और यह कहना चाहते हैं कि तुम को खतरा है, भीड़ की भीड़ एक ही स्थान पर मत रहो। मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि इसका बहुत बड़ा दुरूपयोग होने वाला है! नगरपालिका को अपने कर्त्तव्य का पालन करना चाहिये यह अच्छी बात है कि वह अपने नागरिकों की स्वास्थ्य की बात देखे। लेकिन यह भी देखे कि उनका स्वास्थ्य अच्छा किस तरह से रखा जा सकता है। आज सफ़ाई की हालत दिन पर दिन बिगड़ती चली जाती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से कई मकानों की बनावट ऐसी है जो अच्छी नहीं कही जा सकती है, आप ओवरक्राउडिंग की समस्या को हल करने जा रहे हैं तो उन मकानों का कांस्ट्रक्शन तो ठीक करवाइये। लेकिन म्युनिसिपैलिटी

(डॉ० चन्द्रकला)

यह काम नहीं करती है। कितनी ही बार मैंने सुझाव दिया कि और कुछ नहीं तो कुछ गलियां हैं जो सड़ान पैदा करती हैं, इसको दूर करने के लिये इनमें कस्ट्रक्शन करवा लीजिये, इसके लिये थोड़ी जोर जबर्दस्ती कर दीजिये लेकिन हम इसके लिये सक्रिय नहीं हैं। साथ ही साथ मैं मन्त्रीजी से और हमारी सरकार से कहना चाहती हूं कि हम मजिस्ट्रेटस और इन्सपेक्टर्स को अधिकार देते हैं, ठीक है जनतन्त्र को देखते हुए हमें अपने अधिकारियों को अधिकार देने चाहिये लेकिन हमें यह भी देखना चाहिये कि इन अधिकारों का व्यवहार में कितना दुरूपयोग किया जाता है। आये दिन जनता इनसे दुखी रहती है। मैंने कितनी ही बार पूछा कि जब उनका अधिकार नहीं है कि चाहे जब लोगों को हटा देते हैं तो जोर जुल्म की बात क्यों करते हैं, मेरे ख्याल से ऊपर के लोगों को पता नहीं है कि नीचे के लोग क्या करते हैं। नीचे के लोगों की कमाई का जरिया हो जाता है और जनता परेशान रहती है। जहां तक इस क्लॉज़ की भावना का सवाल है मैं इसका समर्थन करती हूँ। लेकिन यह क्लॉज़ हमारे लिये आवश्यक नहीं है। हो सकता है कि दूरदर्शिता की बात सोची है लेकिन जब जयपुर शहर बहुत बड़ा हो जायगा, जब यहां पर उद्योग धन्धों का विकास हो जायगा, श्रमजीवी लोग रहने वाले हो जायेंगे तब जाकर जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, हम इसको उस समय देख सकते है। इसके साथ साथ स्वास्थ्य का सवाल है इसलिये मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि जनता के स्वास्थ्य को खतरा पहुँचाने वाली जो बातें हैं उनको अविलम्ब हटाना चाहिये और जनता के स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिये। सचमुच ही जब इन बातों को कार्यान्वित कर लेंगे तो कानून बनाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जनता खुद नगरपालिका के साथ सहयोग करेगी। कोई भी मनुष्य सड़ान के स्थानों में पड़ा रह कर बीमारीयों का शिकार बनना नहीं चाहता है लेकिन लोगों की जो मजबूरियां हैं और कारण हैं उनको दूर करना होगा। हमें नई बस्तियें बसानी पड़ेगी और लोगों को सुविधा देनी होगी, आज के समय की आवश्यकता को देखते हुए। और आगे चल कर जिन बातों की आवश्यकता पड़ेगी उनको भी देखना होगा। इन सब बातों को देखते हुए मुझे लगता है कि इस क्लॉज़ की आवश्यकता नहीं है।

श्री बी० एन० जोशी (बांदीकुई) : सभापति महोदय, मैं भी अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं।

श्री सभापति : क्या आपको पहले बोलने का मौका नहीं मिला?

श्री बी० एन० जोशी : मैं पहले बोलने के लिये खड़ा ही नहीं हुआ।

श्री सभापति : तब तो आप बोल ही सकते है।

श्री विशम्भरनाथ जोशी (बांदीकुई) : सभापति महोदय, क्लॉज़ २३४ पर बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। उसके पीछे जो भावना रही है उसको गलत नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसका प्रोविज़न इसलिए रखा था कि ऐसी बस्तियें

(श्री विशम्भरनाथ जोशी)

किसी जगह हो सकती हैं, अब कोई बिल्डिंग इतना क्राउडिंग हो कि उसके आस पास रहने वालों को खतरा हो या संक्रामक रोग फैलें उस अवस्था में खतरनाक माना जाता हो उस सिचुएशन को मीट करने के लिये अधिकार म्युनिसिपैलिटी को दिये जांय तो गैर वाज़िब बात नहीं है। कानून बनाते समय सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि जो कानून बना रहे हैं उसका ऐसी बात के लिये उपयोग नहीं किया जाय जो पास करने वालों का मकसद नहीं था। (हीयर हीयर) इस दृष्टि से यदि इसे देखेंगे तो एक बहुत बड़ा खतरा है वह यह है कि यह क्लॉज़, चाहे इसकी भावना कुछ भी हो, लेकिन कोई मकान मालिक जो अपने किरायेदारों को रेन्ट कंट्रोल की तहत बेदखल नहीं कर सकता, कानूनी पेचीदगी से तो यह एक स्पेसल प्रोसीज़र ऑफ इजेक्टमेन्ट इस धारा के बदले प्राप्त होगा। जिससे इनकन्वीनियेन्ट टिनेन्ट को, जो किराया कम देता है इस कारण से या और किसी कारण से हटाना चाहता है तो उसको इससे इजेक्टमेन्ट आसानी से मिल जायगा। ऐसे कई बड़े खतरे हैं जिनकी तरफ से जागरूक होना चाहिये। इसमें एक्शन मेडिकल ऑथोरिटी की रिकेमन्डेशन पर होगा। लेकिन माननीय मंत्रीजी एक अच्छे वकील रहे हैं फौजदारी के इसलिये उनके तजुर्बे में यह आया होगा कि मेडिकल केसेज़ में भी किस प्रकार गलत सर्टिफिकेट रेस्पोन्सिबल डॉक्टर्स दे देते हैं और असलियत के परे की बात दर्ज करदी जाती हैं। मेरा मकसद यह नहीं है कि सारे ही डॉक्टर इस प्रकार के हैं कि गलत सर्टिफिकेट देकर बेदखल करने में मदद देंगे। लेकिन १०० के पीछे २५, ३० ऐसे लोग होते हैं जो इन्फ्लुएन्शियल लोगों के इन्फ्लुएन्स में आजाते हैं या लालच, प्रलोभन के कारण इस क्लॉज़ के मकसद के खिलाफ कार्य कर सकते हैं।

अब सवाल यह होता है कि क्या क्लॉज़ ऐसी है कि जिसको रखना जरूरी है। जहां तक इन्डिविज्युअल का सवाल है, हमने २१७ सेक्शन पास करदी है। उससे मकसद हल हो जायगा और जहां सारे मुहल्ले का सवाल है क्लॉज़ २३५ से उसका मकसद पूरा हो जायगा। किसी मुहल्ले के लिये क्लॉज़ २३५ में प्रोविज़न है। किसी इन्डीविजूअल बिल्डिंग के मुतल्लिक कार्यवाही करना जरूरी हो गया है तो उसके लिए २१७ धारा के अन्दर प्रोविज़न है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि धारा २३४ बहुत जरूरी नहीं रह जाती है और खास तौर से मौजूदा सूरत में जब हम देखते हैं कि इसके दुरुपयोग की सम्भावना है तो इसके प्रति हमें बहुत जागरुक रहना है, सजग रहना है। जुरिसपुडेन्स का पहला मकसद है : That the law should not be capable of being used for any purpose otherthan the one for which it is intended.तो ऐसी सूरत में मैं निवेदनकरूंगा कि बहुत कांशियसली हमें प्रोसीड करना चाहिए। एक लूपहोल इस कानून में दूसरा भी है, वह यह है कि मान लीजिये कि कुछ किरायेदार हैं, उनमें से कितने किरायेदार से खाली कराना जरूरी है। यह अधिकारियों की मर्जी पर छोड़ दिया गया है। आखिर आपका क्राइ-टेरिया क्या है, बेसिस क्या है, जिसकी बिना पर १० किरायादारों में से ५ किरायादारों से मकान खाली कराना है। वे कौन से पांच किरायेदार होंगे, यह स्पष्ट होना चाहिये। क्या यह देखा जायगा कि जो १० किरायेदार

Page No.92

(श्री बिशम्भरनाथ जोशी)

हैं, उनमें जो पुराने हैं, उनको छोड़ कर जो लेटेस्ट किरायेदार हैं, आखिर के पाच हैं, उनको हटाया जायगा या जिस फेमिली की तादाद कम है, उनको हटाया जायगा। इसमें कुछ बेसिस प्रोवाइड किया जाना चाहिए। यदि यह नहीं किया गया तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इससे हर प्रकार के झगड़े टंटे की स्थिति पैदा करेंगे। एक बोनाफाइड तरीके से कार्यवाही नहीं की जायगी तो लोगों को सोचने का मौका होगा कि हमारे साथ डिस्क्रिशनरी तरीके से कार्यवाही की गई है। मैं यह कहना चाहूंगा कि म्युनिसिपैलिटी में जो इन्स्पेक्टर हैं, कर्मचारी हैं या कोई अधिकारी हैं, उसके जिम्मे इसे प्रेक्टिकली इम्प्लीमेंट करने का काम आयेगा, वह इतना जिम्मेदार हो, इतना समझदार हो कि औचित्य के सिद्धान्त को लेते हुए किसे हटाये, या किसे नहीं हटाये, इसका फैसला करे। मैं कहूँगा कि इस बात का इसके अन्दर बिल्कुल ओमीशन कर दिया है और इसे बिल्कुल ब्लैन्क रख कर डिस्क्रिशनरी कर दिया है कि चाहे पुराना किरायेदार हो, चाहे नया किरायेदार हो, चाहे १५ आदमियों का परिवार हो, चाहे दो आदमियों का परिवार हो, जिसे चाहे उसे हटा दे। इस प्रकार का ब्लेन्क चैक नहीं देना चाहिए अधिकारियों को और हमारा लेजिस्लेचर या गवनमेंट इस प्रकार का प्रोविजन इसमें रखती कि इस हालत में अगर १० १२ किरायेदार हो तो उनमें से ३ किरायेदारों को हटाना होगा, जिस बेसिस पर कहा जायगा कि आपको तो रहने दिया जायगा और कुछ को कहा जायगा कि आपको नहीं रहने दिया जायगा। आपका क्या बेसिस होगा, क्या प्रिन्सपल होगा, यह अंधेर में छोड़ दिया है। इस प्रकार हम ऐसी स्थिति पैदा करेंगे जिससे झगड़े होंगे और समाज में ख्वामख्वा नाराजी पैदा होगी। मैं यह और कहना चाहता हूं कि यह ठीक है कि हमको जनस्वास्थ्य के लिए प्रावधान रखना चाहिए लेकिन एक कल्याणकारी राज्य की सरकार होने के नाते सरकार की जिम्मेदारी है कि जब हम समाज की दृष्टि से यह तय करते हैं कि ओवर क्राउड को हटाना है तो यह भी फर्ज हो जाता है कि इससे जो आदमी डिस्प्लेस्ड होंगे, उनके लिए आलटरनेटिव अकामोडेशन आप प्रोवाइड करें। मान लीजिये कि बेकारी को आप आफेन्स डिक्लेअर करना चाहते हैं तो आपका यह भी कर्त्तव्य है कि भीख मांगने पर पाबन्दी करने से पहले, भीख को अपराध घोषित करने से पहले, उनके लिए रोजगार मुहैय्या करें ताकि उनको भीख मांगने की नौबत न आये। यह नहीं कह सकते हैं कि कॉरसपोंडिंग आब्लीगेशन डिस्चार्ज करने से पूर्व इसे लागू करेंगे अगर करेंगे तो वे सड़कों पर रहेंगे, वे सरायों में रहेंगे और जो हालत में वे थे, उससे बतदर हालत में रहेंगे और हमारा जो मकसद है, वह फ्रस्ट्रेट कर दिया जायगा। यह भी हो सकता है कि एक मकान में से निकल कर वे दूसरे मकान में जाय, उस मकान की स्थिति बदतर हो जाय, इससे हमारा पर्पज़ फ्रस्ट्रेट हो जायगा। ऐसी सूरत में मैं आपके जरिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि ख़ास तौर से जो मकसद है, वह २१७ और २३३ से सर्व हो जाता हैं, इससे पूरा हो जाता है, अगर किसी मोहल्ले के लिए कार्यवाही करना चाहते हैं तो २३५ क्लॉज़ में उसके लिए अख्तियार देते हैं, किसी बिल्डिंग के लिए कार्यवाही करना चाहते हैं इनसेनिटरी बिल्डिंग को डिमोलिश करना चाहते हैं तो २१७ प्रावधान मौजूद हैं। ऐसी सूरत में इस क्लाज़ पर पुनः विचार करें। जिस

(श्री विशम्भरनाथ जोशी)

धारा में इतने बड़े लूपहोल मौजूद हैं, उस क्लाज़ को इस सूरत में पास न करें, यह आपके ज़रिये मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री लक्ष्मी चन्द (सांचौर) : क्लॉज़ २३४ का मैं विरोध करता हूं । इस क्लॉज़ के अन्दर जो यह बताया गया है कि जहां ओवर क्राउडेड पोपूलेशन है, वहां मेडीकल ऑफिसर इस किस्म का सर्टिफिकेट देगा तो आबादी को हटाया जायगा । अब हमारे सामने एक प्रश्न तो यह रहता है कि आपका मेडिकल ऑफिसर जो सर्टिफिकेट देगा, उस मेडीकल ऑफिसर का अन्दाज करने जायं तो इस पर विचार करना होगा कि जो मेडीकल ऑफिसर सर्टिफिकेट देते हैं, उनमें से अमूमन ८० प्रतिशत सर्टिफिकेट होते हैं वे झूठे होते हैं । इसको मैं कह सकता हूं, इसका प्रमाण भी मैं करवा सकता हूं । आपने एक नोटीफिकेशन इश्यू करा कि जिस शख्श को मेडीकल ऑफिसर एग्ज़ामिन करके सर्टिफिकेट देगा, कि वह आदमी अफ़ीमची है, उसको अफीम देने का सरकार प्रावधान करेगी । इसके अन्तर्गत हमारे ज़िले के अन्दर दो हज़ार अफ़ीम खाने वाले व्यक्ति हैं मगर जो आदमी हैं, १५०, २०० आदमियों के सर्टिफिकेट दिये हैं, उनके सिवाय सर्टिफिकेट दिये नहीं हैं और व्यक्तियों को सर्टिफ़िकेट दिये गये हैं जो अफीम खाते नहीं हैं, जिन्हें अफीम की ज़रूरत नहीं होती, उन लोगों को सर्टिफिकेट दिये गये हैं । तो सरकार के सामने एक मुसीबत खड़ हो गई और लोगों ने आवाज उठाई कि हमको सर्टिफिकेट नहीं मिला, हमको मिलना जरूरी है, मगर उस आवाज की अभी तक सुनवाई नहीं हुई । अब प्रश्न यह है कि सर्टिफिकेट फर्जी हो सकते हैं । एक बात और होगी कि कोई पोलिटिकल आदमी पोलिटिकल केरियर बनाने के लिए, किसी पार्टी को कुचलने के लिए, किसी व्यक्ति विशेष को कुचलने लिए के फ़र्ज़ी सर्टिफिकेट ले सकता है और अमूमन ऐसा सर्टिफिकेट लेना ही पड़ेगा और लोगों के सामने एक परिस्थिति पैदा होगी, इसलिए आप इस चीज का निर्णय नहीं कर सकते । मेडीकल ऑफिसर का एक सर्टिफिकेट आ गया, मजिस्ट्रेट ने उस पर ऑर्डर्स कर दिये कि इसको रिमूव कर दिया जाय । मैं निवेदन करू कि जिस प्रकार सरकार ने एक बेदखली कानून बनाया था काश्तकारों को बेदखल करने का, लेकिन बाद में उसको उठाना पड़ा । जिस वक्त वह कानून बना था, उस समय सरकार के सामने एक स्कीम थी कि जमींदार काश्तकारों को बेदखल कर रहे हैं । लेकिन सरकार को बाद में मजबूर होकर इस इजेक्टमेंट कानून को उठाना पड़ा....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : सभापति महोदय, कोरम देख लें ।

(गण पूरक घंटी पश्चात् पुनः)

श्री सभापति : रिज्यूम ।

श्री लक्ष्मीचन्द : सभापति महोदय, मेरे कहने का मतलब यह था कि आपके मेडीकल ऑफिसर की स्ट्रेन्थ, उनकी जो योग्ता और ईमानदारी है, उनके लिए आप जिस वक्त तक इस निर्णय पर नहीं पहुंच जाय कि वह ऑफिसर सही तौर पर सर्टिफिकेट देगा, तब तक मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे सर्टिफिकेट फर्जी होंगे और कई लोगों को बेदखल किया जायगा । इससे सरकार के लिए परेशानी हो जायगी और रोजाना मुसीबतें सरकार के

(श्री लक्ष्मीचन्द)

सामने खड़ी होगी।

अब ओवर क्राउडेड की क्या है, कितने लोगों की आबादी को ओवर क्राउडेड नहीं माना जायेगा। यह इसके अन्दर स्पष्ट नहीं है। आबोहवा की दृष्टि से भी आप देखलें कि जयपुर शहर में जयपुर की बड़ी बड़ी रोड्स को छोड़ कर बाकी सबको ओवर क्राउडेड डिक्लेअर कर सकते हैं अगर मजिस्ट्रेट चाहें तो। मैं यह कहना चाहता हूं कि धाभाई जी की हवेली में एम. एल. एज. रहते हैं, यदि आप वहां खड़े होंगे तो आपको अनुभव होगा कि आस पास में कितनी गन्दगी है, उसके लिए आप के मजिस्ट्रेट को सार्टिफिकेट देना पड़ेगा। यहां तक कि जो जयपुर शहर की आबादी है उसके लिए हर एक मजिस्ट्रेट को सार्टिफिकेट देना पड़ेगा कि यहां पोपूलेशन ओवर क्राउडेड है। इसका परिणाम क्या होगा ? परिणाम होगा कि सबको निकाल देंगे, लेकिन व निकल कर जायं कहां, म्युनिसिपैलिटी उनको बसायेगी कहां ? म्युनिसिपैलिटी के पास जो ज़मीन है, वह भरी हुई है, उसके पास ज़मीन नहीं है जहां वह लोगों को बसा सके तो उसे काश्तकारों की जमीन को ऑक्यूपाई करना पड़ेगा। इस प्रकार सरकार के सामने एक प्रोबलम खड़ी होगी और एक नई मुसीबत खड़ी होगी। अगर एक नई मुसीबत सरकार के सामने खड़ी करना चहते हैं, सरकार की इच्छा है कि एक और प्राबलम हो यहां कि जनता भटकती फिरे, तो हमें इस क्लॉज़ को पास करने में हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए। लेकिन जहां जनता के हित का प्रश्न जनता के स्वार्थ का प्रश्न है, वहां उसके हित के प्रश्न को देखना है, इसलिए एक जल्दी से इस क्लॉज़ को पास नहीं करना है, जनता के हित का प्रश्न यह है कि उनको हटाने के बजाय उन्हें बसाने की हमें व्यवस्था पहले करनी है आज कई शरणार्थी आये हुए हैं, सरकार उनको भी नहीं बसा सकी है। आज भी प्लेटफार्मों पर उनके स्टॉल लगे हुए हैं और वहीं बसे हुए हैं, चन्द आदमी आये हैं उनको भी सरकार नहीं बसा सकी है, तो शहरों की जनता को अगर हटा दिया तो सरकार के सामने एक बड़ी भारी प्रोब्लम खड़ी हो जायगी, सरकार के सामने एक बड़ी भारी मुसीबत खड़ी हो जायगी, सरकार इसे सुलझा नहीं सकेगी और जनता को भी दुख होगा मुसीबत होगी और जनता की मुसीबत विधान सभा के सदस्यों की मुसीबत है, सरकार की मुसीबत है, जनता के नुमायन्दों की मुसीबत है। तो इस प्रकार का कानून पास करने से पहले इन सारी मुसीबतों को कठिनाइयों को देखना है। और फिर दूसरी बात यह है कि आपके पास इतनी भूमि नहीं है, काश्तकारों को हटाना पड़ेगा। फिर उनके पास पैसा कहां है कहां से हवादार मकान खड़े करेंगे, कहां से मकानों की खिड़कियां बनायेंगे। आज भी सरकार के पास पैसे का प्रश्न है, चारों ओर से हर तहसील से ऋण और तकावी की मांग है, पर इस मांग को सरकार पूरा नहीं कर पा रही है, सरकार के पास पैसा नहीं है फिर इस प्रकार का कानून पास करके बसे हुओं को हटा कर सरकार क्यों मुसीबत मोल लेना चाहती है यह न्याय संगत नहीं है। सरकार इनको पैसा दे नहीं सकेगी। और वे लोग मकान नहीं बना सकेंगे और लोगों को दर दर भटकना पड़ेगा। इसलिये सभापति महोदय, आपके द्वारा सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि यह क्लॉज़ पास नहीं करना चाहिये, इसको हटा लेना

(श्री लक्ष्मीचन्द)

चाहिये। इस कानून के पास होने पर सीविल लाइन्स के बंगले हैं, उनको तो हटाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पर जयपुर सिटी को हटाना पड़ेगा। डॉक्टर को कहीं किसी, मोहल्ले ले जांय, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं होगा जो ओवर क्राउडेड नहीं है। तो इस प्रकार आपकी सरकार समर्थ सिद्ध नहीं हो सकती, जहां तक बसाने का और धन का सवाल है, वहां सरकार अयोग्य है। जहां लेने का प्रश्न है आप ले सकते हैं पर देने में आप बिल्कुल अयोग्य और असमर्थ हैं...

(हीयर हीयर की ध्वनि)

आप मेजोरिटी में हैं, मेजोरिटी के बल पर आप भले ही चाहें जैसा कर लें पर इससे आप मुसीबत मोल लेंगे और जनता को मुसीबत में डालेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली): सभापति महोदय, क्लॉज़ २३४ पर बात चीत हो रही है, इस पर बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं और बताया है कि किस प्रकार ओवरक्राउडेड हैं उनको हटाने के बाद सरकार के सामने किस प्रकार की मुसीबत आ सकती है। वास्तव में इस क्लॉज़ को देखा जाय और सोचा जाय कि यह क्लॉज़ किस लिये है तो यह क्लॉज़ बुरा नहीं लगता। पर आज क्या परिस्थिति है, जितने अच्छे मकसद को ले कर क्लॉज़ पास की जाती हैं, उसका पब्लिक में जा कर कितना खराब से खराब मतलब निकलता है। देखा जाय तो उनसे ज्यादा जनता को नुकसान पहुँचता है और चन्द लोगों को फायदा पहुँचता हैं, दूसरों को नुकसान पहुँचता है। यदि वास्तव में इस क्लॉज़ का जैसा मकसद है और दूसरे प्रकार से मन्त्रीजी, की भावना ऐसी हो सकती हैं पर मौजूदा समय में मन्त्रीजी की भावना कहां तक टिक सकती है, यह मन्त्री महोदय खुद जान सकते हैं और माननीय सदस्यों ने भी इसको जानते हुए अपने विचार व्यक्त किये हैं। ओवरक्राउडेड बस्तियां हों, उनमें से लोगों को निकालना पड़ता हैं, क्यों कि ओवरक्राउडेड होने के कारण लोगों की तन्दुरुस्ती पर बुरा प्रभाव पड़ता है। पर यहां इस बिल में कहीं कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि उनको घरबार छुड़ाने के बाद में कहां सेटल किया जायगा। आप देखते हैं कि म्युनिसिपल एरिया में आज भी कुछ एक लोग झोपड़िया लगाये बैठे हैं, गोविन्ददेवजी के मन्दिर के पास जाते हैं तो कुछ साधू लोग दो ढाई फीट ऊंची झोपड़ी से लग कर फटे चिथड़ों में रहते हैं, नोर्मल स्कूल के पास छोटी छोटी झोपड़ियां बना कर लोग गुज़र करते हैं, उन लोगों की तन्दुरुस्ती पर आज कितना बुरा असर पड़ता है। यदि सरकार जनता की तन्दुरुस्ती और भलाई का इतना ख्याल रखती है तो इन गरीबों की समस्या पर सोचे और इन गरीब लोगों की प्रोब्लेम सरकार के सामने है इस कठिनाई को हल करने के लिये कदम उठाये। आज गोविन्दजी के मन्दिर के पास लोग किस तरह सड़ रहे हैं, तकलीफ पा रहे हैं, और दूसरी जगहों पर लोग कितनी तकलीफ पा रहे हैं, सरकार पहले इनकी समस्या को तो सुलझाये इनकी समस्या को सरकार सुलझा देगी तो हमें यकीन हो जायगा, विश्वास हो जायगा कि सरकार दूसरों की समस्या को सुलझा सकेगी। सफलता

(श्री रामकरणसिंह)

पूर्वक कदम उठा कर इस तरह के काम में सरकार कामयाबी हॉसिल करती है। तो हमें विश्वास हो सकता है कि जनता की भलाई के लिये सरकार सोचती है।

सभापति महोदय, यह हम सब जानते हैं और कई माननीय सदस्यों ने इस सदन में कई बार कहा है कि कुछ मेन बाजारों को छोड़ कर जयपुर शहर नर्क है। आप कोई गली में पैदल जाइये तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में यदि कोई गन्दा शहर है तो जयपुर शहर है, इसका मोटा कारण यह हैं कि बच्चे बच्चियों को, चाहे मालदार घराने के हों या गरीब घराने के हों, सब नालियों में टट्टी फिराते हैं, इस कारण गंदगी में और दस गुना २० गुना वृद्धि होती है। यह मौजूदा गवर्नमेंट और म्युनिसिपैलिटी के लिये शर्म की बात है....

श्री लक्ष्मीचन्द : सभापति महोदय, कोरम नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला : खत्म करिये कोरम नहीं है तो।

(गणपूरक घन्टी के पश्चात्)

श्री सभापति : रिज्यूम कीजिये आप।

श्री रामकरणसिंह : मैं जिक्र कर रहा था कि यदि जयपुर शहर की किसी गली में से कोई माननीय सदस्य या मन्त्री महोदय गुजरे होंगे तो उन्होंने महसूस किया होगा कि लेकिन आज जयपुर कि गलियें किस प्रकार से सड़ रही है और वह किस प्रकार से जयपुर के नागरिकों के स्वास्थ्य के लिये नुकसान दायक है। आप इसकी तरफ ध्यान दें। जहां क्राउडेड हाउसेज़ हैं उनमें से आबादी को कम करके लोगों को किसी दूसरी जगह बसावें उससे पहले कम से कम जैसा मैंने आपको अर्ज़ किया कि जिस, प्रकार से बच्चे सड़कों पर टट्टी कर देते हैं और वह सड़ती है उसके लिये किसी प्रकार का पखवाड़ा मनाया जावे जिस प्रकार दूसरे कामों में वीक का प्रोग्राम चलता है तो इस गंदगी को रोकने के लिए यह फायदेबन्द हो सकता है और उनके पेरेन्टस को कहा जा सकता है। अगर इसमें कोई किसी प्रकार की रुकावट पैदा करता है तो उसके लिए कुछ हो सकता है। मगर इसके साथ साथ उनको जब हटाया जावेगा तो कहां पर बसाया जावेगा इस बात को भी देखना है। मान लें कि एक जगह १० कुटुम्ब रहते हैं उनमें से आप ५ को किसी दूसरी जगह हटाना चाहते हैं। जब आप उनको हटावेंगे तो इसमें किसी प्रकार का प्रोविज़न नहीं है कि उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जावेगा जिसके लिये सर्टिफिकेट जारी किया जा सकता है। मैं कहूंगा कि माननीय मन्त्री महोदय जिस प्रकार अपनी की भावना रहते हैं वैसी तो भावना इस क्लॉज़ में है मगर इसके बाद हमको यह सोचना चाहिये कि केवल भावना ही काम नहीं करती। उनको चाहिये कि खुद की जो भावना हैं उसी प्रकार की सभी की भावना को समझे। जिस समय लोगों को मकान से वास्तव में निकाले जावेंगे उस समय उनकी दैनिक दशा किस प्रकार की होगी। जिस समय उनको वर्षा या जाड़े में या गर्मी में निकाले जावेंगे वे किसी प्रकार से भी घर के बाहर निकाले जाते हैं तो आपको सोचना होगा कि उनकी उस समय क्या दशा होती है। मैं यह निवेदन करूंगा कि आप खुद इसको सोचें

(श्री रामकरणसिंह)

और इसका माप दंड सोचें तो आपको मालूम होगा कि जो प्रोविज़न रखा है वह किस प्रकार से उचित है और जो लोग बाहर निकाले जावेंगे उनको बसाने के लिए किस प्रकार की तरकीब सोचेंगे और उनको अच्छी तरह तसल्ली के लिये और बसाने के लिए भी ख्याल करेंगे। मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस पर वे ध्यान देंगे।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार जयपुर) : सभापति महोदय, कोरम नहीं है इसलिए यह प्रतीत होता है कि सदन बैठना नहीं चाहता। आज सदन को एडजोर्न कर दिया जाए।

श्री सभापति : घंटी बजादी जाती है।

(गणपूरक घंटी के पश्चात्)

एक माननीय सदस्य : बार बार घंटी बजाई जाती है इससे तो इसको एडजोर्न ही कर दिया जाय।

श्री सभापति : माननीय मन्त्री महोदय जवाब दें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत शासन मन्त्री): सभापति महोदय, क्लॉज़ २३४ तो इतना बेगुनाह क्लॉज़ है कि इस प्रकार का क्लॉज़ आपको इस सारे बिल में बहुत कम मिलेंगे। इसलिए इस बात का मुझे कभी ख्याल ही नहीं था कि इस पर इतनी बहस होगी। यह क्लॉज़ तो बहुत ही सीधी है और इसके बारे में जो भी आपत्तियें उठाई गई हैं वे मैं समझता हूं कि सभी निराधार हैं। सब-क्लॉज़ (१) इसमें २३३, २३४ और २३५ क्लॉज़ आती हैं। ये डेन्जर्स डिजिजेज़ के लिए रखी है। २३४ क्लॉज़ में एक माननीय सदस्य ने कहा कि ओवर क्राउडिंग को सरकार मिटाना चाहती है इसलिए यह क्लॉज़ रखी है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, कि ओवर क्राउडिंग की वज़ह से अगर कोई डिजीज़ फैलने का अन्देशा हो तो इस क्लॉज़ का प्रयोग होगा। अगर बीमारी की वज़ह से कोई आपत्ति पैदा होगी उसके लिये यह क्लॉज़ रखी है। यह पूरा चैप्टर इसी बात का है। इसमें बहुत से माननीय सदस्यों ने तरह तरह की दलीलें दी हैं। उन्होंने कहा है कि इसकी कौनसी हालत में आवश्यकता होगी इसको बतावें। सभापति महोदय, अगर मुझे यह कहा जाए कि कोई नगर में आग लगाकर बताए कि आग लगने पर किस प्रकार से बुझाई जावेगी तो यह कोई बात नहीं है। अगर यह कहा जाय कि इतने हॉस्पिटल क्यों कायम किये जाते हैं। गांवों में जब तक बहुत से लोग बीमार नहीं दिखादो तब तक हॉस्पिटल की वहां पर आवश्यकता नहीं। यह तो उचित नहीं होगा। मैं यह कहता हूं कि जहां पर इमर्जेन्सी पैदा होगी वहां पर यह कानून लागू होगा। मैं नहीं समझता कि इस कानून को कहीं पर लागू करने की आवश्यकता पड़े, मगर कहीं पर बीमारी फैलने का अंदेशा होगा तो इसको लागू किया जायगा। मैं खुद इस बात को मानता हूं कि इसको लागू नहीं किया जाए। मगर इसके लिए कानून तो बनना ही चाहिये। क्योंकि ऐसा वक्त पैदा हो सकता है कि कोई बीमारी फैल रही हो ओवर क्राउडेड हो तो इसके लिए एमर्जेन्सी के लिए कानून रहना ही चाहिये। इमर्जेन्सी के लिये कानून बनाये जाते हैं। क्योंकि जब सारे शहर में बीमारी फैलती है तो उस समय

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

असेम्बली बुलाई जावे तो उपयुक्त नहीं होगा।

अब यह कहा गया है कि इसका दुरुपयोग बहुत होगा। मेरे समझ में नहीं आता कि जब एक तरफ माननीय सदस्य यह कहते हैं कि उनको बताया जावे कि इसका उपयोग वहां पर होगा और दूसरी बात साथ साथ यह भी कहते हैं कि इसका दुरुपयोग होगा। मैं यह कहूंगा कि इसके दुरुपयोग की गुंजायश ही नहीं है। हमने इस क्लॉज़ को बहुत सोच समझ कर रखा है। इसके लिये हमने रखा है कि पहले म्युनिसिपल बोर्ड से प्रस्ताव पास होगा। उसके बाद उस पर मेडिकल ऑफिसर की रिपोर्ट होगी। उसके बाद नोटिस दिया जायगा। यह तो इसमें है ही नहीं कि चालान कर दिया जायगा या उस पर किसी प्रकार का जुर्माना कर दिया जायगा। अगर वह नहीं मानेगा तो कुछ आगे होगा। यह तो इमरजेन्सी के लिए है। अगर कहीं एपेडेमिक फैलने की बात हो वहां पर ओवर क्राउडेड को रोका जा सकता है। इसके लिए अगर यह कोई कहे कि इसको प्रेक्टिकल करके दिखाये तो सम्भव नहीं है।

एक बात मैं और अर्ज करूं कि इसके दुरुपयोग के बारे में कहा गया है। मैं यह कहूंगा कि जयपुर म्युनिसिपल एक्ट बना हुआ है उसमें इस प्रकार की धारा मौजूद है। इसके लिए कोई भी यह नहीं कह सकता कि इस धारा का जयपुर में दुरुपयोग हुआ है। माननीय सदस्य ने यहां पर एक बात कही वह यह कि जयपुर में बहुत गन्दगी है। इसके लिए यह मैं आपको अर्ज कर चुका हूं कि यह म्युनिसिपैलिटी की ज़िम्मेदारी है गवर्नमेंट की नहीं है। जयपुर की म्युनिसिपैलिटी को चलाने में सरकार ने १९ लाख तो लोन और सबसीडी के रूप में दिया है। बड़ी बड़ी म्युनिसिपैलिटी जयपुर और जोधपुर में सरकार ने काफ़ी सहायता दी है। फिर भी बराबर यहां पर यह कहा जाता है कि जयपुर में आरा मशीद लगी है या जयपुर की गन्दगी है उसको रोकने के लिये मैं वहां पर जाऊंगा। हर बार इस बात को उठाने की कोशिश करते हैं। मगर मैं यहां पर निवेदन करना चाहता हूँ कि लोकल बॉडीज अपनी व्यवस्था के अनुसार काम करेंगी और यहां पर महतरों को तनख्वाह देने के लिए और टट्टी साफ़ होती है। उसके लिये गांवों को रुपया ला कर इन म्युनिसिपैलिटीज़ को दूं जो यहां पर खर्च करे तो यह बात न होने वाली है न होगी। यह बात न तो होने वाली है न होगी। यह बात आपको साफ समझ लेनी चाहिये। हमने बहुत कोशिश की मगर फिर भी इसकी हालत इतनी खराब है कि वह अपने नौकरों को तनख्वाह नहीं दे सकती। माननीय सदस्य जिनको सहानुभूति है, उनको चाहिये कि वे इसमें अपना सहयोग दें और अपनी ज़िम्मेदारी को निभावें। इसमें जो कुछ रखा गया है वह जैसा मैंने कहा कि बीमारी फैलेगी उस समय इसका उपयोग होगा। इसमें भी माननीय सदस्य को क्या एतराज़ है। शहर की सफ़ाई, सड़कें बनाना, बिजली लगाना आदि काम म्युनिसिपैलिटी के हैं।

हमसे जितनी मदद हो सकती थी हमने दी है और आगे भी देंगे। लेकिन यह कहना कि जयपुर शहर का इन्तजाम खराब है, सरकार की ज़िम्मेदारी है। मैं निवेदन करूंगा कि यह तो नागरिकों की जिम्मेदारी

Page No.99

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

है। जब टैक्स बढ़ाने का सवाल आता है तो चारों तरफ शोर गुल किया जाता है कि न बढ़ाया जाय। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, माननीय सदस्यों को दिलचस्पी हो और उनको यह अच्छी तरह से समझ लेना चाहिये।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): एक क्लेरिफिकेशन करना चाहता हूं।

आपने कहा है कि इस धारा का उपयोग एमरजेन्सी में करेंगे और एपेडेमिक्स होगी तब इसका उपयोग किया जायगा। मेरी फैमिली में दस मेम्बर हैं, मुझे आपने रास्ते में निकाल दिया। लोकेलिटी अफेक्टेड हो तो फिर कोरनटाइन का प्रयोग क्यों नहीं करते।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : डिजीज़ फैलती है तब के लिए यह है।

श्री पी० के० चौधरी : जैसे हैजा फैल गया, स्माल पोक्स फैल गया ऐसे समय पर उपयोग में लेंगे। इससे तो अधिक खराबी होगी। एपेडेमिक्स होगी, मुझे तो बाल बच्चों सहित रास्ते पे निकाल दिया। मुझे तो कोरन्टाइन में डाल दिया। लोकेलिटी में इसका प्रयोग करिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : माननीय सदस्य को इतना सा ही जवाब दूंगा कि वे दिन भी देखे हैं कि एपेडेमिक्स के समय लोगों ने शहरों और गांवों को छोड़ दिया था। हमारे यहां प्लेग फैला लोग शहरों को गांवों को छोड़ कर चले गये थे। बीमारी के समय मकान खाली न कराये जांय, और मरने दिया जाय यह कोई उचित दलील नहीं होगी। आपके कहने से तो एक लोकेलिटी में बीमारी फैले और ज्यादा फैलने की उसकी आशंका हो तो वहां के लोगों को मरने दिया जाय और इसके लिए कानून बनाया जा रहा है वह गलत है, मैं निवेदन करूंगा कि आपकी यह दलील बिल्कुल गलत है। जयपुर में भी पहले से ऐसा कानून बना हुआ है और कहीं इसका दुरुपयोग नहीं हुआ है। आप चाहते हैं कि लोगों को मरने दिया जाय, यह नहीं हो सकता।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी (बदीकुई): It is better that they die in their homes than that they should die on the streets.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : स्ट्रीट में मरने का सवाल नहीं है। एल्टरनेटिव अकमोडेशन पर ज़ोर दिया गया। वैसे शहरों का एक्सटेन्शन हो रहा है। शहरों का हो रहा हो ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन हां, जयपुर शहर का तो काफी हो रहा है। यदि एक हाउस में ऐसी स्थिति हो जाय और उसके फैलने की आशंका हो और वह मकान खाली न कराया जाय, बीमारी को फैलने दिया जाय, लोगों को मरने दिया जाय, यह जो दलील दी गई है वह उचित नहीं है। इमरजेन्सी के लिए इस प्रकार का प्रोविजन है। यह प्रोविजन पहले भी था और यह बिल्कुल इन्नोसेन्ट है इसलिये इस क्लॉज़ को पास कर दिया जाना चाहिये।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि माननीय मंत्रीजी ने जो अमेंडमेंट रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : दो अमेंडमेंट हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अमेंडमेंट केवल इतना सा ही है कि मैडीकल ऑफिसर के साथ साथ हैल्थ ऑफिसर का भी, दोनों का सर्टिफिकेट हो।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि इस संशोधन को माना जाय ?

(स्वीकृति)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २३४ संशोधित रूप से स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृति)

संशोधित क्लॉज़ २३४ विधेयक का अंग बना।

सदन की कार्यवाही कल प्रातःकाल ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

म०प०

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही ४ बजकर ४५ मिनट पर मंगलवार, दिनांक १४-४-५६ के ११ म० पू० तक के लिए स्थगित की गई।)

संक्षिप्त-विवरण

(सोमवार १३ अप्रेल, १९५९)

स्तम्भ स्तम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर

७१०५

डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजूकेशन जयपुर के कार्यालय के एस्टेब्लिशमेन्ट क्लर्क के सम्बन्ध में।

तहसील सांचोर के शुतर सवार।

जवाहर विद्यापीठ, कानोड़।

राजस्थान के कलाकारों पर राजस्थान की झांकियां दिखलाये जाने पर खर्च।

नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की रकम की वापसी।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लूणकरणसर में प्रशासनिक इमारतों का निर्माण।

तहसील जसवन्तपुरा में माध्यमिक व प्राथमिक पाठशालाएं।

संत श्री विनोबा भावे को ग्रामदान।

तहसील कोलायत में हाई स्कूल का अभाव।

जयपुर शहर में स्लम क्लीयरेंस योजना।

अलवर में स्नातकोत्तर कक्षाएं, टैक्निकल कॉलेज तथा राजर्षि कॉलेज में अन्य विषयों की कक्षाएं।

खारची क्षेत्र में शराब, भांग, गांजा आदि के ठेके।

गोनेड़ा कस्बे में मिडिल स्कूल।

हाथ कर्घा उद्योग के लिये भारत सरकार द्वारा सहायता।

जिला बांसवाड़ा के अध्यापकों का प्रोमोशन तथा उनके वेतन का भुगतान।

टिन शीटस पर बिक्री कर की दरें।

टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बीकानेर।

राजस्व मंडल के नये भवन के उद्घाटन पर व्यय।

अध्यापकों को परीक्षा में बैठने की अनुमति।

क्लर्कों में से नायब-तहसीलदार के पद पर प्रोमोशन।

स्कम्भ

सप्लाई विभाग के सरप्लस हैन्डस की नियुक्ति।

गंग भाखड़ा व राजस्थान कैनाल एरिया से जागीरदारों को भूमि।

राज्य कर्मचारियों को मेडिकल अलाउन्स।

विधायी कार्य

पुरः स्थापित किया गया विधेयक।

सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मंत्री, ने अजमेर शामलात देह। (रेगूलेशन) निरसन विधेयक, १६५६ को पुरः स्थापित किया।

राजस्थान नगरपालिका विधेयक, १६५७।

आज इस विधेयक के स्थगित खण्डों पर विचार किया गया।

खण्ड १००, १३३ एवं २३४ संशोधित रूप में स्वीकार किये गये।

स्कम्भ

खण्ड १६७ एवं १६७ बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुए।

खण्ड २१८ विलोपित किया गया।

सदन की बैठक ४ बजकर ४५ मिनिट पर मंगलवार, दिनांक १४ अप्रैल, १६५६ को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई।

७१५२

मंगलवार, १४ अप्रैल, ५६ की कार्य सूची।

१. राजस्थान औद्योगिक न्यायाधिकरण जिसे अभी उच्च न्यायालय द्वारा शक्ति अतीत करार दिया गया है। को वैध रूप दिये जाने से सम्बन्धित सरकारी निर्णय की जानकारी सदन के पूर्व श्रम सलाहकार परिषद् को दिये जाने के सम्बन्ध में श्री पी० के० चौधरी तथा मुरलीधर व्यास का विशेषाधिकार प्रश्न।

७१५२

२ राजस्थान नगरपालिका विधेयक, १६५७।

(अग्रेतर विचार विमर्श)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६६३ का उत्तर देखिये)

इस वर्ष गणतन्त्र (दिल्ली में) दिवस पर, राजस्थानी झांकी तथा लोकनृत्य में भाग लेने वाले कलाकारों तथा राज्य कर्मचारियों की सूची :—

राजस्थानी लोक नृत्य के कलाकार :-

१	श्री देवाराम	पुरुष
२	श्री खिनजाराम	पुरुष
३	श्री पेमाराम	पुरुष
४	श्री खिनजाराम	पुरुष
५	श्री हीराराम	पुरुष
६	श्री रामाराम	पुरुष
७	श्री गोवर्धन	पुरुष
८	श्री लभूराम	पुरुष
९	श्री भीकरराम	पुरुष
१०	श्री जोधाराम	पुरुष
११	श्री कानाराम	पुरुष
१२	श्री रूपाराम	पुरुष
१३	श्री रामूराम	पुरुष
१४	श्री हरिराम	पुरुष
१५	श्री खोजाराम	पुरुष
१६	श्री बास्तीराम	पुरुष
१७	श्री रामाराम	पुरुष
१८	श्री भंवरलाल	पुरुष
१९	श्री मनरूप	पुरुष
२०	श्री मोहनलाल	पुरुष
२१	श्रीमती कुन्दनी बाई	स्त्री
२२	श्रीमती कुनकू बाई	स्त्री
२३	श्रीमती चुन्नी बाई	स्त्री

Page No.104

२४	श्रीमती घूक्री बाई	स्त्री
२५	श्रीमती राम दयाली	स्त्री
२६	श्रीमती अनची	स्त्री
२७	श्रीमती भूरी	स्त्री
२८	श्रीमती जमूना बाई	स्त्री
२९	श्रीमती तमकू बाई	स्त्री
३०	श्रीमती सीता बाई	स्त्री
३१	श्रीमती रुकमा बाई	स्त्री
३२	श्रीमती लाली	स्त्री
३३	श्रीमती बीजा की	स्त्री
३४	श्रीमती सिंगारी बाई	स्त्री
३५	श्रीमती सीताबाई	स्त्री

राजस्थानी झांकी के कलाकार :-

१	श्री मोहनलाल	पुरुष
२	श्रीमती बदामी	स्त्री
३	श्रीमती इन्दू	स्त्री
४	श्रीमती मधु	स्त्री
५	श्रीमती सरला	स्त्री
६	श्रीमती शुसी	स्त्री
७	श्रीमती राज रंकावट	स्त्री
८	श्रीमती शशी शर्मा	स्त्री

Page No.105

राज्य कर्मचारियों की सूची :--

१	श्री जी. एस. शुक्ला पार्टी लीडर अधिकारी हस्त कला, उद्योग जयपुर पुरुष				
२	श्री पी० डी० व्यास, समाज शिक्षा अधिकारी मंडोर				
३	श्री तेज नारायण, क्लर्क, हस्त कला उद्योग, जयपुर				
४	श्री रामसहाय	मिस्त्री	,,	,,	,,
५	श्री बोदूलाल	,,	,,	,,	,,
६	श्री लक्ष्मीनारायण	,,	,,	,,	,,
७	श्री भूरे खां	चपरासी	,,	,,	,,
८	श्री परभात	,,	,,	,,	,,

७३१२]

परिशिष्ट २

(कृपया, तारांकित प्रश्न संख्या ६६७ का उत्तर देखिये)

श्री विनोबाजी की पदयात्रा के अवसर पर डूंगरपुर जिले में ग्रमदान में
प्राप्त हुये गांवों की तहसीलवार सूची

तहसील डूंगरपुर

१. पारडी वीर सेंग, २. कंजडिया, ३. ढोलका, ४. रायणी ५. खाबड़ी, ६, बागदरी ७. थ्रोडी आमली. ८. तोरणिया, ६. रतनपुर, १०. सलावटों की मागल, ११. नवागाम नरणिया, १२. नवागाम सीदड़ी, १३. नवागाम सूरातां, १४ बाबड़ी खेड़ा. १५ सीदड़ी, १६. खेरवाड़ा, १७. डोलवर ऊपली, १८. डोलवर नीचली, १६. ऊंदरड़ा, २०. नाल फला दामडी, २१. तालब फला दामड़ी २२. बटोकड़ा २३. रागेला, २४. पांतली कमलोतां, २५. बाड़ा पुनाली, २६. डूंगरा हथाई, २७. दरा हथाई, २८. फटी तलाई, २६. भोगेला, ३०. नया तालाब हथाई ३१. पारड़ा चौबीसा, ३२. घटाऊ, ३३. माना तलाई दामड़ी, ३४. डूंगरा पाल भांडव, ३५. पछोल, ३६. घणी घटाऊ, ३७. हडमतिया पाल मांडव, ३८. घंटी घरा, ३६. सामोता, ४०. मलोतां, ४१. बैण, ४२, जोगीवाड़ा, ४३. कोल खंडा पाल, ४४. सूरातां, ४५. बांदी घांटी, ४६. साजां, ४७. सांपलिया, ४८. बिचकी घांटी, ४६. डंगरा, ५०. भीतरी, ६२. बचला फला ५२. तालाब फला, ५३ पटवारखाना, ५४. कथारा, ५५. हड़मतिया, ५६. मोडिया, ५७. मडकोला, ५८. पारड़ी उतारात, ५६. नांटडा, ६०. भोजातों का ओडा, ६१. सेमल घांटी, ६२. बीर तलाई, ६३. बैरणियां, ६४. वारी, ६५. डूंगरा, ६६. ओड़ा, ६७. पूनेला, ६८. कालिया हेला, ६६. लैंडिया, ७०. रास्ता, ७१, मेतवाला, ७२. भामरा, ७३. फातरिया, ७४. पिथापुर ७५. मालवाथा, ७६. गंधयापाल, ७७. रातापानी, ७८. पांटडी, ७६. मादपुरा-कला बलवाड़ा ८०. माना तलाई गामड़ी अहाड़ा, ८१. महूंडी।

तहसील सागवाड़ा

१. मोटा घरां वरदां, २. नवां घरा उपली घाणी, ३. नीचली घाणी, ४. ऊपली घाणी, ५. नालवरदा की, ६. किशनपुरा बुचड़िया, ७. डेंचा आदिवासी, ८. भकड़ा ६. तोरणिया, १०, खबुकल राजपुर सेलोतां, ११. माणकपुरा, १२. पारिया, १३. कोठीपुरा १४. मडकोला, १५. बिलोया, १६. नवा पादर, १७. हरवा, १८. बड़गामा, १६. पछोर बिलीया, २०. चारवाड़ा, २१. खेरिया, २२. खीमेल, २३. नरेडिया २४. काहेला, २५. नोकना, २६. छाणी २७. फावटा, २८. लोडीसर, २६, मूलावाड़ा मई, ३०. पाडलिया, ३१, पीपला गोंज, ३२. नालवाड़ा, ३३. फूलेर, ३४. मूंदरा, ३५, गेहूंआ, ३६. बीराट, ३७. कैसरपुरा, ३८. किशनपुरा : दीवाडा बडा : ३६. लिखतिया।

तहसील आसपुर

१. कानेला पाल थूर. २. तलालिया ३. काड ।

निम्नलिखित ९ गांव पद यात्रा के पूर्व इस जिले की डूंगरपुर तहसील में ग्रामदान में मिले :

१. रघुनाथपुरा, २. मसाणिया, ३. गोश्रा कलारिया, ४. काकरी डूंगरी, ५. तोवडा, ६. सडली, ७. रागली, ८. सबलाणां, ९. पाहेता ।

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १००४ का उत्तर देखिये)

Details on Handloom schemes for the year 1957-58 adn 1958-59.

Expenditure for 1957-58.				Expenditure for 1958-59.		
S. No.	Total Grant. Rs.	Name of the scheme.	Actual Expendi-ture.	Total grant.	Actual Rs.	Expenditure
1	2	3	4	5	6	
1.	37231/-	Central Organi-sation.	38194/-	36000/-	39000/—	
2.	83895/-	Sales Depots.	54293/-	—	10000/—	
3.	20114/-	Inspection & Stamping.	110838/-	30650/-	75000/—	

१	२	३	४	५	६
4.	43320/-	Dye Houses.	29018/-	14370/-	42020/—
5.	25000/-	Rebate on sale of Hand loom cloth.	39938/-	10000/0-	100000/-
6.	764217/-	Publicity & Propaganda.	5951/—	10000/--	3000/—
7.	24000/—	All India Hand-loom week.	23250/—	12000/-	12000/—
8.	375/—	Award of prizes.	491/—	2000/—	1200/—
9.	1000/-	Purchase of samples.	488/—	250/—	650/—
10.	—	Mobile sales van.	12372/-	6450/--	15300/—
11.	—	Collection of statistics.	5489/	—	—
12.	53779/-	Looms & Accessories.	55537/—	199997/—	167000/—

Page No.110

१	२	३	४	५	६
13.	—	Purchase of cloth.	48171/—	—	350000/—
14.	6000/—	Central Depot,	—	—	2760.30
15.	—	Renovation of weaver's house.	—	—	—
16.	2009/—	Purchase of Pressing machine & Post Cards.	—	—	—
17.	—	Finishing & Calendering Plant.	—	5500/—	5700/—
18.	—	subsidy for State Apex coop. Societv staff.	--	15000/--	3125/--
19.	--	Training of Apex Society.	—	2700/—	—
20.	—	Appointment of Hawkers	—	—	—
21.	—	Model Handloom Trg. Centre.	--	30570/--	5600/--

१	२	३	४	५	६
22.	—	Share & working capital loans for weavers.	932250/—	21875/—	21700/—
23.	—	Share capital loan for Apex Coop. Society.	—	37000/—	37000/—
24.	—	Loan for Housing Colony	—	40000/—	40000/—
25.	—	Loan for renovation of weaver's Houses.	—	—	—
26.	717434/—	Installation of Power. looms-	—	—	—
27.	—	Sizing Plant.	—	—	—
	1021790.17		1356280/—	564362/—	1021055.30

Note.--In case of some of the schemes the expenditure has been incurred from the savings of the previous years as per instructions from the All India Handloom Board. The expenditure has thus exceeded the sanctioned grant in those cases.

2. The original sanction for powerlooms was conveyed in the year 1956-57 and the same was revalidated from year to year. There was a provision for subsidy and loan for the construction of Pucca shades for weaver's in the original scheme for which applications had been received from weaver's Cooperative Societies. As there was no provision for this in the latest scheme, they could not be installed in Kutcha houses of weavers. In bigger places where some weavers have pucca houses, the population exceeds 30000 and as such under orders of the All India Handloom Board the powerlooms could not be allotted to such places.

Sd/—

Director of Ind. & Com.,

Rajasthan, Jaipur.

शुद्धि-पत्र

(सोमवार, १३ अप्रैल, १९५९)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
७१२३	८	श्री किशनसिंह बटटड़	श्री किशनसिंह बाटड़
७१२५	७	मेनेन्डरी	सेकेन्डरी
७१२७	६	गवनेमन्ट	गवर्नमेन्ट
७१३८	६	मेडिकल	मेडिकल
७१४३	शीषक	११ अप्रैल, ५९	१३ अप्रैल, ५९
७१४७	शीर्षक	७२४७	७१४७
७१४७	१	(श्री जनार्दरराय नागर)	(श्री जनार्दनराय नागर)
७१४९	१	(श्री गिरधारीलाल)	(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
७१५२	शीर्षक	अ.शा. नि. वि. ५९ पुर:स्थापन	तारांकित प्रश्नोत्तर
७१५८	१३	Non	None
,,	२७	Contains	Continues
७१५९	११	Non	None
,,	१६	yor	or
,,	१९	Convanting	Covenanting
७१६०	२५	uhder	under
७२२५	२	आघ	आध
,,	अन्तिम से ६	Augnst	August
७२३१	१२	श्री उपाध : amendmendment	श्रीउपाध्याय: Anyamendments
७२३३	१८	Ommission	Omission
७२४०	१८	चाइते	चाहते
७२४५	१	श्र सतीशचन्द्र अग्रवाल	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
७२६०	५–६	Huender-dog	under-dog

१	२	३	४
७२७२	२०	arear	areas
७२८६	२३	o herthan	other than
७२६१	अन्तिम से ७	चहते	चहाते
,,	६	प्राबलम	प्रोब्लम